जिला आपदा प्रबन्धन योजना

जनपद–सिद्धार्थनगर

वर्षः 2010–2011

जिला आपदा प्रबन्धन कार्यक्रम
(उत्तर प्रदेश सरकार)
जनपद–सिद्धार्थनगर

मिथलेश कुमार त्रिवेदी
(पी0सी0एस0)
अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)
सिद्धार्थनगर।

प्रज्ञान राम मिश्रा
(आई0ए0एस0)
जिलाधिकारी
सिद्धार्थनगर।

प्रज्ञान राम मिश्रा,
जिलाधिकारी / अध्यक्ष
जिला, आपदा प्रबन्धन समिति
सिद्धार्थनगर।

फोन नं0 (आफिस)–05544, 222169
फोन नं0 (आवास)–05544, 222333
सी0यू0जी0 नं0–9454417530

सन्देश

इस पुस्तिका के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि जनपद सिद्धार्थनगर बाढ़ आपदा से प्रत्येक वर्ष पूर्ण या ऑशिक रूप से प्रभावित होता रहा है। इसके अतिरिक्त सूखा, अग्निकाण्ड, तूफान, जैसी अनेक प्राकृतिक आपदाओं से भी अपार जन एवं धन की हानि होती रहती है। जिसके फलस्वरूप जिले के सर्वांगीण विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यह सर्वविदित है कि आपदाओं को रोका नही जा सकता तथापि कुशल आपदा प्रबंधन द्वारा इससे होने वाले क्षति को न्यूनीकृत अवश्य किया जा सकता है।

आपदा प्रबन्धन एक श्रृंखलाबद्ध प्रक्रिया का नाम है, जिसके क्रियान्वयन हेतु पंचायत प्रतिनिधि स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि, सामुदायिक संगठनों के प्रतिनिधि, पदाधिकारी व माननीय जन प्रतिनिधियों की सहभागिता तथा स्थानीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग तथा समुदाय एवं सरकारी कर्मचारियों के अनुभव से आपदा पूर्व तैयारी कर आपदाओं की विभीषिका एवं भयवहता को कम किया जा सकता है।

जिला प्रशासन सिद्धार्थनगर द्वारा आपदा प्रबन्धन कार्यक्रम के तहत निर्मित जिला आपदा प्रबंधन योजना अन्य विकास कार्यक्रमों की तरह अनिवार्य एवं आवश्यक है। मजबूत व सक्षम प्रशासन के लिए प्रथम पायदान से लेकर ऊपर के स्तर तक ताल–मेल का होना परम आवश्यक है। इस योजना के सूत्रपात, पूर्व तैयारी की प्रकिया और संकट के दौरान सकारात्मक कार्यान्वयन की बचनबद्धता के सम्बन्ध में शंका का कोई कारण नहीं है, क्योंकि यह पूर्ण रूपयेण व्यावहारिक तथा सामाजिक योजना है, जिसे आत्मसात कर विभिन्न प्रकार की आपदाओं से होने वाली क्षति को न्यून किया जा सकता है। इस जनपद में स्वचलित मौसम केन्द्र (ए0डब्ल्यू0एस0) की स्थापना दिनांक 19–05–2010 को मौसम विभाग द्वारा किया गया है जिससे तापक्रम , वर्षा एवं हवा की गति आदि की सही जानकारी जनपदवासियों को प्राप्त होगी।

योजना निर्माण में संलग्न सभी अधिकारी एवं आपदा प्रबन्धन कार्यक्रम से जुड़े अन्य कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूँ, जिनके सम्मिलित प्रयास से इस आपदा प्रबन्धन योजना का प्रकाशन सम्भव हो सका।

(प्रज्ञान राम मिश्रा)

मिथलेश कुमार त्रिवेदी
अपर जिलाधिकारी (वि./रा.)
संयोजक, जिला आपदा प्रबंधन समिति
सिद्धार्थनगर।

फोन नं0 (आफिस)–05544, 221850
फोन नं0 (आवास)–05544, 222174
सी0यू0जी0 नं0–9454417601

सन्देश

आपदा प्रबंधन का अभिप्राय है कि संकट के दौरान कम से कम समय में उपलब्ध मानव संसाधन सामग्री एवं अन्य संसाधनों का अनुकूलतम एवं समुचित प्रयोग करते हुए मानव जीवन, पशुधन एवं अन्य क्षतियों को न्यूनीकृत किया जा सकें।

विगत वर्षो का अनुभव यह बताता है कि सिद्धार्थनगर जिले के 14 विकास खण्ड पूर्ण अथवा ऑशिक रूप से बाढ़ प्रभावित रहे है। शीतलहर, तापघात, ब्रजपात, ओलापात के साथ–साथ आगजनी व सड़क दुर्घटनाएं सामान्य बात हो गयी है, वैज्ञानिकों ने इस जिले को भूकम्प प्रवण जोन में रखा है, जो नुकसान के दृष्टिगत से अति संवेदनशील है।

'' आपदा प्रबन्धन का प्रारम्भ उस समय होता है, जब लोगों में जीवन बचाने को लेकर अफरा–तफरी मची होती है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जाकर लोगों को विश्वास में लेना, उन्हें चिकित्सीय सुविधा, भोजन, अस्थाई आवास, वस्त्र आदि उपलब्ध कराना आपदा प्रबंधन का पहला काम होता है, तत्पश्चात् उनके पुर्नवास एवं क्षतिग्रस्त संरचनाओं व सुविधओं के पुननिर्माण का कार्य आरम्भ होता है, इन कार्यो में जिला प्रशासन, पंचायती राज संगठन तथा स्वैच्छिक संगठनों का प्रभावित समुदाय के बीच राहत एवं बचाव हेतु आपसी समन्वय का होना नितांत आवश्यक है। ऐसी परिस्थिति में हम सबका दायित्व बनता है कि जान–माल की व्यापक क्षति को कम करने हेतु प्रत्येक स्तर पर आपदा पूर्व तैयारी व जबावी योजना का निर्माण व कार्यान्वयन करें।

जिला आपदा प्रबंधन योजना की यह प्रति आपके हाथों में है। जिले के अधीनस्थ सभी संबंधित विभागों व अन्य उपक्रमों से यह अपेक्षा की जाती है कि योजना में वर्णित विन्दुओं को आत्मसात करते हुए पूर्व तैयारी कर कार्य प्रारम्भ कर दें, अपने विभाग में उपलब्ध व आवश्यक संसाधनों की सूची, विभागीय न्यूनीकरण योजना तथा निर्धारित प्रपत्र में संसाधनों की सूची प्रत्येक छः माह पर जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय को भेजें ताकि इस योजना के अद्यतनीकरण के समय उसका समावेश किया जा सकें। साथ ही साथ इस सम्बन्ध में आपके बहुमूल्य विचारों व सुझावें का भी स्वागत है, जो आपदा पूर्व तैयारी व जबावी कार्यवाही का समुन्नत बनाने में मद्द दें सकें।

जिला आपदा प्रबंधन योजना को तैयार करने में श्री उमाकान्त मिश्र, राहत लिपिक, कलेक्ट्रेट का योगदान सराहनीय रहा है, जिन्होने अपने अथक प्रयास से इस योजना में आपदा प्रबन्धन से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं का समावेश किया है। साथ ही साथ जिला प्रशासन व अन्य संगठनों के वे सभी प्रतिनिधि भी बधाई के पात्र है, जिन्होने इस योजना के निर्माण में प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से बहुमूल्य योगदान दिया है। यह योजना प्रकाशित होकर आपदा प्रबंधन कार्य को एक दिशा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है।

(मिथलेश कुमार त्रिवेदी)

जिला योजना की तैयारी में प्रमुख मार्ग दर्शन

1. श्री प्रज्ञान राम मिश्रा (आई.ए.एस.)
   जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला आपदा प्रबन्धन समिति, सिद्धार्थनगर (उ0प्र0)
2. श्री राकेश कुमार
   मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य
   जिला आपदा प्रबन्धन समिति, सिद्धार्थनगर (उ0प्र0)
3. श्री मिथलेश कुमार त्रिवेदी,
   अपर जिलाधिकारी, (वि0रा0)/जिला आपदा अधिकारी एवं संयोजक
   जिला आपदा प्रबन्धन समिति, सिद्धार्थनगर (उ0प्र0)
4. श्री रविन्द्र कुमार रावत, प्रभारी अधिकारी, आपदा, सिद्धार्थनगर (उ0प्र0)

जिला योजना की तैयारी में मुख्य योगदान

1.	सम्पादन एवं प्रकाशन में प्रमुख योगदान	:	श्री उमाकान्त मिश्र, राहत लिपिक कलेक्ट्रेट, सिद्धार्थनगर।
2.	टाइपिंग	:	श्री बन्धू प्रसाद कनिष्ठ लिपिक कलेक्ट्रेट, सिद्धार्थनगर।

(रविन्द्र कुमार रावत)
प्रभारी अधिकारी,
आपदा, सिद्धार्थनगर।

अनुक्रमणिका

भाग			वि ाय वस्तु	पृष्ट संख्या
1.	प्रस्तावना	1.1	जिला आपदा प्रबन्ध समिति की बैठक की कार्यवृति	01—04
		1.2	परिचय।	05—09
		1.3	भौगौलिक स्थिति।	
		1.4	प्राकृतिक बनावट।	
		1.5	नदिया।	
		1.6	मिट्टी।	
		1.7	जलवायु	
		1.8	मुख्य फसले।	
		1.9	यातायात।	
2.	जोखिम आपदा प्रबन्धन परियोजना			10—14
		2.1	आवश्यकता।	
		2.2	उद्देश्य।	
		2.3	आपदाओं का प्रकार।	
		2.4	जिला आपदा प्रबन्धक कमेटी एवं उद्देश्य।	
3.	सिद्धार्थनगर जनपद की रूप रेखा			15—17
		3.1	भौगौलिक स्थिति।	
		3.2	जिले की भूमि का वर्गीकरण।	
		3.3	जिले का प्रशासनिक वर्गीकरण।	
		3.4	जन संख्या विवरण।	
		3.5	वर्षापात—जलवायु—तापमान।	
		3.6	नदियां एवं सिंचाई योजनाएं।	
		3.7	स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता।	
		3.8	विभिन्न उद्योगो की उपलब्धता।	
4.	जिला आपदा नियन्त्रण कक्ष			
		4.1	आवश्यकता।	18—22
		4.2	जिला नियन्त्रण कक्ष का प्रभारी अधिकारी।	
		4.3	नियन्त्रण कक्षा के पद स्थापना।	
		4.4	प्रभारी नियन्त्रण कक्षा हेतु आवश्यक संसाधन।	
		4.5	जांच सूची।	
		4.6	प्रेस विज्ञप्ति	
		4.7	आने वाले संदेशों को दर्ज करने के लिए पंजी का प्रपत्र।	
		4.8	बाहर भेजे जाने वाले संदेशों को दर्ज करने के लिए पंजी का प्रपत्र	
5.	संकट समीक्षा एवं संवेदनशीलता का विवरण			23—59
		5.1	आपदाओं का सामाजिक आर्थिक प्रभाव।	
		5.2	आपदाओं का प्राकृतिक व भौगोलिक प्रभाव।	
		5.3	विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण से विकास खण्ड क्षेत्र विवरण।	
		5.4	आपदाओं के घटित होने का कैलेण्डर।	
		5.5	आपदा का इतिहास।	

		5.6	बाढ़ से प्रभावित होने वाले ग्रामों की तहसीलवार जलस्तर की सूची एव राहत कार्य हेतु नियुक्त कर्मचारी	
		5.7	जनपद के तटबंधों का विवरण।	
6.	क्षमता का संसाधन			60—64
		6.1	आवश्यकता।	
		6.2	स्वास्थ्य विभाग।	
		6.3	अग्निशमन विभाग।	
		6.4	उ0प्र0 राज्य परिवहन विभाग।	
7.	आपदा पूर्व तैयारी जवाबी कार्य योजना			65—72
		7.1	चेतावनी एवं सूचना प्रबन्ध समूह।	
		7.2	खोज बचाव एवं निष्पादन।	
		7.3	बृद्ध विकलांग महिला एवं शिशु सहायता समूह।	
		7.4	प्राथमिक उपचार एवं चिकित्सा समूह।	
		7.5	आश्रय प्रबन्धन समूह।	
		7.6	खाद्य प्रबन्धन समूह।	
		7.7	जल प्रबन्धन समूह।	
		7.8	राहत परामर्श एवं समन्वय संवेदनाा समूह।	
		7.9	क्षति आकलन एवं पुर्नस्थापना समूह।	
		7.10	कार्यो का बटवारा एवं कार्य समूहों के सदस्यों की सूची।	
8.	विभिन्न आपदाओं हेतु न्यूनीकरण योजना			73—92
		8.1	बाढ।	
		8.2	भूकम्प।	
		8.3	अग्नि।	
		8.4	सूखा।	
		8.5	ओला वृष्टि।	
		8.6	ताप घात (लू)।	
		8.7	शीत लहर।	
		8.8	सडक व रेल दुर्घटना।	
9.	सामान्य संचालन पद्धति			93—97
		9.1	सहायता बचाव कार्य में जिला स्तरीय अधिकारियों के कर्त्वय।	
		9.2	जिला नियन्त्रण कक्ष तथा विकास खण्ड नियन्त्रण कक्षे के साथ सम्बन्ध।	
		9.3	सामान्य समय में की जाने वाली गतिविधियां।	
10.	सूचना शिक्षा एवं संचार प्रसारण			98—102
		10.1	सूचनाओं का प्रसारण ।	
		10.2	जागरूकता कार्यक्रम।	
		10.3	प्रशिक्षण की दिशा।	
		10.4	समुदाय आधारित आपदा पूर्व तैयारी एवं मॉक ड्रिल	
		10.5	कार्य दलों का प्रशिक्षण ।	
		10.6	पश्चात् कार्यवाही।	
		10.7	बाढ के समय प्रभावित परिवारों को राहत पहुचाने के लिए पंचायत राज संस्थाओं की भूमिका	
		10.8	जांच सूची	

		10.9	जिला स्तर पर आकडो को सुधार या अद्यतन करने का सयम निर्धारण।	
11.	भारत आपदा संसाधन सूची			103—104
12.	अनुलग्नक			105—108
		12.1	अग्निकांड के पूर्व पश्चात् के कार्य व्यवस्था।	
		12.2	दंगा एवं अन्य हिंसात्मक घटना के पूर्व एवं बाद की कार्यवाही।	
		12.3	ट्रेन/सडक दुर्घटना के सम्बन्धित पूर्व एवं बाढ की कार्य व्यवस्था।	
		12.4	सम्भागीय आपदा से निपटने हेतु कुछ महत्वपूर्ण टेलीफोन नं0	
		12.5	पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के दूरभाष नं0	
13.	विविध सूचनाएं			109—119
		13.1	आश्रय हेतु अस्थायी आश्रय की व्यवस्था।	
		13.2	आवश्यक दूरभाष नम्बर।	
		13.3	बैंक।	
		13.4	पेट्रोल पम्प एवं गैस एजेन्सी उपलब्ध।	
		13.5	सिद्धार्थनगर जनपद में उपलब्ध मनोरंजन विभाग।	
		13.6	बाढ़ शिविरों के नाम।	
		13.7	पत्रकार बन्धु, सिद्धार्थनगर।	
		13.8	मा0 जन प्रतिनिधि।	
		13.9	नावों की उपलब्धता का तहसीदवार विवरण।	
14.	संलग्नक			120—138
		14.1	क्षति एवं सहायता वितरण की स्थिति।	
		14.2	सी0आर0एफ0 मार्गदर्शिका	
		14.3	जिला योजना का अनुमोदन।	
		14.4	भारत आपदा संसाधन केन्द्र नेटवर्क प्रोफार्मा।	
15.	मानचित्र			
		15.1	जनपद का मानचित्र।	139—142
		15.2	नदियों का मानचित्र।	
		15.3	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रवार मानचित्र	
		15.4	फायर स्टेशन का मानचित्र।	

जिला आपदा प्रबन्धन योजना, सिद्धार्थनगर

भाग–1

1.1 श्री प्रज्ञान राम मिश्रा, जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर की अध्यक्षता में दिनांक 23–04–2010 को आयोजित जिला आपदा प्रबन्धन समिति की बैठक की कार्यवृत्तिः–

क्रम	नाम	पद नाम	समिति में पद
1	सर्व श्री प्रज्ञान राम मिश्रा	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	श्री ए0के0 पाण्डेय	अपर पुलिस अधीक्षक प्रतिनिधि पुलिस अधीक्षक	उपाध्यक्ष
3	श्री राकेश कुमार	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
4	श्री मिथलेश कुमार त्रिवेदी	अपर जिलाधिकारी (वि./रा.)	सदस्य/समन्वयक
5	श्री माता प्रसाद पाण्डेय	मा0 विधायक इटवा	विशेष आमंत्री सदस्य
6	श्री राज मणि पाण्डेय	प्रतिनिधि मा0 सांसद डुमरियागंज	विशेष आमंत्री सदस्य
7	श्री अफसर रिजबी	प्रतिनिधि मा0 सदस्य, राज्य सभा	विशेष आमंत्री सदस्य
8	श्री सुरेन्द्र नाथ चौबे	प्रतिनिधि मा0 विधायक खेसरहा	विशेष आमंत्री सदस्य
9	श्री प्रभात शुक्ल	प्रतिनिधि मा0 विधायक नौगढ़	विशेष आमंत्री सदस्य
10	श्री रामचन्द्र पासवान	प्रतिनिधि मा0 विधायक शोहरतगढ़	विशेष आमंत्री सदस्य
11	श्री काशीराम	अधि0 अभि0,लो0नि0वि0,प्रा0खण्ड, सि0नगर	सदस्य
12	श्री बेचन शाह	अधि0अभि0 ड्रेनेज खण्ड	सदस्य
13	श्री लक्ष्मण अहिरवार	जिला कमान्डेन्ट	सदस्य
14	श्री राजकेश्वर	उप जिलाधिकारी नौगढ़	नामित सदस्य/समन्वयक
15	श्री अरूण कुमार	उप जिलाधिकारी बॉसी	
16	श्री आर0एस0पाण्डेय	उप जिलाधिकारी डुमरियागंज	
17	श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय	उप जिलाधिकारी इटवा	
18	श्री जे0आर0 चौधरी	उप जिलाधिकारी शोहरतगढ़	
19	श्री सुरेन्द्र दास	अपर उप जिलाधिकारी नौगढ़	
20	श्री नसीम अहमद हाशमी	जिला पूर्ति अधिकारी	
21	श्री एस0पी0 राम	अधि0 अभि0, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा,	
22	श्री एस0के0 सुल्तानियॉ	अधि0 अभि0 पी0डब्ल्यू0डी0 बॉसी,सिद्धार्थनगर	
23	श्री वी0 बी0 शर्मा	अधि0 अभि0 , सिंचाई निर्माण खण्ड बॉसी	
24	श्री वी0वी0 रमपुरिया	सहा0 अभि0 पी0डब्ल्यू0पी0 इटवा	
25	श्री हृदय नारायण	जिला कार्यक्रम अधिकारी	
26	श्री सकल देव	अधि0 अभि0 सरयू नहर खण्ड़ बॉसी	
27	श्री लल्लन राम	अधि0अभि0 विद्युत	
28	श्री अंगद प्रसाद	अधि0 अभि0 नलकूप	
29	श्री शिवानन्द वर्मा	अधि0अभि0 विद्युत डुमरियागंज	
30	डा0 एस0एस0 थारूर	अपर मुख्य चिकित्साधिकारी सिद्धार्थनगर	
31	श्री अरूण कुमार पाण्डेय	आई0सी0 डी0एस0डब्ल्यू0ओ0	
32	श्री जितेन्द्र सिंह	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	
33	श्री ए0के0 यादव	भूमि संरक्षण अधिकारी सिद्धार्थनगर	
34	श्री राम नरेश यादव	उप प्रभागीय वनाधिकारी सिद्धार्थनगर	
35	श्री एस0एन0प्रसाद	जिला विकास अधिकारी सिद्धार्थनगर	
36	श्री आर0 के0मिश्र	अधि0 अभि0, जल निगम	
37	श्री नजमुल हुदा	वरिष्ठ लिपिक सूचना विभाग	
38	श्री विनोद कुमार	सहायक अभि0, सिंचाई निर्माण खण्ड	
39	श्री मुन्नी लाल	अधि0अधि0 नगर पंचायत डुमरियागंज	
40	श्री ओम प्रकाश गुप्त	अधि0 अधिकारी नगर पंचायत बढ़नी	
41	श्री रविशंकर गुप्ता	लिपिक नगर पालिका परिषद बॉसी	
42	श्री अर्जुन सिंह	प्रशासनिक अधिकारी जिला पंचायत सि0 नगर	
43	श्री भोला नाथ	सहायक अभि0 ड्रेनेज खण्ड	
44	श्री नियाज अहमद	सहायक अभि0 ड्रेनेज खण्ड सिद्धार्थनगर	
45	डा0 एस0के0 श्रीवास्तव	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	
46	श्री उमाकान्त मिश्र	राहत लिपिक	

सर्व प्रथम जिला आपदा प्रबंधन कमेटी सिद्धार्थनगर के सदस्य /समन्वयक अपर जिलाधिकारी (वि./रा) सिद्धार्थनगर द्वारा उपस्थित सदस्यों/अधिकारियों का स्वागत किया गया, तदोपरान्त जिलाधिकारी महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। अपर जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित समिति के सदस्यों/अधिकारियों को अवगत कराया गया कि इस बार बाढ़ एवं सूखा योजना नये क्लेवर एवं दायित्वों का स्पष्ट निर्धारण करते हुए इस प्रकार बनाया जाय जो व्यवहारिक एवं उपयोगी हो।

–:सम्भावित सूखे 2010 से निपटने के लिए कार्ययोजनाः–

1–पेयजल के सभी श्रोतो/संसाधनों का भली प्रकार से मरम्मत एवं पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करनाः– जल निगम सिद्धार्थनगर से अधिशासी अभियन्ता जल निगम उपस्थित है। अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा बताया गया कि ग्रामवार सर्वेक्षण कराया जा रहा है। जिसकी रिपोर्ट शीघ्र ही प्रस्तुत किया जायेग। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि ग्राम/नगर/ब्लाक वार कितने हैण्ड पम्प किस योजना से लगाये गये है उनमें से कितने रिबोर कराने योग्य है, कितने रिबोर कराये जा चुके है कितने अवशेष है तथा कितने खराब है जिन्हें ठीक कराया जा सकता है, की सूची बनाकर एक सप्ताह में उपलब्ध कराये। हैण्ड पम्पों के छोटे–मोटे खराबी/समस्याओं पंचायत विभाग एवं अधिशासी अधिकारी नगर पालिका स्वयं ठीक करावें तथा बड़े खराबी जल निगम द्वारा ठीक कराया जाय। जिला पंचायत राज अधिकारी इस सम्बन्ध में एक सिस्टम विकसित करे मात्र ग्राम प्रधानों पर हैण्ड पम्पों को ठीक कराने की जिम्मेदारी न छोड़े यह स्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक है। सभी हैण्ड पम्पों को शत–प्रतिशत ठीक कराये जिससे आम जनता को सुचारू रूप से पानी की व्यवस्था हो सकें।

कार्य0(अधि0अभि0 जल निगम/अधि0अधिकारी अर्बन/जिला पंचायत राज अधिकारी)

2–पेयजल संकट की स्थिति में टैंकर से पेयजल आपूर्ति किया जानाः–इस सम्बन्ध में बताया गया कि बन विभाग, नगर पालिका बॉसी, शोहरतगढ़ तथा सिद्धार्थनगर में टैंकर उपलब्ध है। जिनसे आवश्यकता पड़ने पर पानी आपूर्ति की व्यवस्था किया जायेगा।

कार्यवाही(अधि0अधिकारी अर्बन)

3–पेयजल के कुँओं को आवश्यकतानुसार गहरा कराया जाना :–सी0एम0ओ0 ग्रामवार कुओं/नलों की सूची के साथ यह अवगत कराये कि किन–2 तिथियों में कुओं/नलों को विसंक्रमित किया गया है, तथा किन कुओं/नलों को गहरा किये जाने की आवश्यकता है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि कुओं को गहरा करने से सम्बन्धित सूची जिला विकास अधिकारी को उपलब्ध कराते हुए एक प्रति मुझे भी उपलब्ध कराया जाय। मुख्य चिकित्साधिकारी रोगो से बचाव के सम्बन्ध में क्या करें, क्या न करें, सम्बधित पम्पलेट छपवा कर आम जनता में प्रचार–प्रसार कराना सुनिश्चित करें, जिससे पानी की बर्बादी न हो तथा आम जनता को शुद्ध जल पीने को प्राप्त हो सकें। विभिन्न क्षेत्रों में बीमारियॉ फैल रही है, चिकन फाक्स फैल रहा है। इन बीमारियों के बचाव हेतु तत्काल आवश्यक कदम उठाये जाय। डाक्टरों की तीन टीमें हमेशा तैयार रखी जाय, जिससे हैजा आदि बीमरियों की सूचना मिलते ही मौके पर जाकर तत्काल दवा आदि प्रारम्भ हो सकें। **कार्य0(सी.एम.ओ./जिला विकास अधिकारी)**

4–पशुओं को पेयजल संकट के निवारण हेतु सिंचाई विभाग की नहरों एवं नलकूपों के माध्यम से/निजी नलकूपों के माध्यम से तालाब/पोखरे भरवाना :–जल संग्रहण श्रोतों को भरवाने हेतु हर सम्भव प्रयास किया जाय, जिससे तालाब पोखरों एवं नहरों में पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध रहें। जिससे पशु आदि आसानी से पानी पी सकें। अधिशासी अभियन्ता नलकूप द्वारा बताया गया कि जनपद में ऐसे 90 ग्राम है जहॉ तालाब/पोखर नलकूप के पास है। जिनमें पानी भरने का आदेश दिया गया है। सहायक अभि0 ड्रेनेज खण्ड द्वारा बताया गया कि मेरे क्षेत्राधिकार में बानगंगा नहर प्रणाली एवं जमींदारी नहर प्रणाली है। जिनमें इस समय पानी उपलब्ध नही है। वर्षा होने पर ही इन नहरों में पानी डाला जा सकता हैं उप जिलाधिकारी इटवा द्वारा बताया गया कि इटवा, डुमरियागंज तथा बॉसी में सरयू नहर कैनाल से सिंचाई कार्य होता है। यदि दो दिन नहर चालू कर दिया जाय तो पानी की पर्याप्त व्यवस्था हो जायेगी। जिलाधिकारी महोदय ने निर्देशित किया कि हर हाल में आम जनता के उपयोग हेतु सूखे तालाबों में पानी की व्यवस्था कराई जाय। जहॉ पर नहर या नलकूप से पानी की व्यवस्था नही हो पा रही है उन ग्रामों में ग्राम प्रधानों से सामंजस्य स्थापित कर निजी नलकूपों/पम्पसेटों से पोखरों/तालाबों में पानी 10 दिन के अन्दर भरवा कर उसकी सूची जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाय। अधि0 अभि0 ड्रेनेज खण्ड जो सिंचाई विभाग के समन्वयक भी है, सरयू नहर कैनाल के अधिकारियों से वार्ता कर इटवा, डुमरियागंज एवं बॉसी तहसीलों के तालाबों/पोखरों में पानी भरवाना सुनिश्चित करें तथा प्रतिदिन की स्थिति से अवगत भी करावें। अधि0 अभि0 विद्युत रोस्टर के अनुसार विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करते हुए नलकूपो/आम जन के खराब ट्रांसफर्मरों को 24 घण्टे के अन्दर बदलना सुनिश्चित करें। लो बोल्टेज वाले नलकूपों पर पर्याप्त बोल्टेज की विद्युत सप्लाई व्यवस्था कर इसकी संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त रिपोर्ट दोनों अधिशासी अभियन्ता दिनांक 05–05–2010 तक प्रस्तुत करें। उप जिलाधिकारीगण स्वयं सेवी संस्थाओं से अनुरोध कर शहरी क्षेत्रों /बड़े चौराहों/बस स्टैण्डों पर प्याऊ की व्यवस्था करावें, तथा ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित कर ले जहॉ पशुओं को पेयजल की समस्या पैदा हो रही है। उक्त की सूची सम्बन्धित अधि0 अभियन्ताओं को उपलब्ध कराकर पानी की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाय।

कार्य0(उप जिलाधिकारी/अधि0अभि0ड्रेनेज/अधि0अभि0विद्युत/सरयू नहर/जल निगम/नलकूप)

5–सिंचाई के सभी संसाधनों के साथ सरकारी नलकूपों को चालू हालत में रखना विशेष रूप से नहरों को रोस्टर के अनुसार चलाना सुनिश्चित करना :– इसमें सभी सरकारी नलकूपों को चालू हालत में रखने के साथ उनका अधिकतम डिस्चार्ज सुनिश्चित करना तथा नहरों में रोस्टर के अनुसार टैल एण्ड तक सिंचाई हेतु पानी का डिस्चार्ज सुनिश्चित करना। नलकूपों एवं नहरो का रोस्टर/विद्युत आपूर्ति का रोस्टर उपलब्ध करावें। साथ ही साथ नलकूप बन्द या चालू हालत में है तथा उसमें क्या कमी है तथा किसके द्वारा ठीक किया जाना है। इस सम्बन्ध में अवगत भी करावें। अधि0 अभि0 नलकूप द्वारा बताया गया कि जनपद में 309 नलकूप है, जिसमें 14 विद्युत दोष के कारण एवं 02 यांत्रिक खराबी से बन्द है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि अधि0 अभियन्ता विद्युत तत्काल विद्युत दोष दूर करावें। अधि0 अभि0 नलकूप यांत्रिक खराबी ठीक कराते हुए एक वार पुनः ग्रामवार सर्वे कराकर सूचना उपलब्ध कराये । **कार्य0(अधि0 अभि0 ड्रेनेज/सिंचाई निर्माण /नलकूप/विद्युत)**

6–खराब नलकूपों को समय से मरम्मत सुनिश्चित करना :– अधिशासी अभियन्ता नलकूप खराब नलकूपों को समय से ठीक कराया जाय, जिससे सिंचाई कार्य वाधित न होने पावे तथा तालाबों एवं गड्ढ़ों को पानी से भरा जा सके। **कार्य0(अधि0अभि0नलकूप)**

7– नलकूपों/निजी पम्पसेटों के लिए ऊर्जा व डीजल की उपलब्धता सुनिश्चित करनाः–जिला पूर्ति अधिकारी प्रत्येक पेट्रोल पम्प पर पर्याप्त मात्रा में डीजल की उपलब्धता सुनिश्चित करावें तथा अधिशासी अभियन्ता विद्युत रोस्टर अनुसार विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करावें। **कार्य0(डी0 एस0ओं0/अधि0 अभि0 विद्युत)**

8– सिंचाई विभाग द्वारा नहरों के अवैध कटान पर कड़ी निगरानी, इस कार्य में जिला पुलिस का सहायोग महत्वपूर्ण हैः– अधि0 अभि0 ड्रेनेज, पुलिस एवं राजस्व विभाग से समन्वय स्थापित कर उपरोक्त व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। **कार्य0(अधि0 अभि0 ड्रेनेज/सरयू नहर /पुलिस अधीक्षक/उप जिलाधिकारी)**

9– रोस्टर के अनुसार निर्धारित समय में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करनाः–अधि0 अभि0 विद्युत द्वारा बताया गया कि सभी ट्रांसफार्मर चल रहें हैं जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि पूरे जनपद में रोस्टर के अनुसार विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करते हुए नलकूपों/आम जन के खराब ट्रांसफार्मरों को अविलम्ब बदलवाने की व्यवस्था करें, जिससे सूखे के समय पानी का संकट उत्पन्न न होने पाये। लोटन सर्किल में अविलम्ब विद्युत व्यवस्था बहाल कर अवगत करावें । **कार्य0(अधि0 अभि0 विद्युत)**

10–खराब ट्रान्सफार्मर निर्धारित समय के अन्दर बदलनाः– अधिशासी अभियन्ता विद्युत प्राथमिकता के आधार पर नलकूपों के खराब ट्रान्सफार्मर 24 घण्टे के अन्दर बदलवाना सुनिश्चित करावें, जिससे आम जनता को पेय जल आदि हेतु कठिनायी न उठानी पड़े।

11–पशुओं के चारे एवं चारागाह की व्यवस्था करनाः–जिला पशुधन अधिकारी भूसा एवं हरा चारा की आपूर्ति के सम्बन्ध में विभागीय एवं शासकीय निर्देशों के अनुसार रेट निर्धारित करा लें, जिससे आपदा काल मे आपूर्ति तत्काल प्राप्त हो सकें। जिला पशुधन अधिकारी द्वारा बताया गया कि बड़े कृषकों से वार्ता किया गया है, जो आवश्यकता पड़ने पर भूसा/हरा चारा उपलब्ध करायेंगे। जिलाधिकारी महोदय द्वारा कहा गया कि यह पर्याप्त नहीं है। उन कृषकों की सूची उपलब्ध कराया जाय। जिनके पास भूसे का स्टाक है, तथा मॉग करने पर वे कृषक कितना भूसा उपलब्ध करायेंगे, इस सम्बन्ध में बड़े कृषकों से अण्डर टेकिंग प्राप्त कर पत्रावली में सुरक्षित रखा जाय। **कार्य0(जिला पशुधन अधिकारी)**

12–ग्रीष्मकाल में चरी में सायनाइड विष उत्पन्न होने की सम्भावना के मद्देनजर इससे बचाव के उपायों काव्यापक प्रचार करना व पशु चिकित्सालयों में उपचार के साधन व व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना :–जिला पशुधन अधिकारी पशु सेवा केन्द्रों एवं वॉयफ् केन्द्रों से सम्न्वय कर पूरे जनपद में प्रचार प्रसार करावे, कि कौन सी विधि अपनाने से साइनाईड विष से हरे चारे को बचाया जा सकता है तथा जिसमें साइनाईड विष उत्पन्न हो गया है उसकी पहचान कर बचा जा सकता है। **कार्य0(जिला पशुधन अधिकारी)**

13–मनुष्यों एवं पशुओं को लू, संक्रामक रोगों व महामारियों से बचाने के लिये आवश्यक निषेधात्मक कार्यवाही एवं सघन चिकित्सा व्यवस्था किया जानाः– इस सम्बन्ध में डिप्टी सी0एम0ओ0 द्वारा बताया गया कि प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्र पर लू, संक्रामक रोग/महामारियों से बचाव हेतु तथा सर्पदंश एवं एण्टी रेबीज की दवा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराई जा चुकी हैं जिला पशुधन अधिकारी द्वारा बताया गया कि पशुओं के टीकाकरण हेतु टीका पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। जिससे शीघ्र ही पशुओं का टीकाकरण प्रारम्भ कर दिया जायेगा। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि केन्द्र वार दवाओं एवं स्टाक की सूची जिला आपदा प्रबंधन केन्द्र के साथ–2 जन प्रतिनिधियों को भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

कार्य0(सी0एम0ओ0/जिला पशुधन अधिकारी)

14–आकस्मिकता हेतु आवश्यक खाद्यान्न एवं उपभोक्ता वस्तुओं की व्यवस्था किया जानाः– आपदा काल में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध न होने के कारण मजदूरों के सम्मुख रोजी–रोटी का संकट उत्पन्न हो जाता है। उसके समाधान हेतु गरीबों को आवंटित खाद्यान की उपलब्धता एवं वितरण पर सतर्क नजर रखी जाय तथा उसका निरीक्षण भी समय–समय पर कराया जाय। जिससे भुखमरी की स्थिति न उत्पन्न होने पाये।

कार्य0(सी.डी.ओ./एस.डी.एम./डी.एस.ओ.)

15–खेतिहर मजदूरों व अन्य जरूरतमद लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करनाः– आपदा काल में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु मनरेगा एवं अन्य योजनाओं से रोजगार के अवसर उपलब्ध करायें । जिससे भूखमरी की स्थिति उत्पन्न न होने पाये।

कार्य0(सी.डी.ओ./ जिला पंचायत राज अधिकारी/अधि0अभि0ड्रेनेज/सिंचाई निर्माण/लोक निर्माण)

16–समाज विरोधी तत्वों एवं उनकी कार्यवाहियों पर नियंत्रण रखनाः– सूखा काल में दबंग/गोल बन्द किस्म के व्यक्ति नलों/हैण्ड पम्पों/कुँओं से पानी लेने तथा मवेशियों को तालाबों आदि में जाने से रूकावट पैदा करते है। ऐसी स्थिति में सूचना मिलने पर त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही आवश्यक हो जाती है। जिससे आम जन निर्भीकता पूर्वक पानी का इस्तेमाल कर सकें।

कार्य0(अपर पुलिस अधीक्षक/अपर जिलाधिकारी (वि./रा.)/एस.डी.एम.)

17–निराश्रितों, वृद्धों, बच्चों एवं महिलाओं को आवश्यक सहायता उपलब्ध करना तथा यह भी सुनिश्चित करना की कुपोषण की स्थिति उत्पन्न न होने पावें:– किसी भी आपदा के समय यही लोग सर्वाधिक प्रभावित होते है। इनके कल्याण हेतु प्रत्येक स्तर पर एक टास्क फोर्स का गठन कर विस्तृत कार्ययोजना एक सप्ताह में प्रस्तुत किया जाय।

कार्य0(मुख्य विकास अधिकारी/एस.डी.एम./जिला समाज कल्याण अधिकारी/बाल विकास अधिकारी)

18–मृदा में नमी संरक्षण के उपायों का प्रचार–प्रसार करना एवं वर्षा जल संग्रहण/संचयन हेतु जन समुदायों/संगठनों को प्रेरित करनाः–उक्त के सम्बन्ध में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से नुक्कड़ सभाओं का आयोजन कर एवं पम्पलेटों/हैण्ड बिलों के माध्यम

से मृदा में नमी संरक्षण का प्रचार प्रसार कराया जाय। जिला कृषि अधिकारी उपरोक्त कार्य पूर्ण करते हुए कृत कार्यवाही की एक प्रति जिला आपदा प्रबंधन केन्द्र के साथ–2 जन प्रतिनिधियों को भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
कार्य0(जिला कृषि अधिकारी)

19–फसलों में रोग से बचाव हेतु कीटनाशक दवाओं की समुचित व्यवस्था करनाः– जिला कृषि अधिकारी, कृषि रक्ष इकाईयों के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में फसलों को रोग से बचाने एवं कीटनाशक दवाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करावें तथा इकाईवार उपलब्ध दवाओं/ कीटनाशकों की सूची भी उपलब्ध करावें।

कार्य0 (जिला कृषि अधिकारी)

20–वैकल्पिक फसलों के साथ खाद एवं बीज की समुचित प्रबन्ध किया जानाः– सूखा के दौरान ऐसी फसलों का चयन किया जाय जो सूखा की दशा में भरपूर उत्पादन प्राप्त हो सके, उक्त का बीज कृषकों को उपलब्ध कराया जाय तथा उनकों तकनीकी ज्ञान भी उपलब्ध कराया जाय। **कार्य0(जिला कृषि अधिकारी)**

21– यह भी सुनिश्चित करना कि रोजगार के अभाव में भूखमरी की स्थिति न उत्पन्न होः– आपदा काल में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध न होने के कारण मजदूरों के सम्मुख रोजी–रोटी का संकट उत्पन्न हो जाता है। उसके समाधान हेतु गरीबों को आवंटित खाद्यान की उपलब्धता एवं वितरण पर सतर्क नजर रखी जाय तथा मनरेगा के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जाय। जिससे भुखमरी की स्थिति न उत्पन्न होने पाये। **कार्य0(सी.डी.ओ./एस.डी.एम./डी.एस.ओ.)**

22– कार्यदायी संस्थाओं द्वारा पिछले 05 साल के आवंटित बजट से कराये जाने वाले कार्यो का विवरण परियोजनावार उपलब्ध कराया जायः–जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि पिछले पॉच वर्षो में निर्माण कार्यो हेतु विभागवार प्राप्त सम्पूर्ण धनराशि का विवरण परियोजनावार/कार्यवार मा0 जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराते हुए उसकी एक प्रति इस कार्यालय को भी उपलब्ध करावें।

कार्य0(मुख्य विकास अधिकारी/समस्त अधिशासी अभियन्ता/अपर मुख्य अधिकारी)

23–समस्त सम्बन्धित विभाग द्वारा अपने विभाग से सम्बन्धित सूखा प्रबंध योजना की विस्तृत कार्ययोजना जिसमें आपात की स्थिति से निपटने के लिए उनके विभागीय संसाधन, अधिकारियों/ कर्मचारियों के दायित्वों का निर्धारण एवं आपातकालीन दूरभाष नम्बर (ड्यूटी चार्ट सहित) एवं समस्त विभागीय अधिकारियों/ कर्मचारियों के इमरजेंसी दूरभाष नम्बर का विवरण हो, की प्रति उपलब्ध कराना। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि जनपद के ऐसे सभी विभाग, की बाढ़ के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका होती है, द्वारा विस्तृत योजना (इमरजेन्सी सपोर्ट फक्शन) तैयार करना। इस ई0एस0एफ0 में विभाग द्वारा क्या जिम्मेदारी निभायी जायेगी, और इसकी क्या प्रकिया होगी व किस अधिकारी द्वारा क्या कार्य किया जायेगा का विस्तृत उल्लेख होगा। प्रत्येक विभाग की ई0एस0एफ0 अन्य विभागों एवं जिला नियंत्रण कक्ष में रखना ताकि आपदा आने पर कार्यवाही तुरन्त एवं अविलम्ब प्रारम्भ हो सकें।
कार्य0(समस्त कार्यालयाध्यक्ष जनपद सिद्धार्थनगर)

(मिथलेश कुमार त्रिवेदी)
अपर जिलाधिकरी (वि0/रा)
सिद्धार्थनगर ।

प्रस्तावना

1.2 परिचयः–

जिले का इतिहास भगवान गौतम बुद्ध के जीवन से जुडा हुआ है। इनके पिता शुद्धोधन की राजधानी कपिलवस्तु इसी जिले में है। इस जनपद का नामकरण गौतम बुद्ध के बाल्यावस्था के नाम राज कुमार सिद्धार्थ के नाम पर हुआ है। अतीत काल में वनों से आच्छादित हिमालय की तलहटी का यह क्षेत्र साकेत अथवा कौशल राज्य का हिस्सा था। ईसा पूर्व छठी शताब्दी में शाक्यों ने अपनी राजधानी कपिलवस्तु में बनायी और यहां एक शक्तिशाली गणराज्य की स्थापना की। काल के थपेड़े से यह क्षेत्र फिर उजाड़ हो गया। अंग्रेजी शासन में अंग्रेज जमीदारों ने यहां पर पैर जमाया। सन् 1865 में गोरखपुर से पृथक बस्ती जिले के सृजन के बाद यह क्षेत्र बस्ती जिले में आ गया। कपिलवस्तु की खोज के बाद 29 दिसम्बर 1988 को राजकुमार सिद्धार्थ के नाम पर जनपद–बस्ती के उत्तरी भाग को पृथक कर सिद्धार्थनगर जिले का सृजन किया गया।

गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं इसी क्षेत्र में घटित हुई। कपिलवस्तु में शाक्यों का राज प्रसाद और बुद्ध के काल में निर्मित बौद्ध बिहारों का खण्डहर तथा शाक्य मुनि के अस्थि अवशेष पाये गये है।

प्रशासन

सिद्धार्थनगर जनपद पूर्व में बस्ती जिले का हिस्सा था। बस्ती के बांसी, नौगढ़ और डुमरियागंज तहसीलों को काटकर 29 दिसम्बर 1988 को पृथक प्रशासनिक इकाई का सृजन किया गया। सृजन के सयम यह जनपद गोरखपुर कमिश्नरी में समाहित था। कुछ सयम यह जनपद देवी पाटन मण्डल में भी रहा। वर्ष 1997 में बस्ती में कमिश्नरी स्थापित होने के बाद यह बस्ती मण्डल में आ गया। व र्ा 1990 में जिले में इटवा तथा 1997 में शोहरतगढ़ तहसील के सृजन के बाद इस समय जिले में कुल पांच तहसीलें, 14 विकास खण्ड–1015 ग्राम पंचायतें तथा 152 न्याय पंचायतें है। सिद्धार्थनगर जिले में कुल 2363 आबाद एवं 182 गैर आबाद ग्राम है। बांसी व सिद्धार्थनगर दो नगर पालिकाएं तथा शोहरतगढ़, बढनी व डुमरियागंज एवं उसका बाजार नाम के चार नगर पंचायतें है। जिले में कुल 18 पुलिस स्टेशन है। तहसीलों का संक्षिप्त परिचय निम्नवत् है।

तहसील	मुख्यालय से दूरी	विकास खण्ड	मुख्यालय से दूरी
नौगढ़	0किमी0	नौगढ़	0 किमी0
		लोटन	25 किमी0
		बर्डपुर	12 किमी0
		उसका	12 किमी0
		जोगिया	10 किमी0
शोहरतगढ़	25किमी0	शोहरतगढ़	25 किमी0
		बढ़नी	44 किमी0
बांसी	22किमी0	बांसी	22 किमी0
		खेसरहा	37 किमी0
		मिठवल	26 किमी0
डुमरियागंज	55किमी0	डुमरियागंज	55 किमी0
		भनवापुर	65 किमी0
इटवा	52किमी0	इटवा	52 किमी0
		खुनियांव	42 किमी0

नौगढ़–

वर्तमान में जिला मुख्यालय की इस तहसील का सृजन 1955 में हुआ था। उस समय क्षेत्र बस्ती जिले का हिस्सा था। मौजूदा तहसील के अन्तर्गत बर्डपुर, लोटन, उस्का बाजार, नौगढ़ व जोगिया कुल पाँच विकास खण्ड हैं। नौगढ़ में ही भगवान गौतम बुद्ध की पैतृक राजधानी कपिलवस्तु स्थित है। महात्मा बुद्ध की जन्म स्थली लुम्बिनी भी तहसील की उत्तरी सीमा पर नेपाल राज्य में स्थित है। नौगढ़ के उत्तर में नेपाल राज्य, पूर्व में महाराजगंज जनपद, पश्चिम में शोहरतगढ़ तथा दक्षिण में बाँसी तहसील की सीमा है। इस तहसील का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 762 वर्ग किलोमीटर है।

बाँसी–

बाँसी तहसील जिले की पुरानी तहसील है। बाद में इसी से काट कर नौगढ़ तहसील का सृजन हुआ था। सम्प्रति इस तहसील में खेसरहा, बाँसी तथा मिठवल विकास खण्ड सम्मिलित हैं। बाँसी तहसील के पूर्व और दक्षिण में बस्ती जिले की सीमा है। दक्षिण पश्चिम में क्रमशः डुमरियागंज व इटवा तहसीलें तथा उत्तर पश्चिम में शोहरतगढ़, उत्तर में नौगढ़ तहसील स्थित है। इस तहसील का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 566 वर्ग किलोमीटर है।

डुमरियागंज–

डुमरियागंज तहसील भी जिले की पुरानी तहसील है। इस में डुमरियागंज एवं भनवापुर विकास खण्ड सम्मिलित हैं। इस तहसील के पश्चिम में बलरामपुर व गोण्डा, दक्षिण में बस्ती तथा उत्तर में इटवा व पूर्व में बाँसी तहसील स्थित हैं। इस क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्रफल 592 वर्ग किलोमीटर है।

इटवा–

इटवा तहसील का सृजन भी जनपद के सृजन के बाद 1990 में डुमरियागंज तहसील के गॉवों को काट कर हुआ है। इस तहसील में इटवा और खुनियाँव विकास खण्ड सम्मिलित हैं। तहसील की सीमा उत्तर में शोहरतगढ़, दक्षिण में डुमरियागंज, पूर्व में बाँसी तहसील की सीमाओं से मिलती है। पश्चिम में बलरामपुर जिले की सीमा है। इस तहसील का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 538 वर्ग किलोमीटर है।

शोहरतगढ़–

शोहरतगढ़ तहसील का सृजन व र्ा 1997 में नौगढ़ तहसील के गावों को काट कर किया गया है। इस तहसील के अन्तर्गत मुख्य रूप से शोहरतगढ़ व बढ़नी विकास खण्ड है। शोहरतगढ़ के उत्तर में नेपाल राज्य, दक्षिण में इटवा तहसील, पूर्व में नौगढ़ तथा पश्चिम में बलरामपुर जिले की तुलसीपुर तहसील है। इस तहसील का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 400 वर्ग किलोमीटर है।

आवासीय क्षेत्र–

जनपद में दो नगर पालिका एवं चार नगर पंचायतें है। जिनका विवरण निम्न प्रकार से है–

क्षेत्र	स्थानीय निकाय	जनसंख्या (2001 के अनुसार)
सिद्धार्थनगर	नगर पालिका	21915
बांसी	नगर पालिका	35628
शोहरतगढ़	नगर पंचायत	8336
बढनी	नगर पंचायत	11824
डुमरियागंज	नगर पंचायत (गठन 10–01–2008)	26561
उसका बाजार	नगर पंचायत (गठन 1–07–2009)	20078

जनसंख्याः–

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या 20,38,598 है। इसमें 10,47,573 पुरूष तथा 9,91,025 स्त्रियाँ हैं। आंकड़ों के अनुसार तहसील नौगढ़ के ग्रामीण जनसंख्या 4,54,668 हैं। इनमें 234626 पुरूष व 2,18,242 स्त्रियाँ हैं। बाँसी तहसील में ग्रामीण जनसंख्या 4,42,339 है। यहाँ पुरू ा 224655 व स्त्रीयाँ 217684 है। डुमरियागंज तहसील की ग्रामीण जनसंख्या 382667 है। इनमें पुरूष 196539 व स्त्रियाँ 186128 हैं। इटवा तहसील में कुल जनसंख्या 371337 है। यहाँ पुरूष 189682 व स्त्रियाँ 181655 है। शोहरतगढ़ तहसील में ग्रामीण जनसंख्या 309884 है। इनमें पुरूष 159539 व स्त्रीयाँ 150345 हैं। जिले में नगरीय जनसंख्या सिद्धार्थनगर, बाँसी नगर परिषदों व बढ़नी व शोहरतगढ़ व डुमरियागंज तथा उसका बाजार नगर पंचायतों में हैं। वर्ष 2001 में सिद्धार्थनगर नगर परिषद की आबादी 21915 थी। इसमें पुरूष 11556 व स्त्रीयाँ 10329 हैं। इसी प्रकार बाँसी की जनसंख्या 35628 है। इसमें पुरूष 18599 व स्त्रियाँ 17029 हैं। शोहरतगढ़ नगर पंचायत की जनसंख्या 8336 है इनमें पुरूष 4299 व सित्रियाँ 4037 हैं। नगर पंचायत बढ़नी की जनसंख्या 11824 है। इसमें पुरूष 6248 व स्त्रीयाँ 5576 हैं। नगर पंचायत डुमरियागंज की जनसंख्या 26561 है। नगर पंचायत उसका की जनसंख्या 20078 है। वर्ष 2001 की जनगणना में जिले में 0–6 वर्ष तक के बच्चों की जनसंख्या 4,17,771 थी। इसमें 2,12,835 बालक तथा 2,04,936 बालिकाएं हैं। वर्ष 1991 से 2001 तक के दशक में जनसंख्या का वृद्धि दर जिले में 26.78 प्रतिशत रहा है। वर्ष 2001 में जनगणना के अनुसार सिद्धार्थनगर जिले की जनसंख्या प्रदेश की जनसंख्या का 1.23 प्रतिशत थी। वर्ष 1991 में यह प्रतिशत 1.22 था। जिले में वर्ष 2001 की जनगणना में लिंग अनुपात प्रति हजार पुरूष पर स्त्रीयों की संख्या 946 पाई गई। वर्ष 1991 की जनगणना में यह संख्या 912 थी। जिले में जनसंख्या का घनत्व वर्ष 2001 की जनगणना में 741 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। वर्ष 1991 की जनगणना की जनसंख्या का घनत्व 584 व्यक्ति प्रति वर्ग किलो मीटर था। जनसंख्या के आकार के आधार पर जिले का वर्ष 2001 में प्रदेश में 42 वॉ स्थान था। इसी प्रकार लिंगानुपात मामले में 14वॉ जनसंख्या के घनत्व के मामलों में 32 वॉ स्थान था।

जनसंख्या में दशकीय वृद्धि प्रतिशत उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1901 से 1911 के दशक में 0.85, 1911 से 1921 के दशक में 7.94, वर्ष 1931 से 1941 के दशक में 5.18, वर्ष 1941 से 1951 के दशक में 9.24, वर्ष 1951 से 1961 के दशक में 6.03, वर्ष 1961 से 1971 के दशक में 13.18, वर्ष 1971 से 1981 के दशक में यह वृद्धि 19.42 प्रतिशत रही है। वर्ष 1981 से 1991 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि दर 23.63 प्रतिशत रिकार्ड की गई है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुपातिक आकलन के आधार पर जनपद सृजन के समय वर्ष 1988 में इस क्षेत्र की कुल जनसंख्या 13,63,393 थी। वर्ष 1991 में हुई जिले के सृजन के बाद पहली जनगणना में यहाँ की जनसंख्या 16,18,932 थी। इसमें 8,46,877 पुरूष व 7,72,055 स्त्रियाँ थी।

साक्षरता–

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जिले में साक्षरता का प्रतिशत 43.97 है। यहाँ पुरूष साक्षरता का प्रतिशत 58.68 प्रतिशत तथा स्त्री साक्षरता का प्रतिशत 28.35 है। वर्ष 1991 की जनसंख्या में जिले की साक्षरता मात्र 27.16 प्रतिशत है। इसमें पुरूष साक्षरता 40.92 प्रतिशत तथा स्त्री साक्षरता 11.95 प्रतिशत थी। वर्श 2001 के आंकड़े के अनुसार नौगढ़ तहसील की ग्रामीण जनसंख्या में साक्षरों की संख्या 162787 थी। बाँसी में 155508, डुमरियरगंज में 142719, इटवा में
106861 तथा शोहरतगढ़ तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरों की कुल संख्या 99925 है। नगरीय क्षेत्रों में सिद्धार्थनगर कस्बे में 13607, बाँसी में 19239, बढ़नी में 7043 तथा शोहरतगढ़ कस्बे में 4961 साक्षर हैं। इस प्रकार 2001 में जिले में कुल साक्षरों की संख्या 712648 है। इनमें 489794 पुरूष तथा 222854 स्त्रियाँ हैं।

1.3 भौगोलिक स्थितिः–

स्थिति एवं सीमा विस्तारः–

सिद्धार्थनगर जनपद में बस्ती मण्डल में अवस्थित है। जनपद का विस्तार 27–7′ और 27–31′ उत्तरी आक्षाँस तथा 82–11′ व 83–8′ पूर्वी देशान्तर के मध्य है। जिले के उत्तर में नेपाल राज्य पूरब में महाराजगंज, दक्षिण में बस्ती तथा पश्चिम में बलरामपुर की सीमाएँ हैं। दक्षिण पश्चिम कोण पर गोण्डा जिले की सीमा भी जिले से लगती है। नेपाल राज्य से लगी जिले की सीमा लगभग 76 किलोमीटर है। दक्षिण में बस्ती जिले की सीमा रूधौली पुल से उत्तर कपिलवस्तु तक जिले की उर्ध्वाधर लम्बाई लगभग 65 किलोमीटर है। जिले का आकार हथेली की तरह है।

क्षेत्रफलः–

सृजन के समय जिले का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 2999 वर्ग किलामीटर था। यह प्रदेश के क्षेत्रफल का 1.2 प्रतिशत था। पुर्नसीमांकन के फलस्वरूप अब जिले का क्षेत्रफल 2956 वर्ग किलोमीटर है। इसमें से 2926.3 वर्ग किलोमीटर ग्रामीण क्षेत्र है तथा 29.7 वर्ग किलोमीटर नगरीय क्षेत्रफल है।

1.4 प्राकृतिक बनावटः–

जिले की भौगोलिक संरचना एक कटोरे की भाँति है। इसका मध्य भाग पूरब की ओर छाल लिए कुछ गहरा है। इससे वर्षा के दिनों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भूपरिस्थितियों के अनुसार जिले को तीन भागों में बाँटा जा सकता है।

1– उत्तर का कछारी भागः–

बूढ़ी राप्ती नदी के उत्तर का हिस्सा इस भाग में आता है। उत्तरी कछारी भाग की ढलान उत्तर–पश्चिम से पूर्व की ओर है। नदियों, नालों के किनारों की भूमि को छोड़कर इस भू–भाग की मिट्टी मटियार दोमट किस्म की है। नौगढ़ का प्रसिद्ध काला नमक चावल वास्तव में इसी भूभाग में पैदा होता रहा है।

2– राप्ती का दोआबा क्षेत्रः–

इस भाग में मुख्य रूप से राप्ती और बूढ़ी राप्ती के मध्य का दोआबा क्षेत्र का भूस्तर आता है। दोआबा क्षेत्र का भूस्तर उत्तर के कछारी भाग से नीचा है। यहाँ की मिट्टी की संरचना नदियों और नालों द्वारा ऊपर से बहाकर लायी गई मिट्टी से हुआ है। इसमें कहीं–कहीं बलुआर और दोमट मिट्टी पायी जाती है।

3– उपरहरः–

जिले की दक्षिण सीमा पर राप्ती नदी के दाहिने किनारे पर स्थित इस भाग का ढलान उत्तर से दक्षिण पूर्व की ओर है। जिले का यह भाग अपेक्षाकृत अधिक उपजाऊ है। इस भाग में मिट्टी की संरचना दोमट है। भौगोलिक स्थिति अनुकूल होने के कारण इस क्षेत्र में अधिकाँश भूमि दो फसली है।

1.5 नदियाँः–

नदियाँ एवं जलाशयः–

जिले की प्रमुख नदियाँ राप्ती, बूढ़ी राप्ती, बानगंगा, कूड़ा और घोंघी है। जमुआर, तिलार फजिहतवा, परासी, सोतवा, घोरही, चरगहवा, बूधा और डोइया आदि प्रमुख नाले हैं जो सामान्य दिनों में अप्रवाहशील होते हुए भी वर्षा ऋतु में विशाल नदी का रूप धारण कर लेते हैं। इन सभी नदियों और नालों के प्रवाह की दिशा सामान्य तौर पर पश्चिम से पूर्व की दिशा अथवा उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर है। पहाड़ी नालों का प्रवाह उत्तर से दक्षिण की ओर है।

1– राप्तीः–

राप्ती नदी का उदगम बहराइच जिले के निकट नेपाल में है। लगभग 130 किलोमीटर प्रवाह के बाद यह नदी जिले के दक्षिण पश्चिम में सिंगार जोत के पास बलरामपुर जिले से सिद्धार्थनगर जिले में प्रवेश करती है। बलरामपुर जिले के सुआँव नाले के संगम के साथ नदी की धारा दक्षिण की ओर मुड़ती है, किन्तु डुमरियागंज के निकट पुनः पूर्व की ओर मुड़ जाती है। राप्ती नदी बाँसी के पास से गुजरते हुए उसका बाजार से पाँच किलोमीटर दक्षिण ग्राम– मदुवा के पास में महराजगंज जिले में प्रवेश कर सन्तकबीरनगर जिले की सीमा से होते हुए धानी बाजार पहुँच कर गोरखपुर को जाती है। सिद्धार्थनगर जिले में राप्ती नदी लगभग 77 किलोमीटर की यात्रा करती है किन्तु घुमावदार प्रवृति के कारण नदी के किनारे की लम्बाई 184 किलोमीटर है। इस नदी का पानी मटमैले रंग का है।

2– बूढ़ी राप्तीः–

यह नदी राप्ती के उत्तर में प्रवाहित होती है। बूढ़ी राप्ती का उद्गम भी नेपाल है। बलरामपुर जिले से यह नदी बिस्कोहर के पास सिद्धार्थनगर जिले में प्रवेश करती है। शोहरतगढ़ तहसील की सीमा पर बहते हुए यह नदी जिले के उत्तरी हिस्से में प्रवाहित होने वाले दर्जनों नालों से संगम करती है। नौगढ़ से लगभग दस किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में बानगंगा नदी

ग्राम–नवेल, तहसील–इटवा में बूढ़ी राप्ती नदी में मिलती है। उसका बाजार से तीन किलोमीटर दक्षिण में बूढ़ी राप्ती ग्राम–ताल बगहिया तहसील नौगढ़ में कूड़ा नदी में मिल कर इस स्थान से 02 किलोमीटर दक्षिण–पूर्व में ताल नटवा (भुवही घाट) के पास बूढ़ी राप्ती मुख्य राप्ती नदी में मिल जाती है। बाताया जाता है कि बूढ़ी राप्ती ही वास्तव में पहले राप्ती नदी के प्रवाह का मार्ग थी। किन्तु धारा बदल जाने के कारण यह पृथक रूप से अस्तित्व मे आ गयी हैं। परासी और सिकरी बूढ़ी राप्ती में दाहिने किनारे से मिलने वाले दो प्रमुख सहायक नाले है।

3– परासीः–

परासी का उद्गम इटवा तहसील में है। यह बाँसी तहसील के उत्तरी सीमा से होते हुए बाँसी से पूरब बूढ़ी राप्ती में मिलती है। सकरहवां नाला, लेबड़ताल से निकल कर इसमें मिलता है। अकरारी ताल का पानी भी अकरारी नाले के माध्यम से परासी में जाती है। बाँसी के निकट नरकटहा के पास परासी का पानी एक स्थान पर राप्ती में भी मिलता है। अकरारी नाले के मिलने के बाद परासी फहजिहतवा नाले के रूप में जानी जाती है।

4– सिकरीः–सिकरी नाले का उद्गम इटवा तहसील के सिकरीताल से हुआ है। कुछ किलोमीटर लम्बा यह नाला मिश्रौलिया के निकट बूढ़ी राप्ती में मिल जाता है। पहाड़ी नालें

1– अर्राः–इस नाले का प्रवाह जिले में मात्र 10 से 12 किलोमीटर हैं। यह खानकोट से पूरब बूढ़ी राप्ती में मिलती है। छगड़िहवा, घुराही, अविन्दा(औदाही), सुरही करमा, सोतवा व सतोही नाले का पानी अर्रा में आता है। नीचे प्रवाह उत्तर से दक्षिण की ओर है।

2–बानगंगाः–बानगंगा का वास्तविक स्वरूप नदी का है। इसका उद्गम नेपाल से हिमालय है। यह शोहरतगढ़ तहसील में ढ़ेबरूआ के निकट भारत की सीमा में प्रवेश करती है। ककरही घाट के पश्चिम बूढ़ी राप्ती में मिलती है। बानगंगा पर वर्तमान में शोहरतगढ़ से पाँच किलोमीटर पश्चिम में बैराज बना दिया गया है। इसका पानी सिंचाई के उपयोग में किया जा रहा है। नदी का प्रवाह उत्तर से दक्षिण की ओर है।

3–घोरहीः–घोरही नाला भी नेपाल से निकलकर बढ़नी के पूरब और बानगंगा के पश्चिम भारतीय सीमा में प्रवाहित होती है। मघवा नाला पहाड़ी नाला भी भारतीय सीमा से कुछ किलोमीटर चलकर घोरही में मिलती है। घोरही ढ़ेबरूआ से दक्षिण पूर्व बूढ़ी राप्ती में मिलती है।

4–सोतवा :–सोतवा नाला बानगंगा और घोरही के बीच दोनों समानान्तर प्रवाहित होती है। घोरही के संगम स्थल से थोड़ी दूर पूर्व में यह बूढ़ी राप्ती में मिलती है। अन्य पहाड़ी नालो की तरह ही सोतवा का प्रवाह भी उत्तर से दक्षिण की ओर है।

5–जमुआर :–बानगंगा से पूरब जमुआर एक प्रमुख पहाड़ी नाला है। जिले में महली सागर में प्रवेश के बाद इसमें मुसई, महसई तथा डोई नालों का जल आता है। यह नाला नौगढ़ मुख्यालय के किनारे से बहता है। नौगढ़ के पास ही जमुआर नाला में मोहखवा व घघवा का पानी बुद्धिया नाले के माध्यम से मिलता है। नौगढ़ से आठ किलोमीटर पूरब करछुलिया के पास जमुआर कूडा में मिल जाती है। नौगढ़ का पानी लेकर दुबई नाला संगम स्थल से थोड़ा पहले जमुआर में मिलता है।

6–कूड़ाः–कूड़ा नदी का उद्गम भी नेपाल में है। यह सदर तहसील के खैराटी गांव के पास जिले में प्रवेश करती है। तेलार सिसवा, मरती, हगनी जमुआर नालों का पानी कूड़ा मे गिरता है। कूड़ा नदी सोहांस और उस्का के किनारे से प्रवाहित होकर उस्का बाजार से कुछ किलोमीटर दूर राप्ती में मिलती है। इस प्रकार नदी के प्रवाह की दिशा उत्तर से दक्षिण पूर्व की ओर हैं।

7–घोघीः–घोघी नदी कूड़ा के समानान्तर प्रवाहित है। इसका उद्गम नेपाल की तराई में है। वस्तुतः यह महाराजगंज और सिद्धार्थनगर की कुछ किलोमीटर भौगोलिक सीमा बनती है। बाद में घोघी नदी कूड़ा से मिल जाती है।

8–आमीः–इन नदियों के अतिरिक्त बाँसी तहसील में आमी नदी जिले की सीमा पर प्रवाहित होती है। इसकी मुख्य सहायक बूधा नाला भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

जलाशयः–जिले मे नदियों नालों के अतिरिक्त प्रचुर संख्या में जलाशय एंव ताल है। इनमें जमीदारी नहर के जल ग्रहण तालों में महला, मरथी, मझौली, सिसवा, बजहा, शिवपतिनगर आदि जलाशयों के अतिरिक्त तथरा ताल, लेवड़ताल, सेहरी ताल, गोल्हौरा, हथवड़ ताल आदि प्रमुख है। एक बड़े क्षेत्रफल में विस्तृत यह जलाश्य एवं ताल प्राकृतिक जल संचय के प्रमुख संसाधन है।

1.6–मिट्टीः–इस जनपद की धरातल की बनावट कटोरे जैसी है कही गेहूँ और धान पैदा करने वाली दोमट मिट्टी है कही हल्की बलुई दोमट मिट्टी है कही उसर, बंजर भूमि है तो कही नदियों का कछार है। इस जनपद में रवी, खरीफ और जायद फसले अच्छी होती है।

जीव–जन्तुः–इस जनपद में सामान्यतः कौआ, बगुला, गौरैया, मैना, कोयल, पपीहा, तोता, सारस, आदि पक्षियाँ दिखाई देती है। इस जिले में विभिन्न प्रकार की मछलियाँ जैसे रोहू, कामन, ग्रास, टेंगरा, कवई, नैनी, गिरई आदि सामान्यतया पाई जाती है। यहाँ जहरीले सर्पो में मुख्यतः करैत, गेहुअन आदि तथा विषहीन सर्पो में धामन, डोड़हा आदि पाये जाते है। दुधारू जानवर गाय, भैस, एवं बकरियाँ बहुतायत पाली जाती है। गायो मे मुख्यतः देशी गाय पाली जाती है।

1.7– जलवायुः–जिले का जलवायु तराई के मौसम की तरह है। यहाँ 15 मार्च से 15 जून से 30 सितम्बर तक वर्षा ऋतु तथा अक्टूबर से 15 मार्च तक शीत ऋतु मानी जाती है। जनवरी का प्रथम सप्ताह वर्ष के सबसे ठण्डे दिनों में रहता है। जब तापक्रम न्यूनतम स्तर पर 06 डिग्री सेंटीग्रेट तक पहुँच जाता है। यद्यपि इस समय भी अधिकतम ताप मान 20 डिग्री सेंटीग्रेट रहता है। वर्ष का सबसे गर्म दिन मई माह के तीसरे सप्ताह में रहता है। इस समय अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेन्टीग्रेट तथा न्यूनतम तापमान 38 डिग्री सेन्टीग्रेट तक रहता है। सामान्य तौर पर 15 नवम्बर से 15 फरवरी तक जाड़े की ऋतु रहती है। इसी प्रकार गर्मी मई और जून महीनों में होती है।

सामान्यतः जिलें में जून माह में 17 मिमी0 जुलाई में 380 मिमी0, अगस्त में 325.30 मिमी0 सितम्बर में 231 मिमी0 तथा अक्टूबर माह में 60.30 मिमी0 वर्षा होती है। पिछले बीस वर्षों में सबसे कम वर्षा 1994 में रिकार्ड की गयी थी। जब जून माह 4.25 मिमी0, जुलाई में 21.90 मिमी0, अगस्त में 28.60 मिमी0 तथा सितम्बर में 20.40 मिमी0 वर्षा हुई थी। जून माह में सबसे अधिक वर्षा वर्ष 1990 में 1145.06 मिमी0, जुलाई माह में सबसे अधिक वर्षा वर्ष 1989 में 1437.10 मिमी0, अगस्त माह में सर्वाधिक वर्षा वर्ष 1988 में 843.00 मिमी0 तथा सितम्बर माह में सबसे अधिक वर्षा 1987 में 477 मिमी0 रिकार्ड की गयी थी। अक्टूबर में सर्वाधिक 196.20 मिमी0 वर्षा का रिकार्ड भी व र्ष 1987 में बना था। पहाड़ी नालों के कारण वर्षा ऋतु में प्रायः जिले के उत्तरी हिस्से में बाढ़ रहती है। वर्ष 1998 में जिले को भीषणतम बाढ़ त्रासदी का सामना करना पड़ा था।

1.8 मुख्य फसलेः–जिले की मुख्य फसले धान, गेहूँ, चना, मटर, सरसो, अरहर, खरबूजा है इसके अलावा फलों में आम, अमरूद, कटहल आदि प्रमुख है इसके अलावा लगभग सभी तरह की फसलें भी थोड़ी–थोड़ी बहुत मात्रा में उगायी जाती है। इस जनपद की मुख्य फसल धान है।

1.9 यातायात–

(क) सड़कः–जनपद में पक्की सड़को की लम्बाई 1280 किलोमीटर है। जनपद मुख्यालय बस्ती मण्डल से 75 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में सिद्धार्थनगर के नाम से नौगढ़ में स्थिति है। गोरखपुर से वाया फरेंदा होकर जिला मुख्यालय 70 किलोमीटर पर स्थित है।

परिवहन विभाग के पास उपलब्ध संसाधन

वाहन के प्रकार	सम्बन्धित विभाग	संख्या
बस	यू0पी0एस0आर0टी0सी0	39 (32+07)
बस	प्राइवेट	119
स्कूल बस	प्राइवेट	21
हल्का मोटर वाहन	प्राइवेट	211
भार वाहन	प्राइवेट	155

(ख) रेल मार्गः–यह जनपद गोरखपुर से बलरामपुर होते हुए गोण्डा जाने वाली छोटी लाईन से जुड़ा हुआ है। जिसमें रेलवे लाईन की कुल लम्बाई जनपद की सीमा के अन्तर्गत 62 किलोमीटर है। जिसमें कुल 9 हाल्ट/रेलवे स्टेशन स्थिति है। जनपद हेडक्वाटर रेलवे के नौगढ़ स्टेशन से जुड़ा हुआ है।

भाग–2
जोखिम आपदा प्रबंधन योजना

2.1 **आवश्यकताः–**

ऐसी प्रकृतिक या मानव जनित घटना जिससे एक व्यापक क्षेत्र में जान माल की क्षति होती है तथा वहाँ के व्यक्तियों को दूसरों पर निभर हो जाना पड़ता हो, आपदा कहलाती है। इस स्थिति में मानव समुदाय किंकर्तव्यविमूढ़ हो जाता है सामान्य जन जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, फलस्वरूप जान–माल की व्यापक क्षति होती है। यह विपदा एंव भेदयता (कमजोरी) का संयुक्त परिणाम होती है। बाढ़ की विभीषिका को छोड़कर अन्य आपदाएं चाहे, वह प्राकृतिक हो या मानवजनित अप्रत्याशित ही आती है। कुछ आपदाओं की सूचना इतने अल्प समय में मिल पाता है कि आम जनता या प्रशासन उचित समय पर सजग और सतर्क नही हो पाते है। फलस्वरूप नवीन वैज्ञानिक और प्रौद्यौगिक उन्नति के बावजूद भी हम इन आपदाओं से निबटने में पूर्णतः कामयाब नही हो पाये है। आपदाओं की भयावता का व्यापक और दूरगामी प्रतिकूल प्रभाव मानव पशुधन फसल पर्यावरण सार्वजनिक सम्पति के नुकसान के साथ–साथ विकास की उत्तरोत्तर गति पर भी पड़ता है। कभी–कभी इसके कारण प्रशासनिक राजनैतिक व आर्थिक अस्थिरता की भी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जिसका प्रभाव देश व समाज पर वर्षो तक परिलक्षित होता रहता है। विगत दो दशकों में विश्व के विभिन्न प्रांतों में घटित आपदा की घटनाओं एंव उसके अनुभवों के आधार पर इस मान्यता को काफी बल मिला है कि हम आपदाओं को समाप्त तो नही कर सकतें, परंतु समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करके स्थानीय संसाधनों व नवीन तकनीकी कौशल के सहारे पूर्व तैयारी द्वारा उसके कुप्रभावों को बेशक कम कर सकते है। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर सिद्धार्थनगर जिले में भी बहु आपदा प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन की आवश्यकता महसूस की गई। यह जिला बाढ़, आगजनी, ओलावृष्टि, वज्रपात, शीतलहर, लू जैसी प्राकृतिक व मानवजनित आपदाओं से प्रभावित रहा है। फलस्वरूप सही दिशा में सही अवधारणा के साथ बहु–जोखिम आपदा प्रबन्धन योजना के निर्माण को कार्यरूप दिया गया। बहु–जोखिम आपदा प्रबन्धन योजना के प्रारम्भ में माननीय जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन समिति, सिद्धार्थनगर का प्राक्कथन दृष्टवय है कि जिला आपदा प्रबंधन योजना अन्य विकास कार्यक्रमों की तरह ही अनिवार्य एवं आवश्यक है। मजबूत व सक्षम प्रशासन के लिए अन्तिम पायदान से लेकर ऊपर के स्तर तक ताल–मेल का होना आवश्यक है। इस योजना के सूत्रपात, पूर्व तैयारी की प्रतिज्ञा और संकट के दौरान सकारात्मक कार्यान्वयन की वचनबद्धता के संबंध में शंका का कोई कारण नहीं है। यह योजना पूर्णरूपेण व्यावहारिक तथा सामाजिक है क्योंकि यह संकटकालीन स्थितियों में व्यावहारिक दृष्टिकोण से अति आवश्यक निम्नलिखित तथ्यों का समावेश करती है:–

1–जोखिम आकलन व संवदेनशीलता विश्लेषण

2–शीघ्र व प्रभावी कार्यवाही की संस्कृति,

3–आपदा के कारण उत्पन्न वृहद विनाशकारी घटनाओं हेतु तैयार व्यूहरचना तथा उनकी विभिन्न गतिविधियों के बीच सांमजस्य व एकरूपता बनाएं रखना।

2.2 उद्देश्यः–सिद्धार्थनगर जिले के एक प्रभावकारी व वास्तविक आपदा प्रबन्धन योजना को बाधा रहित संचार प्रमाणिक व त्रुटिरहित डाटाबेस, प्रलेखित, व पूर्व अभ्यासित हो ताकि कम से कम समय में तथा न्यूतनम साधारण आदेश का प्रक्रिया द्वारा कार्यान्वित हो सके तथा जिसमें सरकार, पंचायतराज प्रतिनिधि, सामाजिक निजी क्षेत्र व स्वैच्छिक संगठन/कार्यकर्ता सभी की क्रियाशील सहभागिता प्रत्येक स्तर पर प्राप्त की जा सके। उपलब्ध मानव संसाधन, सामग्री एवं अन्य संसाधनों का अनुकूलतम व समुचित उपयोग किया जा सकें ताकि न तो कहीं कमी हो ओर न ही कही अधिकता हो । मानव जीवन व पशुधन की क्षति रोकने, निजी व सरकारी सम्पत्ति के नुकसान को कम करने तथा यह सुनिश्चित करने कि तीव्र गति से खोज एवं बचाव तथा राहत एवं पुनर्वास का कार्य संभव हो सकें ताकि आपदा प्रभावित लोगों को मुसीबतों को टाला या कम से कम किया जा सकें।

जिला आपदा प्रबन्धन योजना सच्चे दोस्त जैसा ही है जो सहायता एवं पुर्नवास कार्य में संलग्न आंतरिक व्यवस्था (मशीनरी) और समुदाय को किसी भी विषम परिस्थिति का डटकर मुकाबला करने में मार्गदर्शन करेगा।

2.3 आपदाओं के प्रकारः–आपदाएं संकट तथा भेद्यता (कमजोरियों) का संयुक्त परिणाम होती है। यह तब प्रभावी होती है जब प्रभावित समुदाय अथवा व्यक्ति की किसी संकट से जूझने की योग्यता उनकी अनुकूल क्षमता से बाहर चली जाती है। यह वह स्थिति है जो मानव समुदाय को असहज और असामान्य बना देती है। मनुष्य हक्का–बक्का रह जाता है और कुछ समय के लिए किंकर्तव्यविमूढ हो जाता है। परिणाम रूवरूप वृहत पैमाने पर जान–माल की क्षति होती है।

जनंसख्या के अप्रत्याशित दबाव से पर्यावरण की क्षति, खाद्य पदार्थो की कमी, स्वास्य सम्बन्धी समस्याएं, मानसिक तनाव, जनसंख्या का विस्थापन, आर्थिक तंगी, पशु आहार की समस्या, राजनैतिक व सैनिक अस्थिरता, यातायात की समस्या इत्यादि उत्पन्न हो जाती है। मूलभूत सुविधाओं के प्रभाव व आर्थिक समस्या के कारण देश व समाज का विकास अवरूद्ध हो जाता है तथा पहले जैसी स्थिति प्राप्त करने में वर्षो का समय लग जाता है।

जिले में विभिन्न प्रकार की आपदाओं की स्थितिः–

प्राकृतिक आपदाएं	कृत्रिम आपदाएं
बाढ़	आगजनी
सूखा तूफान (तेज हवाएं) लू लगना भूकम्प शीतलहर ओलावृष्टि बज्रपात	स्पर्शाघात दंगा सड़क दुर्घटना नाव दुर्घटना मकान ढहना संक्रामक बिमारियां रेल दुर्घटना

जिला सिद्धार्थनगर से होकर राप्ती, बूढी राप्ती, बानगंगा, व अन्य मौसमी नदियां गुजरती है। फलस्वरूप यह जिला प्रत्येक वर्ष मुख्य रूप से बाढ़ से प्रभावित होता रहा है। जिले के 14 विकास खण्डो में से 4 विकास खण्ड पूर्ण या आंशिक रूप से बाढग्रस्त रहे है। ग्रामीण क्षेत्रों में बने विशेष प्रकार के पारम्परिक मकान बाढ़ तथा आगजनी जैसी आपदाओं से ज्यादा तथा शीघ्र प्रभावित होते है जबकि फसलों में धान की खेती को सर्वाधिक नुकसान होता रहा है। वर्ष 1998 में आए बाढ़ से जिले को काफी नुकसान का सामना करना पडा था।

2.4 योजना का निर्माण एवं संचालनः– जिला बहु–आपदा प्रबन्धन योजना का निर्माण एवं संचालन जिला आपदा प्रबन्धन समिति, सिद्धार्थनगर द्वारा किया जाएगा। इस समिति का गठन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में किया गया है जो प्रत्येक वर्ष आने वाली विभिन्न प्रकार की संकटों से निपटने के लिए आपदा पूर्व तैयारी का समय–समय पर मूल्यांकन एवं समीक्षा करेगी। यह समिति जिले की अग्रणी एवं उच्च स्तरीय समिति है जो स्थिति पर नजर रखने पूर्व तैयारी की समीक्षा करने व जबाबी प्रक्रिया को उन्नत बनाने का कार्य करेगी। यह समिति आपस में विस्तृत विचार–विमर्श, सहयोग और समन्वय स्थापित कर आपदा प्रबन्धन सम्बन्धी प्रतिवेदन को राज्य सरकार को प्रस्तुत करेंगी।

जिला आपदा प्रबन्धन कमेटी जनपद–सिद्धार्थनगरः–आपात कालीन या विशेष परिस्थितियों में निर्णय लेने हेतु उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन समिति 2005 के अध्याय–3 की धारा–3, धारा–4 (1), धारा–4(2) के 'क' 'ख' तथा अध्याय–16 की धारा–42(1) के अनुसार जिला आपदा प्रबन्धन कमेटी का गठन किया गया है। यह एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति है जो किसी भी प्रकार का निर्णय लेने में सक्षम है यह समिति प्रत्येक त्रैमास में बैठक कर आपदा प्रबन्धन योजना की सम्पूर्ण व्यवस्था लागू करने हेतु संगठनात्मक कार्यप्रणाली के कार्यान्वयन एवं उसमें आये किसी भी प्रकार के गतिरोध को दूर करने के लिए जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला आपदा प्रबन्धन समिति को अपना सुझाव देगी। इस समिति का निर्णय सर्वमान्य होगा परन्तु लिए गये निर्णयों को जिला आपदा प्रबन्धन समिति की अगली बैठक में अनुमोदन कराना अनिवार्य होगा। उक्त समिति निम्नवत हैः–

क्रमांक	मूल पद नाम	पद
1.	जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर	अध्यक्ष
2	वरिष्ठ, पुलिस अधीक्षक	उपाध्याक्ष
3	मा0 सांसद, संसदीय क्षेत्र डुमरियागंज	विशेष आमंत्री सदस्य
4	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
5	अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0	सदस्य संयोजक
6	मा0 विधायक, विधान सभा क्षेत्र नौगढ़ बांसी, डुमरियागंज, इटवा, शोहरतगढ़, एवं खेसरहा	विशेष आमंत्री सदस्य
7	मुख्य चिकित्साधिकारी, सिद्धार्थनगर	सदस्य
8	उप जिलाधिकारी नौगढ़	नामित सदस्य/समन्वयक
9	मा0 अध्यक्ष नगर पालिका परिषद,सिद्धार्थनगर	विशेष आमंत्री सदस्य
10	अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0 सिद्धार्थनगर	सदस्य
11	अधिशासी अभियन्ता ड्रेनेज खण्ड, सिद्धार्थनगर	,,
12	अग्नि शमन अधिकारी, सिद्धार्थनगर	,,
13	कमाण्डेन्ट होमगार्ड सिद्धार्थनगर।	,,

आपदा प्रबन्धन कमेटी के उद्देश्य एवं कार्यः–

राज्य सरकार तथा राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के आपदा प्रबन्धी कार्यो के जिला स्तर पर निष्पादन हेतु उक्त कमेटी नोडल कमेटी के रूप में कार्य करेगी।

1. राज्य सरकार तथा राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को जोखिम सम्बन्धी गतिविधियों के बारे में समसामयिक फीड बैक देना।
2. प्रदेश स्तर पर विभिन्न विभागों द्वारा निर्मित आपदा प्रबन्धकीय कार्ययोजना तथा दिशानिर्देशों का जिले स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित करना तथा कमेटी के बैठको में प्रगति की समीक्षा करना। आपदा प्रबन्ध के क्षेत्र में जिला स्तर पर अन्तर विभागीय समन्वय स्थापित करना।
3. आपदा के प्रकारों और उसके सम्भावित प्रभावों का पूर्वानुमान करना तथा जोखिम में आने वाले समुदाय तथा सम्पत्तियों को चिन्हित करना तथा जोखिम के प्रभावों को कम करने हेतु विभागीय कार्ययेाजना का निर्माण तथा सम्पादन व समन्वयन।
4. पूर्व आपदाओं की प्रकृति से अनुभव लेकर सम्भाव्य आपदाओं की तैयारी सम्बन्धी आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना (डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान) बनाना तथा उपलब्ध संसाधनों को बेहतर प्रबन्धन कर बचान कार्य करना।
5. आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना (डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान) का समय–समय पर अद्यतन करना तथा राज्य प्रबन्ध प्राधिकरण को प्रेषित करना।
6. जनपद में सामान्य व कम वर्षा की स्थित में समुचित अपवहन तंत्र (ड्रेनेज सिस्टम) के अभाव, अनियंत्रित तरीके के बांध निर्माण बाढ़ तथा सूखा सम्बन्धी ।

7. चल रही योजनाओं में विभिन्न विभागों में समन्वय के अभाव, से बाढ़ तथा सूखे की स्थित बनी रहती है। अतएवं बाढ़ एवं सूखे की स्थायी समाधान हेतु समग्र दृष्टिकोण की एकीकृत, तथा दीर्घकालीन जिला योजना का निर्माण तथा कार्यान्वयन हेतु समेकित प्रयास करना।

8. जनपद में बाढ़ तथा सूखे के सम्बन्ध में अर्लीवार्निंग इन्डीकेटर तैयार करना।

9. महानगरों की बहुमजिली इमारतों सार्वजनिक सभाओं के पण्डालों घने (ओभर क्राउडेड) व अतिसंकुचित (कन्जेस्टेड) आबादी तथा बाजारों में अग्निकाण्ड सम्बन्धी जोखिम को चिन्हित कर सुरक्षा प्रबन्ध व ऐसी किसी दुर्घटना के समय खोज एवं बचाव का कार्य करना।

10. स्थानीय प्रशासन गैर सरकारी संगठनों व निजी क्षेत्रों के सहयोग तथा सहभागिता से समुदाय को बाढ़ आग, भूकम्प, विषाक्त गैस, जैसी आपदा से बचाने हेतु प्रशिक्षित करना तथा समय–समय पर समुदाय तथा विद्यालय के छात्रों को मॉकड्रिल के माध्यम से जागरूकता पैदा करना।

11. सुनिश्चित करना कि जिले में स्थित स्थानीय प्राधिकारी स्वयं अपने बचाव की रणनीति तैयार कर सके।

12. स्थानीय सरकारी निकायों को सहयोग एवं समन्वय प्रदान करना ताकि जिलें में आपदा से पूर्व आपदा प्रबन्धन गतिविधियों का निवर्हन किया जा सकें।
13. जोखिम के समय संचार, परिवहन, स्वास्थ्य, विद्युत, पेयजल, खाद्य पदार्थ आदि सुविधाओं की उपलब्धता हेतु कांटीजेंट प्लान बनाना तथा सम्भावित आपदा हेतु आवश्यक राहत सामग्री की टेन्डर प्रक्रिया का निष्पादन करना।
14. जनपद के खोज एवं बचाव सम्बन्धी संसाधनों की सूची तैयार कर आपात काल में प्रयोग में लाना तथा इसे आई0 डी0 आर0एन0 पर अद्यतन करना।
15. आपदा कार्य में जीवन तथा सम्पत्ति सम्बन्धी जोखिम जैसी विषय परिस्थितियों में फसे व्यक्तियों को बाहर निकाल कर त्वरित राहत प्रदान करना। घायल व्यक्तियों की प्राथमिक चिकित्सा प्रदान कर निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र पहुॅचाना/पहुॅचाने की व्यवस्था करना।
16. आपदा की प्रकृति तथा गंभीरता के अनुसार अस्थाई शरण स्थल की व्यवस्था करना तथा अन्य सहायक इन्तजाम करवाना।
17. प्रभावित क्षेत्र में व्याप्त भय अथवा अफवाह की दशा में जनता को सही जानकारी देना।
18. आपदा में मृत व्यक्तियों तथा पशुओं के शवों का उचित माध्यम से निस्तारण करना।
19. जिले में पुर्ननिर्माण एवं पुर्नवास के लिए प्रगति तथा उसके परिणामों में अनुश्रवण में राज्य सरकार, राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण की सहायता करना।
20. विहित शक्तियों के साथ–साथ ऐसी शक्तियां का प्रयोग व ऐसे कृत्यो का निष्पादन करना जो राज्य सरकार, राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण व मण्डलायुक्त द्वारा प्रत्यायोजित किया गया हो।

अनुकूलतम् व्यूह रचनाः–

आपदा प्रभावों से लड़ने ओर जान–माल की क्षति को कम करने के लिए समेकित जिला आपदा प्रबन्धन येाजना के निर्माण द्वारा अनुकूलतम व्यूह रचना को बनाए रखा जाना अनिवार्य है। आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को सुरक्षात्मक सुविधा एवं राहत प्रदान करना स्थानीय समुदाय एवं सरकार का विशेष कर्तव्य होता है। इस विशिष्ट कर्तव्यों के निर्वहन के लिए पूर्व तैयारी एवं जबावी कार्यवाही की विशेष आवश्यता होती है। विभिन्न प्रकार की आपदाओं हेतु प्रायः दो प्रकार के प्रबन्धन कार्य की आवश्यकता पड़ती है। 1. संकट प्रबन्धन 2. जोखिमा प्रबन्धन। संकट प्रबन्धन की आवश्यकता किसी भी प्रकार आपदा के घटित होने के तुरन्त बाद किया जाता है, जिसके तहत राहत पुनर्वास एवं पुननिर्माण जैसे कार्य सम्पादित किये जाते है, जबकि जोखिम प्रबन्धन के तहत पूर्व तैयारी रोक–थाम न्यूनीकरण, पूर्व चेतावनी प्रसारण जैसे कार्य सम्पादित किये जाते है, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की आपदा आने के उपरान्त राहत, पुनर्वास एव पुननिर्माण के कार्य को आसान किया जा सकें।

जोखिम प्रबन्धन

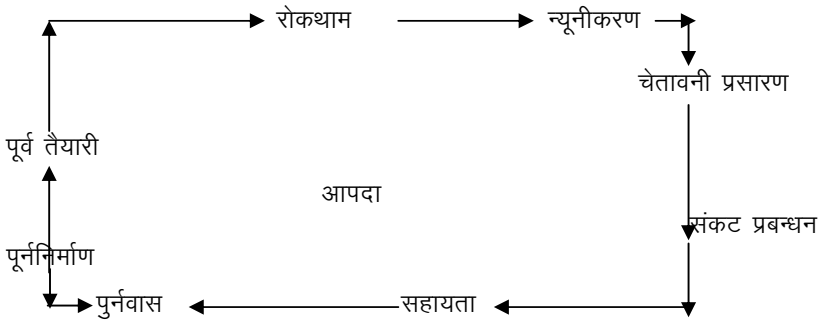

जिला प्रशासन के विभिन्न घटकों सार्वजनिक व निजी उपक्रमों स्वैछिक, असैनिक रक्षा, संगठनों, समूहों द्वारा आपदा निर्विकरण कार्य में आपसी तालमेल के द्वारा एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के तरीकों की समीक्षा का कार्य जिला आपदा प्रबन्धन समिति द्वारा किया जायेगा इसके लिए बहुत जोखिम आपदा प्रबन्धन योजनान्तर्गत कार्यो का बटवारा एवं विभागों तथा अन्य संगठनों की भूमिका व जिम्मेदारियां निर्धारित की गयी है ताकि कम से कम समय में चरणबद्ध कार्यक्रम के तहत आवश्यक कदम उठाकर आपदाओं में होने वाली क्षति को न्यूनतम किया जा सके इसके लिए सुनिश्चित रणनीति के तहत तैयार अनुकूलन व्यूह रचना को व्यापक रूप से निम्नलिखित तीन भागों में विभक्त किया गया है।

क. आपदा पूर्व

ख. आपद दौरान
ग. आपदा उपरान्त

(क) आपदा पूर्वः–

- जिला आपदा प्रबन्धन समिति की बैठक करना।
- जिला आपदा प्रबन्धन योजना का पुनरीक्षण व संशोधन करना।
- संकट का विश्लेषण करना एवं आवश्यक संसाधनों का पता लगाना।
- सरकारी व निजी उपक्रमों, स्वैच्छिक संगठनो, असैनिक रक्षा संगठनों व पंचायती राज संगठनों की समन्वय बैठक आयोजित करना व उसकी जबबादेही सुनिश्चित करना।
- इस संगठनों का कार्यक्षेत्र व जबाबदेही का विस्तृत विवरण तैयार करना।
- संभावित आपदा प्रभावित ग्रामों व टोलों की प्रखण्डवार सूची तैयार करना।
- जिले में उपलब्ध गोताखोरों व जाल, नाव, नाविक इत्यादि की सूची तैयार करना।
- अग्निशामक यंत्रों व मलवा निपटान यंत्रों की सूची तैयार करना व समय–सयम पर उनकी मरम्मती कार्य सम्पादित कराना।
- संचार नेटवर्क कायम रखने हेतु भी0एच0एफ0सेट/हैम रेडिया आदि की उपलबधता सुनिश्चित करना व उनकों मरम्मती कार्य सम्पादित कराना।
- अस्थायी अल्पावास गृहों की पहचान व उनकी सूची तैयार करना।
- खाद्यान्न सामग्री यथा–चावल, चूडा, गुड, पीने का पानी इत्यादि की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा इन सामग्रियों के निजी आपूर्तिकर्ताओं की सूची तैयार करना।
- स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा तत्सम्बन्धी निजी आपूर्तिकर्ताओं की सूची तैयार करना।
- वार्ड से जिला स्तर तक जागरूकता उत्पन्न करने हेतु सूचना शिक्षा व संचार सामग्री का निर्माण करना व स्वैच्छिक संगठनों, शैक्षणिक संगठनों व पंचायती राज संगठनों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाना।
- विभागवार आपदा पूर्व तैयारी योजना का निर्माण करना व उनकी समीक्षा करना।
- चिहिन्त कमजोर तटबन्धों सड़को, सरकारी भवनों, पुलो व पुलियों, वर्षा मापक यंत्रों इत्यादि की मरम्मत कराने हेतु सम्बन्धित विभागों को दिशा निर्देश जारी करना।
- जिले में चलाए जा रहे विभिन्न विकास कार्यक्रमों को आपदा प्रबन्धन कार्यक्रम से जोड़ना एवं विकास कार्यक्रमों हेतु योजना निर्माण से पूर्व योजना की प्रत्येक गतिविधि पर विभिन्न आपदाओं के प्रभावों का आकलन करना।
- संकट के दौरान ईधन हेतु सूखी लकड़ी अथवा किरासन तेल की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा जन वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करना।
- जिले हेतु आपदा न्यूनीकरण योजना का निर्माण कर उसे सम्बन्धित विभाग के माध्यम से राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना तथा यथासम्भव उसे लागू करने का प्रयास करना।
- मॉक–ड्रील (अभ्यास) आयोजित करना।
- भारत आपदा प्रबन्धन संसाधन सूची को अद्यतन करना।
- निर्धारित जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करने वाले पदाधिकारियों से कारणपृच्छा कर दंडात्म कार्यवाही करना।

(ख) आपदा दौरानः–

- जिला नियंत्रण कक्ष प्रखण्ड नियंत्रण कक्ष एवं सम्बन्धित विभागीय नियंत्रण कक्ष को अत्यधिक क्रियाशील बनाना।
- माध्यमों से सम्बन्धित विभागों पदाधिकारियों व पंचायती राज प्रतिनिधियों को चेतावनी व आवश्यक सूचनाओं का प्रसार करना।
- प्रत्येक 24 घण्टे के अंतराल पर जिला नियत्रण कक्ष में विभागीय पदाधिकारियों की बैठक करना।
- प्रतिदिन निर्धारित प्रपत्र में आयुक्त/सचिव आपदा प्रबन्धन विभाग राज्य अधीक्षक/मुख्य चिकित्साधिकारी, पशु चिकित्साधिकारी, प्रभारी (आ0प्र0)/जिला आपूर्ति पदा0/जिला परिवहन पदा0 तथा सम्बन्धित कार्यपालक, अभियन्ताओं को सकर्त करना।
- नियंत्रण कक्ष में प्रत्येक 8–8 घण्टे के लिए एक–एक अधिकारी की प्रतिनियुक्ति करना।

- बांधों पर तटबन्धों पर सघन गश्ती करवाना।
- जिला स्तर पर गठित कार्यदल को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना उनके द्वारा खोज व बचाव एवं राहत व पुर्नवास का कार्य प्रारम्भ कराना।
- भारतीय मौसम विज्ञान विभाग व केन्द्रीय जल उयोग के निरन्तर सम्पर्क में रहना।
- भारत आपदा संसाधन सूची का प्रयोग कर आवश्यक संसाधनों की खोज करना व उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- अपरजिलाधिकारी द्वारा पुलिस अधीक्षक व अर्द्धसैनिक बलों, असैनिक रक्षा बलों, अग्निशामक सेवाओं, सार्वजनिक उपक्रमों, स्वैच्छिक संगठनों एवं अन्य आवश्यक सेवाओं का कार्यक्षेत्र निर्धारित करना व उनके कार्यो की मॉनिटरिंग करना।

- समाहर्ता व अपर समाहर्ता द्वारा प्रतिदिन की स्थिति पर नजर रखना व आवश्यक दिशा–निर्देश जारी करना।
- प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन करना व उपलब्ध दवाओं का वितरण करना।
- आवश्यकतानुसार सहायता (राहत) सामग्री का प्रबन्ध करना तभा प्रभावित परिवारों के बीच वितरित कराना।
- विभिन्न पेट्रोल पम्पों पर उपलब्ध पेट्रोलियम पदार्थो को आवश्यकतानुसार जमा करना।
- मूल्य वृद्ध तथा कालाबाजारी रोकने हेतु आवश्यक कदम उठाना।
- प्रेस प्रतिनिधियों तथा मीडियाकर्मियों को अद्यतन स्थिति की जानकारी उपलब्ध कराना।
- लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों से कारण पृच्छा करना तथा दण्डात्मक कार्यवाही करना।

(ग) आपदा उपरान्तः–

- क्षति आकलन व गणना करना तथा प्रभावित परिवारों, फसलों, पशुओं व सार्वजनिक सम्पत्तियों की सूची बनाना।
- उ0प्र0 आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण /रेड क्रांस सोसाइटी/स्वेच्छिक संगठनों/सार्वजनिक उपक्रमों/अन्य राज्यों के द्वारा जिला प्रशासन को मिल रहे सहायता मदों का रख–रखाव एवं वितरण कार्य का मॉनिटरिंग करना।
- संचार स्वास्था यथा सडक, रेलवे आदि का पुनरूद्धार करना।
- इलेक्ट्रानिक संचार माध्यमों का पुनरूद्धार करना।
- सम्पर्क भंग आश्रय शिविरों एवं पहुच के बाहर वाले क्षेत्रों में मुप्त भोजन की शीघ्र व्यवस्था करना।
- प्रभावित इलाकों में सहाय्य सामग्रियों को पहुचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- कानून और व्यवस्था की स्थिति बहाल करना।
- शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- न्यूनतम स्वच्छता व चिकित्सा सुविधा बहाल रखना तथा स्थिति सामान्य होने तक चिकित्सा शिविरों का आयोजन करना।
- मलवा व बचाए गए लोगों को उनके घर लौटने में मदद करना।
- बच्चों धातृ व गर्भवती महिलाओं बूढ़े व लाचार लोगों को विशेष ध्यान रखना व उन्हें सुरक्षा प्रदान करना।
- स्थिति पर निगरानी रखने हेतु जिला व क्षेत्रों में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों के साथ प्रत्येक 24 घण्टे पर बैठक आयोजित करना।
- प्रभारी (आ0प्र0) द्वारा डाटा (सूचनाओं) का संग्रह करना और जिला पदाधिकारी के माध्यम से राज्य सरकार/आयुक्त/सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग/राज्य परियोजना पदाधिकारी (आपदा प्रबन्धन)/राजय नियन्त्रण कक्ष को दैनिक स्थिति का प्रतिवेदन भेजना।
- क्षेत्रीय व राज्य सरकार के साथ गठबन्धन करना व प्रतिक्रियाएं व्यक्त करना।
- आंतरिक घटनाओं का दस्तावेजीकरण करना तथा ऑडियों व वीडियों तैयार करना।
- बेघर/बेरोजगार मजदूरों को रोजगार मुहैया कराना।

हम सब का है एक ही सपना,
आपदा मुक्त हो जनपद अपना

भाग–3

सिद्धार्थनगर जिले की रूप रेखा

3.1 भौगौलिक स्थितिः–

जिले का मुख्य सृजन	:	28 दिसम्बर 1988
जिला मुख्यालय	:	सिद्धार्थनगर।
जिले की राजधानी से दूर	:	273 किमी0
जिले की चौहद्दी	:	इस जनपद के उत्तर में नेपाल राष्ट्र, दक्षिण में जनपद बस्ती व संतकबीर नगर, पूरब में जनपद महराजगंज, तथा पश्चिम में जनपद–गोण्डा व बलरामपुर स्थित है।
बस स्टेशन	:	03
रेलवे स्टेशन हाल्ट सहित	:	09
छोटी लाइन	:	62किमी0

व्यवसायिक बैंक

राष्ट्रीयकृत बैंक शाखाएं	:	51
ग्रामीण बैंक शाखाएं	:	40
सहाकरी बैंक शाखाएं	:	12
भूमि विकास बैंक शाखाओं की संख्याः		3
शीत भण्डार	:	1
भौगौलिक क्षेत्रफल	:	2,86,728 हे0

3.2 जिले की भूमि का वर्गीकरणः–

कृषि योग्य भूमि	:	2,45,273 हे0
कृषि योग्य बंजर भूमि	:	4,763 हे0
चारागाह भूमि	:	872 हे0
निचली भूमि	:	14,272हे0
उद्यान भूमि	:	1,262हे0
शुद्ध बोया जाने वाला क्षेत्र	:	वर्ष 2008–09 में 2,34,843 हे0
क्षारीय भूमि	:	141 हे0
सिंचित क्षेत्र	:	1,83,081 हे0

3.3 जिले का प्रशासनिक वर्गीकरणः–

1. तहसीलों की संख्या : 5
2. विकास खण्डों की संख्याः 14

क्र0सं0	तहसील का नाम	विकास खण्ड का नाम
1.	नोगढ़	नौगढ़
		उसका बाजार
		जोगिया
		लोटन
		बर्डपुर
2	बांसी	बांसी
		खेसरहा
		मिठवल
3.	डुमरियागंज	डुमरियागंज
		भनवापुर
4	इटवा	इटवा
		खुनियांव
5.	शोहरतगढ़	शोहरतगढ़
		बढ़नी

3. नगर पालिका परिषद : 2
4. नगर पंचातय क्षेत्रों की संख्या : 4
5. लोक सभा क्षेत्रों की संख्या : 1
6. विधान सभा क्षेत्रों की संख्या : 6 (1–खेसरहा ऑशिक)

क्र0सं0	लोक सभा क्षेत्र	विधान सभा क्षेत्र
1.	डुमरियागंज	नौगढ़, बांसी, डुमरियागंज, इटवा, शोहरतगढ़, व खेसरहा

7. न्याय पंचायत की संख्या : 152
8. ग्राम पंचायतों की संख्या : 9,99
9. राजस्व ग्रामों की संख्या : 2,545
   (क) आबाद राजस्व ग्राम : 2363
   (ख) गैर आबाद राजस्व ग्राम : 182
10. पुलिस थाना की संख्या : 18

3.4 जनसंख्या विवरण जनपद–सिद्धार्थनगरः– (2001 की जनगणना के अनुसार)

जनसंख्या	पुरूष	महिला	लिंगानुपात
20,38,598	10,47,584	9,91,014	पु0–1,000, स्त्री–946

कुल शहरी जनसंख्या : 2,68,305
पुरूष : 1,39,766
महिला : 1,28,539
कुल श्रमिकों की संख्या : 5,64,925

3.5 वर्षापात/जलवायु/तापमान–

जिले का औसत वर्षापात : वर्ष 2008 में 202.62मिमी0, वर्ष 2009 में 130.61मिमी0

पिछले 12 वर्षो का औसत वर्षापातः–

क्र0सं0	वर्ष	औसत वर्षापात (मिमी0 में)
1	1998	301.67
2	1999	116.19
3	2000	223.34
4	2001	149.20
5	2002	67.04
6	2003	169.22
7	2004	123.85
8	2005	168.68
9	2006	127.34
10	2007	122.38
11	2008	202.62
12	2009	130.61

मासिक औसत वर्षापातः–

क्र0सं0	माह	सामान्य वर्षापात (मिमी0 में)	क्र0सं0	माह	सामान्य वर्षापात (मिमी0 में)
1	अक्टूबर,07	24.48	13	अक्टूबर,08	09.02
2	नवम्बर 07	–	14	नवम्बर 08	–
3	दिसम्बर 07	–	15	दिसम्बर 08	–
4	जनवरी 08	–	16	जनवरी 09	–
5	फरवरी 08	–	17	फरवरी 09	–
6	मार्च 08	22.6 (तहसील–बांसी)	18	मार्च 09	–
7	अप्रैल 08	–	19	अप्रैल 09	–
8	मई 08	23.08	20	मई 09	70.51
9	जून 08	338.20	21	जून 09	51.31

10	जुलाई 08	461.22	22	जुलाई 09	273.76
11	अगस्त 08	170.30	23	अगस्त 09	306.70
12	सितम्बर 08	20.30	24	सितम्बर 09	72.22

अधिकतम तापमान : 46 डिग्री सेन्टीग्रेड
न्यूनतम तापमान : 06 डिग्री सेन्टीग्रेड
वर्षापात दर्ज करने वाले केन्द्रों की संख्या : 05
वर्षापात दर्ज करने वाले केन्द्रो की स्थिति : ठीक

3.6 नदियों एवं सिंचाई योजनाएंः–

जिले की मुख्य नदिया–राप्ती, बूढी राप्ती, बानगंगा, कूडा एवं घोघी।

जिले की अन्य नदियां–घोरही, सोतवा, जमुआर एवं तेलार।

क्र0सं0	नदी का नाम	गेज स्टेशन	अधिकतम स्तर–98	खतरनाम स्तर (मी0मे)
1	राप्ती	बांसी पुल	85.820	84.90
2	बूढी राप्ती	ककरही पुल	88.875	85.850
3	बानगंगा	बानगंगा बैराज	94.48	93.42
4	कूड़ा	आलम नगर	89.450	87.200
5	कूड़ा	उसका रेलवे पुल	85.49	83.52
6	घोघी	लोटन पुल	87.90	87.00
7	जमुआरनाला	नौगढ़ पुल	4.81	3.66
8	तेलार नाला	सड्डा घाट	90.00	87.50

3.7 विभिन्न उद्योगों की उपलब्धताः–

क्र0सं0	उद्योगों के प्रकार	संख्या
1	कृषि व लकड़ी पर आधारित	145
2	पशुधनपर आधारित	01
3	वस्त्र आधारित	09
4	भवन सामग्री आधारित एवं विविध	26
5	सामान्य अभियंत्रण एण्ड ए लाईड	15
6	अन्य	140

3.8 स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धाः–

क्र0सं0	स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता	संख्या
1	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	07
2	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	06
3	नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	57
4	स्वास्थ्य उपकेन्द्र	278
5	अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	57
6	सदर अस्पताल	01
7	पशु चिकित्सालय	24
8	आर्यवेदिक चिकित्सालय/यूनानी चिकित्सालय	40
9	होम्योपैथिक चिकित्सालय	20
10	एलोपैथिक चिकित्सालय	71

भाग–4

जिला आपदा नियंत्रण कक्ष

4.1 आवश्यकताः– सम्पूर्ण कार्य व्यवस्था के संचालन नियंत्रण ओर पर्यवेक्षक के लिए जिला आपदा नियंत्रण कक्ष स्थापित है, जो जिलाधिकारी के मार्गदर्शन में अपर जिलाधिकरी (वित्त एवं राजस्व) के नियंत्रण एवं प्रभारी अधिकारी (आपदा) के देख–रेख में कार्यरत है। बाढ आगजनी या कोई विशेष प्रकार की दुर्घटना के समय आवश्यकतानुसार अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति करके इसे विस्तारित किया जाता है।

4.2 जिला नियंत्रण कक्ष का प्रभारी अधिकारीः–जिला नियंत्रण कक्ष पूर्णरूप से जिलाधिकारी के निर्देशन में रहेगा। संकट के दौरान जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/प्रभारी अधिकारी/जिला परियोजना अधिकारी (आपदा प्रबन्धन) या अन्य कोई भी अधिकारी जो उस समय कार्य पर उपस्थित हो, नियंत्रण कक्ष के पूर्ण प्रभार में रहेगें। नियंत्रण कक्ष के प्रभारी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से इस बात के लिए जिम्मेदार होंगे कि जिला नियंत्रण कक्ष का संचालन निर्धारित मानकों के अनुरूप हो, जैसा कि यहां वर्णित है और जिलाधिकारी के वास्ते दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेंगे ताकि स्थिति का प्रभावकारी प्रबन्धन सुनिश्चित किया जा सकें।

4.3 नियंत्रण कक्ष में मद स्थापनाः–किसी भी आपातकालीन स्थिति की प्रमाणिक सूत्रों द्वारा सूचना प्राप्त होने पर निम्नलिखित अधिकारियों व कर्मचारियों की पदस्थापना नियंत्रण कक्ष में की जायेगी।

- ❖ अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/उप जिलाधिकारी/जिला सूचनाा एवं जनसम्पर्क अधिकारी/जिला सांख्यिकी अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी/जिलाधिकारी की इच्छानुसार कोई भी अन्य अधिकारियों में से तीन (प्रत्येक 8–8 घण्टे के लिए एक–एक)
- ❖ आपदा प्रबन्धन कार्यालय/खाद्य आपूर्ति कार्यालय के सभी कर्मचारी/नजारत कार्यालय के नाजिर/जिलाधिकारी के स्टेनों/जिलाधिकारी के इच्छानुसार (प्रत्येक 8–8 घण्टे के लिए दो–दो कर्मचारी)
- ❖ इनके अलावा, अन्य कोई भी अधिकारी या कर्मचारी किसी भी अन्य श्रोत से किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त करता है तो व इसके अग्रेत्तर प्रसारण व कार्यवाही हेतु तुरन्त जिला नियन्त्रण कक्ष को सूचित करेगा।

वर्ष 2010–11 में जिला बाढ़ कन्ट्रोल रूम में लगाये गये अधिकारियों की सूची

क्र0सं0	प्रातः 6:00 बजे से अपरान्ह 02:00 बजे तक	अपरान्ह 02 बजे से रात्रि 10 बजे तक	रात्रि 10 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक	कार्य अवधि
1	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी–पंचस्थानी, सिद्धार्थनगर	जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी–सिद्धार्थनगर	जिला सहायक निबन्धक सकहारी समितियां सिद्धार्थनगर	माह का पहला सप्ताह दिनांक 01 से 07 तक
2	जिला समाज कल्याण अधिकारी–सिद्धार्थनगर	जिला पंचायत राज अधिकारी–सिद्धार्थनगर	वरिष्ठ निरीक्षक बाट माप सिद्धार्थनगर	माह का दूसरा सप्ताह दिनांक 08 से 15 तक
3	जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास एवं पुष्टाहार सिद्धार्थनगर	अपर जिला बचत अधिकारी सिद्धार्थनगर	जिला प्रबन्धन पी0सी0डी0एफ0 सिद्धार्थनगर	माह का तीसरा सप्ताह दिनांक 16 से 23 तक
4	असिस्टेन्ट कमिश्नर व्यापार कर सिद्धार्थनगर	सांख्यिकीय निरीक्षक भूलेख सिद्धार्थनगर	सहायक निदेशक, मत्स्य, सिद्धार्थनगर	माह का चौथा सप्ताह दिनांक 24 से माह के अन्त तक

वर्ष 2010–11 में जिला बाढ़ कन्ट्रोल रूप में लगाये गये कर्मचारियों की सूची

क्र0 सं0	प्रातः 6:00 बजे से अपरान्ह 02:00 बजे तक	अपरान्ह 2 बजे से रात्रि 10 बजे तक	रात्रि 10 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक	कार्य अवधि
1	श्री ओंकार सिंह आर0आर0के0	श्री जयश्री प्रसाद ई0आर0के0	श्री धुवलाल श्रीवास्तव जे0ए0	माह का प्रथम सप्ताह दिनांक 1 – 7 तक
2	श्री राजेन्द्र लाल श्रीवास्तव सि0लि0	श्री संजय कुमार प्रति लि0 अभि0	श्री बाबूराम प्रतिलिपिक अभिलेखागार	
3	श्री सन्तराम यादव कार्या0 असि0 कमिश्नर ए0 वाणिज्य कर सि0नगर	श्री अखिलेश नजारत चपरासी	श्री मनटेकू नजारत चपरासी	
4	श्री विष्णुपद श्रीवास्तव ए0सी0आर0ए0	श्री बद्री प्रसाद चौधरी शिकायत लिपिक	श्री रविशंकर लाल वी0आई0पी0लि0	माह का दूसरा सप्ताह दिनांक 8 – 15 तक
5	श्री शौकत अली एल0आर0सी0	श्री सुजीत कुमार श्रीवास्तव, ए0सी0आर0ए0	श्री ओम प्रकाश पाण्डेय फार्म कीपर	
6	श्री राम हित चकबन्दी विभाग	श्री उस्मान बस्ताबरदार अभिलेखागार	श्री अब्दुल मोईद चपरासी कार्यालय आर0टी0ओ0	
7	श्री राजेन्द्र कुमार खनन लिपिक	श्री महबूब आलम अन्सारी क0लि0जिला कार्या0 अधिकारी	श्री कपिल देव दूबे सामान्य सहायक	माह का तीसरा सप्ताह दिनांक 16 – 23 तक
8	श्री गुलाम रब्बानी उर्दू अनुवादक कार्या0 लघु सिंचाई	श्री विजय कुमार श्रीवास्तव प्रबन्धक अभि0	श्री अजय कुमार मिश्र सहा0लेखाकार, जिला उद्यान कार्या0	
9	श्री रंजित चपरासी भुलेख कार्यालय	श्री बैजनाथ नजारत चपरासी	श्री राम शंकर नजारत चपरासी	
10	श्री सतीश चन्द्र **ट्रेसर**	श्री मनोज कुमार क0लि0 आर0टी0ओ0	श्री शिवपूजन नाजिर सदर	माह का चौथा सप्ताह दिनांक 24 से माह के अन्त तक
11	श्री ध्रुव तिवारी प्रबन्धक/प्रति लि0 राजस्व अभिलेखागार	श्री जहॉगीर मेकरानी प्रति लि0 राजस्व अभिलेखागार	श्री विश्वनाथ जे0आर0के0	
12	श्री मनोज कुमार चकबन्दी विभाग	श्री धीरेन्द्र श्रीवास्तव चपरासी चकबन्दी विभाग	श्री रामकिशोर नजारत चपरासी	

उपरोक्त कर्मचारियों के अतिरिक्त आर0ए0, सी0आर0ए0 एवं नाजिर सदर तथा नजारत के अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आरक्षित रहेंगे।

4.4 प्रभावी नियंत्रण कक्ष हेतु आवश्यक संसाधन–

आपातकालीन स्थिति में नियंत्रण कक्ष को प्रभावी रूव से कार्यरत रखते हुए निम्नलिखित कदम उठाए जायेगे–

- नियत्रण कक्ष में एक अतिरिक्त फैक्स सुविधायुक्त टेलीफोन की व्यवस्था करना।
- नई बैटरी के साथ एक रेडिया रखना।
- भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी चेतावनी को निरंतर दर्ज करना।
- दो अतिरिक्त भाडे के जनरेटर सेटो की व्यवस्था करना।
- जनरेटर सेटो को चालू रखने हेतु दो बैरल डीजल का भण्डारण करके रखना।
- बी0एच0सफ0 सेट की बैटरी को चार्ज करके रखना (यदि सेट लगा हुआ हो)
- इन्वर्टर मशीन की बैटरी को चार्ज करके रखना।
- तूफान की सूचना देने हुए चार अतिरिक्त बैटरियों की व्यवस्था करना।
- सैटेलाइट फोन को चार्ज करना व नियमित जांच करना।
- दो अतिरिक्त चार पहियां वाहनों की व्यवस्था करना।

- चिन्हित आश्रय स्थलों की सूची (उपस्थित सहित)/स्वैच्छिक संगठनों के कार्यकर्ताओं / एन0सी0सी0/एन0एस0एस0 प्रशिक्षित होमागार्ड एवं अन्य युवा कार्यकर्ताओं की सूची उपलब्धता रखना।
- आवश्यक दूरभाष संख्या/जांच सूची जिले व सभी विकास खण्डो के नक्शों आदि को प्रदर्शित करके रखना।
- कम्प्यूटर सेट, प्रिन्टर व इण्टरनेट की सुविधा सहित।
- प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स एवं बचाव कीट्स।
- अग्नि शमन यन्त्र।
- सफेद बोर्ड, मार्कर व डस्टर।
- दस कुर्सी, दो टेबल एवं एक आलमारी।
- तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों का ड्यूटी चार्ट।
- लाईफ जैकेट।
- इमजेंसी लाईट व टार्च।
- प्रपत्र–9 एवं दैनिक प्रतिवेदन प्रपत्रों को समुचित मात्रा में उपलब्ध रखना।
- आपदा जनित घटनाओं को समयानुसार दर्ज करने हेतु लांग बुक एवं अन्य अभिलेख संधारण हेतु पर्याप्त स्टेशनरी सामग्रियों का समुचित भण्डारण।
- जिला आपदा सुरक्षा योजना की एक प्रति।
- विकास खण्ड व ग्राम पंचायत आपदा प्रबन्धन योजना की एक–एक प्रति।

4.5 जाँच सूचीः–

(क) खाद्य पदार्थः–

- ❖ भण्डारण अभिकर्ता एवं अन्य एजेसियों के साथ खाद्यान्न (चावल, चूडा व गुड) तथा किरासन तेल की विकास खण्ड मुख्यालय में उपलब्धता की जांच करना। खण्ड विकास अधिकारी सभी भण्डारण अभिकर्ताओं से सम्पर्क करेंगें। अभिकर्ता को 24 घण्टे प्रतिष्ठान पर उपस्थित रहना होगा। खण्ड विकास अधिकारी तुरन्त एक अधिकारी को उस स्थान पर प्रतिनियुक्त करेंगे जिस स्थान पर भण्डारण गृह अवस्थित हो।
- ❖ अल्प सूचना पर सूखे खाद्यान्नों व आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए सतर्क रहने हेतु विकास खण्ड आपूर्ति अधिकारी सूचित करना।
- ❖ निजी व सरकारी थोक व्यापारियों/एफ0सी0आई0 को अपने प्रतिष्ठान सभी दिनों (रविवार एवं छुट्टी के दिन में भी) खुला रखने के लिए निर्देश देना। जब तक कि स्थिती सामान्य नही हो जाती है।
- ❖ खाद्यान्नों एवं किरासन तेल की विकास खण्ड मुख्यालय से उन इलाकों तक पहुंचाना प्रारम्भ करना जो प्रायः आपदाओं (बाढ़) के बाद विकास खण्ड मुख्यालय से कट जाते है।
- ❖ जिला परिवहन अधिकारी को वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अधियाचना प्रस्तुत करना।
- ❖ जिला व विकास खण्ड आपूर्ति अधिकारी की सहायता से खाद्यान्न एवं किरासन तेल भंडारों को जिला मुख्यालय से विकास खण्ड मुख्याल तक भिजवाना।
- ❖ जिलाधिकारी व जिला पूर्ति अधिकारी को चालव, चूडा, गुड एवं अन्य आवश्यक सामग्रियों के भण्डारण के लिए सूचना देना।
- ❖ जिला मुख्यालय तथा जिले के विभिन्न भागों में अवस्थित भण्डारगृहों में उपलब्ध राहत सामग्रियों का पूर्ण मूल्यांकन करना।
- ❖ पथ निर्माण/भवन निर्माण उच्च पथ निर्माण/नलकूप/बाढ़ क्षेत्र/बाढ़ नियंत्रण/जल निःस्सरण क्षेत्र के मुख्य व सहायक अभियन्ता को कम से कम बीस व्यक्तियों के कार्यदल को कुदाली, गैंता व आरी सहित हमेशा तैयार रखना। ये लोग हमेशा एक चैन–पुल्ली उपकरण भी साथ रखेगें।
- ❖ गृह रक्षा वाहिनी के जवानों को खोज एवं बचाव का प्रशिक्षण दिलाकर अभ्यास करना तथा आवश्यकता पडने पर तटबन्धों की देख–रेख हेतु तैयार करना व जहां आवश्यकता महसूस होती है वहां भेजना।
- ❖ पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर, पुलिस अधीक्षक रेल, कमाण्डेन्ट केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, कमाण्डेन्ट एन0सी0सी0, कमाण्डेन्ट एस0एस0बी0 सिद्धार्थनगर से खोज एवं बचाव कार्य तथा कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस कर्मियों अर्धसैनिक बलों के जवानों, कैडेटों की तैनाती के लिए आग्रह करना।
- ❖ ऐसे अधिकारियों की सेवा के लिए मांगपत्र तैयार करना जो पूर्व से भी इस कार्य में शामिल थे तथा ज्यादा प्रभावकारी साबित हुए इन अधिकारियों को क्षेत्र विभाजित कर इस बात के लिए अधिकृत कर देना कि वे घटना स्थल पर कोई भी उचित निर्णय कर सकें।

(ख) स्वास्थ्य केन्द्रः–

- ❖ आवश्यक दवाओं, ब्लिचिंग पाउडर, हेलोजन टेबलेट की उपलब्धता की जांच करना यदि आवश्यक हो तो अधियाचना मुख्य चिकित्साधिकारियों को तुरन्त भेजना।
- ❖ उपलब्ध दवाओं ब्लिचिंग पाउडर, हैलोजन टेबलेट इत्यादि को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में भेजना।
- ❖ सुनिश्चित करना कि प्रतिनियुंक्त चिकित्सा शिविरों हेतु स्थल का चुनाव करेगें ।
- ❖ सभी बाल विकास परियोजना अधिकारी अपने पर्यवेक्षको व वाहनो के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/अति0प्रा0स्वा0 केन्द्र के चिकित्सा अधिकारियों के साथ कार्य करेगें।
- ❖ पशु आहार की व्यवस्था करना जिला पशु चिकित्साधिकारी तथा जिला पशु पालन अधिकारी द्वारा वैक्सीन व अन्य दवाओं तथा चारा की व्यवस्था का मूल्यांकन करना।

(ग) परिवहनः–

- ❖ 32 छोटे व 32 बड़े वाहनों हेतु तुरन्त अधियाचना प्रस्तुत करना। आगे की आवश्यकतानुसार फिर से अधियाचना प्रस्तुत करें।
- ❖ वाहनों की मांग हेतु क्षेत्रीय अधिकारियों को प्राधिकृत करें। प्रत्येक खण्ड विकास अधिकारी एवं थानाध्यक्ष को 10 वाहनों हेतु अधियाचना भेजे।
- ❖ जिला के लिए नावों की अधियाचना तैयार करना तथा यह सुनिश्चित करना कि नाव चालक यात्रियों से कोई अतिरिक्त राशि नहीं वसूल रहे हैं तथा नावों में लाल झण्डा लगाकर परिचालन कर रहे हैं।

(घ) अन्यः–

- ❖ एयर ड्रापिंग जोन की पहचान के लिए लाग बुक का प्रयोग करना। जिन गांवों या क्षेत्रों में एयर ड्रापिंग की आवश्यकता महसूस होती हो उसकी सूची पहले से तैयार रखना।
- ❖ आपातकालीन स्थिति की समीक्षा के उपरान्त शैक्षणिक संस्थानों की स्थिति सामान्य होने तक बन्द कर देना।
- ❖ बेबसाइटों की नियमित जांच करना एवं प्रतिदिन आपदा प्रबन्धन विभाग को जानकारी देना व जानकारी प्राप्त करना।
- ❖ जिले एवं जिले के अन्य विकास खण्डों के मानचित्र की अतिरिक्त प्रति रखना तथा सभी सिंचाई खण्डों के अधिकार क्षेत्रों के मानचित्र की प्रति उचित संस्था में रखना।
- ❖ मुख्य चिकित्साधिकारी/जिला पशु चिकित्साधिकारी/उप जिलाधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता (सिंचाई)/खण्ड विकास अधिकारी/उप खण्ड विकास अधिकारी हेतु अस्थायी बी0एच0एफ0 सेट की अधियाचना मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से करना।
- ❖ अर्द्ध सैनिक बलों/पुलिस बलों से ठहराव हेतु विद्यालय/महाविद्यालय की मांग करना।
- ❖ सभी नियुक्ति क्षेत्रीय अधिकारियों को भाड़े पर जनरेटर रखने तथा उन्हें चलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में तेल डीजल रखने लिए दिशा निर्देश जारी करना।
- ❖ सभी पुलिस थाना को बी0एच0एफ0 सेट हेतु अतिरिक्त बैटरी रखने के लिए दिशा निर्देश जारी करना।
- ❖ प्रमुख सरकारी व गैर सरकारी अधिकारियों की आपातकालीन बैठक आयोजित करना तथा उन्हें उपयुक्त तथ्यों से सम्बन्धित स्पष्ट दिशा निर्देश देना।
- ❖ जिला नियंत्रण कक्ष के रूकावट रहित कार्य करने तथा राहत व बचाव कार्यो के तुरन्त नि पादन हेतु मुख्य अधिकारियों के कर्तव्य सम्बन्धी रोस्टर का निर्माण करना।
- ❖ आल इण्डिया रेडियों व दूरदर्शन (प्रसार भारती) के द्वारा आम जनता के लिए सूचना का प्रसार किया जाना। चेतावनी के अलावे इनमें निम्नलिखित दो बिन्दुओं का समावेश किया जाना।
- ❖ हमेशा सतर्कता बरतने के सम्बन्ध में नजदीकी पक्की इमारतों/सरकारी भवनों/टीला पर आश्रय लेने के सम्बन्ध में।
- ❖ पशुधनों को खुले स्थानों में मुक्त रखने के सम्बन्ध में।
- ❖ निश्चित अन्तराल पर अपर जिलाधिकारी प्रभारी आयुक्त (आ0प्र0) भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, गृह सचिव, राजस्व, मुख्यमंत्री के निजी सचिव/मुख्य सचिव, स्वास्थ्य आयुक्त के निरन्तर सम्पर्क में रहना।

(ड.) सामुदायिक संगठनः–

सामुदायिक एवं गैर सामुदायिक संगठनों के सम्पर्क रहना। उनके बीच क्षेत्र का बंटवारा करना क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं से परिचय करना। उन्हें स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं की सूची बनाने के लिए कहना। उनके पास उपलब्ध संसाधनों की सूची यू0एन0डी0पी0/यूनीसेफ/डब्लू0एच0ओ0 और अन्य अन्तरा ट्रीय संगठनों के सम्पर्क में रहना। जिले की आवश्यकताओं व अपेक्षाओं के अनुरूप विभिन्न एजेन्सियों के साथ सहयोग की समीक्षा करना।

4.6 प्रेस विज्ञप्ति :–

आपदा प्रबन्धन कार्य में प्रेस विज्ञप्ति की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रतिदिन शाम 5:00 बजे लिखित विज्ञप्ति जारी करना चाहिए। इसके लिए निम्नलिखित प्रपत्र का उपयोग किया जायेगा।

क्र0सं0	विवरण	कुल संख्या	प्रभावित संख्या	टिप्पणी
01	विकासखण्ड / शहर			
02	ग्राम			
03	जनसंख्या			
04	अत्यन्त प्रभावित क्षेत्र			
05	बचाव कार्य / चलाएं ज रहे नाव / अर्द्ध सैनिक बल / पुलिस फायर बिग्रेड / अन्य संगठन			
06	राहत सम्बन्धी			
07	लाभार्थियों की संख्या			
08	लाभान्वित की संख्या			
09	लाभान्वित दिनों की संख्या			
	मुफ्त भोजन			
	चावल			
	चूड़ा अन्य सूखा भोजन किरासन तेल			
	पोलिथिन शीड्स			
	टेन्टस			
	पशु आहार			
	हैलोजन टेबलेट			
	अन्य दवाएं			
10	मृत्यु सम्बन्धी घटनाएं संख्या		ग्राम / विकासखण्ड	टिप्पणी
	मृत			
	लापता			
	पशुधन			
11	सम्पत्ति का नुकासान संख्या		अनुमानित मू0	टिप्पणी
	1–सड़क			
	2–रेल			
	3–तटबन्ध			
	4–विद्यालय			
	5–अन्य सार्वजनिक भवन			
	6–घर / मकान			
	7–विद्युत सम्पत्ति			
	8–दूर संचार की क्षति			
	9–पुल / पुलिया			
	10–अन्य			
12	अगले 24 घण्टे का अनुमान			
13	अन्य विवरण यदि हो			

4.7 आने वाले संदेश को दर्ज करने के लिए निर्धारित पंजी का प्रपत्र :–

क्र0 सं0	दिनांक	प्राप्ति समय	प्राप्त संदे ा	प्रेषक	संदेश स्थानान्तिरित	प्राप्ति प्रति	माध्यम (व्यक्ति / दूरभाष / गतिविधियां)	जरी निर्देश

4.8 बाहर भेजे जाने वाले संदेशों को दर्ज करने के लिए निर्धारित पंजी का प्रपत्र :–

क्र0 सं0	दिनांक	निर्गत समय	निर्गत संदेश	प्रेषित	प्रतिलिपि	निर्गत माध्यम (व्यक्तिगत / दूरभाष)	प्राप्ति प्रति	निर्देश बाद गतिविधियां

भाग–5
संकट समीक्षा एवं संवेदन शीलता का विवरण

5.1 आपदाओं का सामाजिक व आर्थिक प्रभावः–

बाढ़ समीक्षाः–जनपद सिद्धार्थनगर पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थित तराई क्षेत्र का जनपद है, जिसके उत्तर में नेपाल राज्य, दक्षिण में जनपद सन्तकबीरनगर व बस्ती, पूरब में जनपद महराजगंज व पश्चिम में जनपद बलरामपुर व गोण्डा स्थित है। यह जनपद पूर्व में बस्ती जनपद का एक भाग रहा है जो दिनांक 29 दिसम्बर 1988 को अलग होकर नये जनपद सिद्धार्थनगर के रूप में सृजित हुआ है।

जनपद का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 2,98,855 हेक्टेयर है जिसमें कृषि क्षेत्रफल 2,42,527 हेक्टेयर हैं। जनपद की कुल जनसंख्या 1991 में 16,18,942 थी, जो वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बढ़कर 20,35,598 एवं वर्ष 2006 में जनसंख्या 20,38,598 हो गयी है। इस जनपद की प्रमुख नदियॉ राप्ती, बूढ़ी राप्ती, कूड़ा, बानगंगा व घोंघी का उद्गम स्थल नेपाल है। यह नदियां नेपाल से सीधी आकर इस जनपद में राप्ती नदी में मिलती हैं, जिसके कारण नेपाल के पहाड़ो पर भारी वर्षा होते ही इस जनपद को एकदम जल प्लावित कर बहुत बड़े भू–भाग को जलमग्न कर देती हैं। इन नदियों के अतिरिक्त इस जनपद में अनेक नाले भी प्रवाहित होते हैं जिनमें प्रमुख नालें जमुआर, तेलार, फजिहतवा, परासी, एकरारी सोतवा आदि हैं, परन्तु इनके जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण ये बाढ़ विभीषिका को और बढ़ा देते हैं। जनपद की भौगोलिक स्थिति कटोरेनुमा होने के कारण जल निकासी का विशेष प्रबन्ध किये जाने की भी आवश्यकता है। इस हेतु पूर्व में नेपाल–भारत सरकार के मध्य जल कूडी नामक योजना का प्रस्ताव बना था जिसके पूर्ण होने पर जनपद में जल प्लावन एवं बाढ़ की स्थिति समाप्त हो जायेगी, जिससे एक ओर बाढ़ पर होने वाला करोड़ों रूपये का खर्च बचेगा एवं दूसरी ओर इस समय जलमग्न हो जाने वाली कृषि योग्य भूमि से उत्पादन भी प्राप्त हो जायेगी।

वर्ष 1998 में इस जनपद में आयी सदी की भीषणतम बाढ़ ने जनपद के पिछले 100 वर्षो के रिकार्ड को ध्वस्त कर दिया था। जिसके फलस्वरूप जनपद के कुल 2545 राजस्व ग्रामों में 1693 ग्राम प्रभावित तथा 1053 ग्राम मैरूण्ड हुए थे। बाढ़ से 1165909 जनसंख्या तथा 190495 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ था जिससे 126262 हेक्टेयर क्षेत्र की फसल नष्ट हो गयी थी। कुल 52 मनुष्यों तथा 481 पशुओं की मृत्यु हुई थी।

यद्यपि वर्ष 1999, 2002, 2003, 2004 व 2006 में जनपद में बाढ़ की स्थिति नहीं रही हैं। परन्तु वर्ष 2000, 2005 व 2007 व 2008 एवं गतवर्ष 2009 भी जनपद सिद्धार्थनगर के लिए भीषण बाढ़ का वर्ष रहा है। दिनांक 28.07.2009 से दिनांक 05. 8.2009 एवं 16.08.09 से 28.08.09 के बीच इस जनपद में आयी बाढ़ की विभीषिका वर्ष 1998 की अभूतपूर्व बाढ़ से कुछ कम नहीं थी। वर्ष 2009 में बूढ़ी राप्ती व कूडा व घोघी एवं बागंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी।

वर्ष–2000 में राप्ती नदी का जलस्तर 1998 के रिकार्ड जलस्तर से मात्र 05 सेन्टीमीटर नीचे रहा है। बाढ़ की विभीषका इतनी उग्र थी कि जनपद मुख्यालय का सम्पर्क दिनांक 10.09.2000 से दिनांक 20.09.2000 तक जनपद की तीन तहसीलों बांसी विभीषिका इतनी उग्र थी कि जनपद मुख्यालय का सम्पर्क दिनांक 10.09.2000 से दिनांक 20.09.2000 तक जनपद की तीन तहसीलों बांसी, डुमरियागंज, इटवा से कट रहा। बाढ़ से जनपद के कुल 2545 गांवों में से 1226 ग्राम प्रभावित हुए जिनमें से 801 ग्राम मैरूण्ड थे। बाढ़ से कुल 106377 हेक्टेयर क्षेत्रफल प्रभावित हुआ, जिसमें कृषिक क्षेत्रफल 73728 हेक्टेयर था। बाढ़ से जनपद की लगभग 775918 जनसंख्या प्रभावित हुआ तथा बाढ़ से जनपद में जनहानि 12 व पशुहानि 78 हुआ।

वर्ष 2007 में अनवरत अतिवृष्टि से दिनांक 27.07.2007 से जनपद में बाढ़ की स्थिति प्रारम्भ हुई। उक्त बाढ़ से सर्वप्रथम तीन तहसीलें नौगढ़, बांसी, एवं शोहरततगढ़ प्रभावित हुई बाद में डुमरियागंज व इटवा में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने से जनपद की पांचों तहसीलों के 662 राजस्व ग्राम बाढ़ से प्रभावित हो गय। जिसमें से 288 ग्राम के चारों तरफ से पानी भर जाने के कारण मैरूण्ड हो गये। इस बाढ से 4,64,950 जनसंख्या एवं 76,561 हे0 भूमि से 4,64,950 जनसंख्या एवं 76,561 हे0 भूमि प्रभावित हुई। जिसमें से 63,368 हे0 बोया गया कृषि क्षेत्रफल प्रभावित हुआ है। जिसमें से 14,737.16 हे0 क्षे0 में बोई गयी कृषि फसलों की 50प्रतिशत से अधिक क्षति हुई है। इस जनपद में पर्याप्त मात्रा में नाव उपलब्ध न होने के कारण जनपद फैजाबाद से 13 नाव मंगाकर बाढ प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यो हेतु कुल 182 नाव लगायी गयी जो दिनांक 10.08.2007 तक कार्य करती रही। बाढ ग्रस्त क्षेत्रों में 30 राहत केन्द्रों के माध्यम से तात्कालिक जीवन निर्वाह हेतु 288 मैरूण्ड ग्रामों में चावल 10238 कुन्तल गेहूँ 216.60 कुन्तल, मिट्टी का तेल–1,04,476 लीटर, नमक 522.88 कुन्तल, दियासलाई (माचिस) 1,04,576 अदद एवं पोलीथीन 240मी0, तथा 13 व्यक्तियों की मृत्यु पर रू0–13,00,000.00 व 03 पशुओं की मृत्यु पर रू0–10,950.00 अनुग्रह अनुदान कर वितरण किया गया। 32 नावों के माध्यम से बचाव एवं राहत कार्य सम्पादित किया गया, जिसमें कुल मूल्य रू0–1,39,15,438.00 व्यय किया गया। कृषि निवेश अनुदान 50 प्रतिशत से अधिक क्षतिग्रस्त बोई गयी–14,737.16 हे0 कृषि फसलों की क्षति रू0–2,94,74,320.00 कृषि निवेश अनुदान एवं गृह अनुदान रू0–73,48,000.00 कु0 रू0–5,07,37,759.00 बाढ राहत सहायता के रूप में वितरित किया गया। बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक सम्पत्तियों के पुनर्निर्माण हेतु रू0–10.00 लाख से कम के ड्रेनेज खण्ड सिद्धार्थनगर के 29 प्राक्कलन रू0–78,66,000.00 व सिंचाई निर्माण खण्ड के 30 प्राक्क्लन रू0–1,24,36,000.00 व पंचायत राज विभाग के 21 गाम पंचायतों के 27 प्राक्कलन रू–7,97,000.00 व ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा सिद्धार्थनगर के 25 प्राक्कलन रू0–1,07,00,000.00 व प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग इटवा के 02 प्राक्कलन रू0–18,97,000.00 व प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग सिद्धार्थनगर के 19 प्राक्कलन रू0–47,45,000.00 कुल 132 प्राक्कलनों हेतु रू0–3,38,71,000.00 एवं रू0–10.00 लाख से ऊपर से सिंचाई निर्माण खण्ड सिद्धार्थनगर के 08 प्राक्कलन रू0–1,23,35,000.00 व विद्युत विभाग सिद्धार्थनगर के 02 प्राक्कलन रू0–66,89,000.00 व ग्रामीण खण्ड लोक निर्माण विभाग

इटवा के 03 प्राक्कलन रू0–1,32,65,000.00 तथा ड्रेनेज खण्ड सिद्धार्थनगर के 04 आक्कलन रू0–1,96,43,000.00 कुल 17 प्राक्कलनों हेतु रू0–5,19,32,000.00 विभागों को आवंटित किया गया है। उपरोक्तानुसार कुल रू0–14,10,40,759.00 का वितरण / आवंटन किया गया है।

वर्ष 2008 में नेपाल की पहाड़ियों एवं इस जनपद में दिनांक 22.05.2008 से अनवरत वर्षा हुई तथा दिनांक 29.06.2008 को एक दिन में सर्वाधिक 115.28 मिमी0 औसत वर्षा हुई। माह जून में औसत वर्षा 163 मिमी0 के सापेक्ष 342.24 मिमी0 रिकार्ड की गयी। दिनांक 21 व 22 जुलाई दो दिवस में 236 मिमी0 वर्षा रिकार्ड की गयी। दिनांक 21.07.2008 से दिनांक 02.8.2008 एवं 02.09.08 से 09.09.08 के बीच इस जनपद में आयी बाढ़ की विभीषिका वर्ष 1998 की अभूतपूर्व बाढ़ से कुछ कम नहीं थी। वर्ष 2008 में राप्ती नदी का जल स्तर 1998 के रिकार्ड जल स्तर से मात्र 0.650 सेमी0 नीचे रहा है। बाढ़ के कारण नौगढ़–बांसी एवं ढेबरूआ–इटवा मार्ग पर कहीं–कहीं अत्यधिक पानी आ जाने के कारण आवागमन 03 दिन तक बन्द रहा। जिसके फलस्वरूप जनपद के पांचों तहसीलों के 696 ग्राम प्रभावित एवं 200 ग्राम मैरूण्ड हुए। बाढ़ से 1.55 लाख जनसंख्या, 64670.00 हे0 भूमि जिसमें से 50206 हे0 बोया गया क्षेत्र प्रभावित हुआ। बाढ़/अतिवृष्टि से कुल 28 व्यक्तियों की मृत्यु हुई, जिसमें से 11 डूबने से तथा 17 की अन्य कारणों से मृत्यु हुई। मृतक परिवारों में प्रति मृतक रू0 1.00 लाख की दर से रू0 28.00 लाख अनुग्रह अनुदान का वितरण 24 घण्टे के अन्दर किया गया है। बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में 207 नाव, 03 मोटर बोट एवं 01 कम्पनी पी0ए0सी0 के माध्यम से राहत एवं बचाव कार्य करते हुए प्रति परिवार चावल 20 किग्रा0, नमक 01 किग्रा0 मिट्टी का तेल 02 ली0 तथा माचिस 02 अदद की दर से 45834.00 परिवारों में चावल 9166.80 कुन्तल मिट्टी का तेल 91968 ली0 नमक 458.34 कुन्तल तथा दियासलाई (माचिस) 91668 अदद का वितरण किया गया। बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त 10311 मकानों हेतु गृह अनुदान रू0 16105500.00 (रू0 एक करोड़ इकसठ लाख पांच हजार पांच सौ) एवं 37767 कृषकों में कृषि निवेश अनुदान रू0 27323892.00 (रू0 दो करोड़ तिहत्तर लाख तेइस हजार आठ सौ बानबे मात्र) का वितरण किया गया।

बाढ़–2008 से क्षतिग्रस्त अवस्थापना कार्यो की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण हेतु अधिकारियों द्वारा किये गये सर्वे के आधार पर अति आवश्यक कुल 251 कार्यो पर रू0–3591.97 लाख जिला राहत समिति द्वारा स्वीकृत किया गया जिसमें से रू0–20.00 लाख से कम के 218 प्राक्कलनों पर रू0–2110.52 लाख एवं रू0–20.00 लाख से ऊपर के 33 प्राक्क्लनों के सापेक्ष रू0–1481.45 लाख की धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की गई। जिसमे से लोक निर्माण विभाग, बांसी के 39 प्राक्कलन रू0–413.35 लाख व लोक निर्माण विभाग, इटवा के 26 प्राक्कलन रू0–613.94 लाख व ग्रामीण अभियंत्रण सेवा सिद्धार्थनगर के 29 प्राक्कलन रू0–403.76 लाख व नगर पंचायत, सिद्धार्थनगर के 03 प्राक्क्लन रू0–72.40 लाख व जिला पंचायत सिद्धार्थनगर के 01 प्राक्कलन रू0–18.50 लाख व अधिशासी अभियन्ता, ड्रेनेज खण्ड के 45 प्राक्कलन रू0–438.57 लाख व सिंचाई निर्माण खण्ड के 74 प्राक्कलन रू0–1101.41 लाख व जल निगम के 01 प्राक्कलन रू0–13.00 लाख एवं पंचायत राज विभाग, सिद्धार्थनगर के 10 प्राक्कलन रू0–15.51 लाख कुल 251 प्राक्कलन रू0–3591.97 लाख विभागों को किया गया है। शासन से कुल रू0–56,95,00377.00 का धनावंटन प्राप्त हुआ था। जिसमें से रू0–50,21,49,512.00 राहत एवं बचाव तथा मरम्मत मद में व्यय किया गया, शेष रू0–6,73,50,865.00 पत्र एवं बैक ड्राफ्ट के माध्यम से शासन को वापस किया गया।

वर्ष 2009 में इस जनपद में दिनाक 27–07–09 व 28–07–09 तथा दिनाक 13–08–09 से 17–08–09 तक हुई वारिस एवं समानान्तर रूप से जनपद की उत्तर स्थित नेपाल राज्य में हुई वारिस से जनपद स्थित बानगंगा नदी, बूढ़ी राप्ती नदी, कूड़ा नदी, एवं अन्य सहायक नालों के वारिस का पानी जनपद सिद्धार्थनगर में दिनांक 28–07–09 को पहुॅचा। जिससे तहसील–शोहरतगढ़, इटवा, बॉसी एवं नौगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में क्रमशः बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई। इस जनपद में प्रथम चक्र में दिनांक 28–7–09 से दिनांक 05–08–09 तक तथा दूसरे चक्र में दिनांक 16–08–09 से 28–8–09 बाढ़ की स्थिति रही।

उक्त दोनों चक्रों में जनपद की 05 तहसीलों में से बाढ़ प्रभावित 04 तहसीलों क्रमशः तहसील नौगढ़ के 191 ग्राम, बांसी के 14 ग्राम, इटवा के 36 ग्राम एवं शोहरतगढ़ के 99 ग्राम, कुल 340 ग्राम प्रभावित एवं इसी में से क्रमशः 63 व 6 व 17 एवं 16, कुल 102 ग्राम मैरूण्ड हुए। जिससे 32,351 हे0 कृषि क्षेत्रफल एवं 70,200 जनसंख्या प्रभावित हुई। बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में 137 नाव एवं 2 मोटर वोट के माध्यम से राहत एवं बचाव कार्य किया गया। 01 जून 2009 से 30 अगस्त 2009 तक 08 व्यक्तियों की मृत्यु हुई हैं। जिनके वारिसों को प्रति मृतक रू0–1.00 लाख की दर से रू0–08.00 लाख का वितरण किया गया। बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों में चावल 6299.60 कुन्तल, नमक 314.98 कुन्तल, मिट्टी का तेल, 62,996 लीटर एवं माचिस 62,996 अद्द, लाई चना 8643 पैकेट, पूड़ी 900 पैकेट, यूनीसेफ की मदद से त्रिपाल 250 अद्द, एवं प्लास्टिक बाल्टी 375 अद्द व प्लास्टिक मग 375 अद्द, प्लास्टिक जरीकेन 20 लीटर 400 अदद, एवं मच्छरदानी 1125 अदद का वितरण किया गया।

दिनांक 28/29–07–09 की रात में नदी बानगंगा में अधिक पानी आ जाने के कारण इटवा तहसील के ग्राम नवेल के पास बुढ़ी राप्ती नदी में जहॉ बानगंगा नदी मिलती है, ठीक उसके विपरीत दिशा में मदरहवा–अशोगवा बॉध का तटबन्ध ग्राम नवेल के अहिरनडीह के दक्षिण तरफ टूट गया, जिसको दिनांक 11–8–2009 तक बन्द कर दिया गया था। उक्त बांध पुनः दिनांक 19–08–09 को 7.40 बजे टूट गया।

बाढ़ से सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की आंकलित प्रारम्भिक क्षति रू0–5048.06 लाख हुई है। जिसमें ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग की क्षति रू0 1461.45 लाख व लोक निर्माण विभाग के सड़क एवं पुल की क्षति रू0–1439.04 लाख व सिंचाई विभाग की क्षति रू0–1690.97 लाख, **व** जिला पंचायत की रू0 279.00 लाख व सरयू नहर खण्ड की नहरों के क्षति 91.98 लाख एवं पंचायत राज विभाग के 42 ग्रामों में रू0–85.62 लाख की क्षति के मरम्मत हेतु धन की मॉग की गयी है। शासन से वित्तीय वर्ष 2009–10 में आपदा राहत कार्य हेतु कुल रूपया 8,53,49,641–00 का धनावंटन प्राप्त हुआ था, जिसमें से रूपया 3,77,26,641–00

राहत कार्य एवं रूपया 4,76,23,000–00 तात्कालिक मरम्मत मद से सम्बन्धित है। तहसीलों द्वारा राहत एवं बचाव कार्य हेतु रूपया 3,28,92,574–00 व्यय किया गया, पशुपालन विभाग को आवंटित रूपया 4,64,000–00 व्यय किया जा रहा है। उक्त मे से अवशेष रूपया 43,70,067–00 शासन को वापस किया गया है।

तात्कालिक मरम्मत मद में वित्तीय वर्ष 2009–10 के अन्त में शासन द्वारा रू0–20.00 तक के कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड, सिद्धार्थनगर के 06 प्राक्कलन रू0–100.19 लाख व लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड न0–1 इटवा के 10 प्राक्कलन रू0–127.86 लाख व जिला पंचायत सिद्धार्थनगर के 05 प्राक्कलन रू0–75.40 लाख व अधिशासी अभियन्ता, ड्रेनेज खण्ड के 09 प्राक्कलन रू0–73.57 लाख व सिंचाई निर्माण खण्ड के 06 प्राक्कलन रू0–80.11 एवं सरयू नहर खण्ड–3, इटवा के 01 प्राक्कलन रू0–19.10 लाख कुल 37 प्राक्कलन रू0–476.23 लाख विभागों हेतु आवंटित किया गया। प्राप्त धनराशि में से 75 प्रतिशत रूपया 357.17 लाख कार्यदायी संस्था को वित्तीय वर्ष 2010–11 में आवंटित किया गया शेष रूपया 119.06 लाख भारतीय स्टेट बैंक नौगढ़ के दैवी आपदा राहत खाते में अवशेष है।

5.3 विभिन्न प्रकार की आपदाओं के दृष्टिकोण से विकास खण्डवार क्षेत्र विवरण :–

क्र0 सं0	संकट का प्रकार	सम्भावित प्रभाव	संवेदनशील तत्व	संवेदनशील विकास खण्ड
1	बाढ़	फसल मूलभूत संसाधन रोजी रोजगार का संसाधन, घर मकान निजी सरकारी सम्पत्ति का नुकसान	संचार नेटवर्क सूदूर विकासखण्डों का सड़क सम्पर्क, दूरभाष सम्पर्क निजी संसाधन कच्चा मकान, फूस की झोपड़ी अर्द्ध कच्चा मकान कृषि–धान, सब्जी व अन्य सिंचाई श्रोत– निजी व सरकारी नलकूप पेयजल स्रोत– नलकूप, कुआं, चापाकल (निजी व सरकारी दोनों) शैक्षणिक संस्थान–प्राथमिक विद्यालय, पूर्व माध्यमिक विद्यालय, उच्चतर मा0 विद्यालय , माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय, आंगनबाडी केन्द्र, निजी विद्यालय, जोखिम जनसमूहः–विकलांग वृ0 व लाचार कमजोर, रोगग्रस्त, गर्भवती महिला, मछली वाले रोग, नाविक इत्यादि पशुधन–गाय, भैस, बकरी, भेड़ इत्यादि अन्य परिसम्पत्तियां तटबंध, फलदार वृक्ष, ईट भट्ठा, पेट्रोल पम्प, वाहन एवं बिजली के यंत्र इत्यादि।	
2	लू (गर्म हवाएं)	मानव पशु जीवन की क्षति	मानव बच्चे, वृद्ध महिलाएं, श्रमिक वर्ग, पशु गाय, बैल, भैस, भेड़, बकरी आदि।	समस्त विकास खण्ड
3	आगजनी	सम्पत्ति व मानव तथा जीवन की क्षति	सम्पत्ति–घर की सभी वस्तुएं, फूस की झोपड़ी भवन (सरकारी व निजी) व्यक्तिगत प्रमाण–पत्र आदि मानव–बच्चे, महिलाएं व वृद्धि, पशु–बकरी, मुर्गियॉ आदि	समस्त विकास खण्ड
4	सूखा	फसल व आजीविका की क्षति	फसल–धान, सब्जी व अन्य आजिविका –पेयजल की किल्लत, पशु आहार, सब्जी।	
5.	शीतलहर	मानव जीवन व फसल की क्षति	मानव बच्चे, वृद्ध तथा बीमार व्यक्ति, फसल–दलहन, आलू, सब्जी, पशु, मुर्गियॉ, गाय	
6	आंधी (तेज हवाएं)	मूलभूत संसाधन फसल, मानव व पशु जीवन, आजीविका घर निजी व सरकारी सम्पत्ति	संचार नेटवर्क–सडक, टेलीफोन, बिजली व्यवस्था, निजी संसाधन–कच्चा मकान, झोपडी, फसल–धान, गेहूँ सरकारी सम्पत्ति–भवन वृक्ष	
7	भूकम्प	भवन, मानव व पशु जीवन की क्षति	भवन–सभी प्रकार की सरकारी व निजी भवन जन समूह, पशुधन, अन्य दूर संचार सेवाएं विद्युत आपूर्ति पुल व पुलिया	
8	बज्रपात	मानव व पशु जीवन को क्षति	मानव–श्रमिक, महिलाएं एवं बच्चे पशु–बैल व भैस	
9	ओलावृष्टि	फसल को क्षति	फसल–गेहूँ, दलहन, तिलहन आदि।	
10	सडक दुर्घटना	मानव,पशु जीवन वाहन एन0एच0 व एस0एच0 के किनारे व मकान को क्षति	बसे सभी प्रकार के लोग, पशु मकान व सभी प्रकार के वाहन।	

5.4 आपदाओं के घटित होने का कैलेण्डरः–

विपदाएं	संभावित महीने											
	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर
बाढ़						→	→	→	→			
लू		←	←	←	←	←	←	→				
भूकम्प	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
सूखा							←	←	←	→		
अग्निकाण्ड	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
आंधी तूफान									←	←	←	→
शीतलहर	←	←	←	←	←	→						
ओला वृष्टि							→	→	→	→		
बज्रपात	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	→

5.5 आपदा का इतिहासः–

वर्ष 1998 में इस जनपद में आयी सदी की भीषणतम बाढ ने जनपद के पिछले 100 वर्षो के रेकार्ड को ध्वसत कर दिया था। जिसके फलस्वरूप जनपद के कुल 2545 राजस्व ग्रामों में 1693 ग्राम प्रभावित तथा 1053 ग्राम मैरूण्ड हुए थे। बाढ से 1165909 जनसंख्या तथा 190495 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ था जिससे 126262 हे0 क्षेत्र की सफल नष्ट हो गयी थी। कुल 52 मनुष्यों तथा 481 व 2009 पशुओं की मृत्यु हुयी थी।

यद्यपि वर्ष 1999, 2002, 2003, 2004 व 2006 में जनपद में बाढ़ की स्थिति नहीं रही हैं। परन्तु वर्ष 2000, 2005 व 2007 व 2008 एवं गतवर्ष 2009 भी जनपद सिद्धार्थनगर के लिए भीषण बाढ़ का वर्ष रहा है। दिनांक 28.07.2009 से दिनांक 05. 8.2009 एवं 16.08.09 से 28.08.09 के बीच इस जनपद में आयी बाढ़ की विभीषिका वर्ष 1998 की अभूतपूर्व बाढ़ से कुछ कम नहीं थी। वर्ष 2009 में बूढ़ी राप्ती व कूडा व घोघी एवं बागंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी।

वर्ष–2000 में राप्ती नदी का जलस्तर 1998 के रिकार्ड जलस्तर से मात्र 05 सेन्टीमीटर नीचे रहा है। बाढ़ की विभीषका इतनी उग्र थी कि जनपद मुख्यालय का सम्पर्क दिनांक 10.09.2000 से दिनांक 20.09.2000 तक जनपद की तीन तहसीलों बांसी विभीषिका इतनी उग्र थी कि जनपद मुख्यालय का सम्पर्क दिनांक 10.09.2000 से दिनांक 20.09.2000 तक जनपद की तीन तहसीलों बांसी, डुमरियागंज, इटवा से कट रहा। बाढ़ से जनपद के कुल 2545 गांवों में से 1226 ग्राम प्रभावित हुए जिनमें से 801 ग्राम मैरूण्ड थे। बाढ़ से कुल 106377 हेक्टेयर क्षेत्रफल प्रभावित हुआ, जिसमें कृषिक क्षेत्रफल 73728 हेक्टेयर था। बाढ़ से जनपद की लगभग 775918 जनसंख्या प्रभावित हुआ तथा बाढ़ से जनपद में जनहानि 12 व पशुहानि 78 हुआ।

वर्ष 2005 की बाढ़ इस जनपद के लिए त्रासदायक रहा दिनांक 18.07.2005 से 27.07.2005 तक बाढ़ का प्रभाव रहा जो वर्ष 2000 की बाढ़ से कुछ कम था। जनपद की चार तहसीलों नौगढ़, बांसी, इटवा व शोहरतगढ़ बाढ़ से प्रभावित हुई, जिसमें से तहसील शोहरतगढ़ में व्यापक नुकसान हुआ था। पूरे जनपद के 144 ग्रामों के कुल 92914 हेक्टेयर भूमि प्रभावित हुई, जिसमें 8359 कृषिक क्षेत्र था। कुल 22 ग्राम मैरूण्ड घोषित हुए जिसमें 14 पूर्णरूपेण एवं 8 टोले सम्मिलित हैं इस बाढ़ से 92974 जनसंख्या प्रभावित हुई, पूर्ण सजगता एवं तत्काल कार्यवाही होने के कारण बाढ़ से मात्र एक मानव एवं एक पशु की मृत्यु हुई।

वर्ष 2006 में जनपद में बाढ़ का प्रभाव नहीं था। दिनांक 11.03.2006 को ओला पड़ने से तहसील डुमरियागंज के चार गांव प्रभावित हुए। जिससे प्रभावित 635 कृषकों में रू0 632240.00 का वितरण किया गया। दैवी आपदा के अन्तर्गत अग्निकाण्ड से 02, आकाशीय विद्युत व अतिवृष्टि से 09, व आंधी तूफान से 03 तथा शीतलहर से 02 कुल 16 मनुष्य असमय काल के गाल में समा गये जिनके आश्रितों को राहत सहायता का वितरण किया गया।

वर्ष 2007 में अनवरत अतिवृष्टि से दिनांक 27.07.2007 से जनपद में बाढ़ की स्थिति प्रारम्भ हुई। उक्त बाढ़ से सर्वप्रथम तीन तहसीलें नौगढ़, बांसी, एवं शोहरततगढ़ प्रभावित हुई बाद में डुमरियागंज व इटवा में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने से जनपद की पांचों तहसीलों के 662 राजस्व ग्राम बाढ़ से प्रभावित हो गय। जिसमें से 288 ग्राम के चारों तरफ से पानी भर जाने के कारण मैरूण्ड हो गये। इस बाढ़ से 4,64,950 जनसंख्या एवं 76,561 हे0 भूमि से 4,64,950 जनसंख्या एवं 76,561 हे0 भूमि प्रभावित हुई। जिसमें से 63,368 हे0 बोया गया कृषि क्षेत्रफल प्रभावित हुआ है। जिसमें से 14,737.16 हे0 क्षे0 में बोई गयी कृषि फसलों की 50प्रतिशत से अधिक क्षति हुई है। इस जनपद में पर्याप्त मात्रा में नाव उपलब्ध न होने के कारण जनपद फैजाबाद से 13 नाव मंगाकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यो हेतु कुल 182

नाव लगायी गयी जो दिनांक 10.08.2007 तक कार्य करती रही। बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में 30 राहत केन्द्रों के माध्यम से तात्कालिक जीवन निर्वाह हेतु 288 मैरूण्ड ग्रामों में चावल 10238 कुन्तल गेहूँ 216.60 कुन्तल, मिट्टी का तेल–1,04,476 लीटर, नमक 522.88 कुन्तल, दियासलाई (माचिस) 1,04,576 अदद एवं पोलीथीन 240मी0, तथा 13 व्यक्तियों की मृत्यु पर रू0–13,00,000.00 व 03 पशुओं की मृत्यु पर रू0–10,950.00 अनुग्रह अनुदान कर वितरण किया गया। 32 नावों के माध्यम से बचाव एवं राहत कार्य सम्पादित किया गया, जिसमें कुल मूल्य रू0–1,39,15,438.00 व्यय किया गया। कृषि निवेश अनुदान 50 प्रतिशत से अधिक क्षतिग्रस्त बोई गयी–14,737.16 हे0 कृषि फसलों की क्षति रू0–2,94,74,320.00 कृषि निवेश अनुदान एवं गृह अनुदान रू0–73,48,000.00 कु0 रू0–5,07,37,759.00 बाढ़ राहत सहायता के रूप में वितरित किया गया। बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक सम्पत्तियों के पुनर्निर्माण हेतु रू0–10.00 लाख से कम के ड्रेनेज खण्ड सिद्धार्थनगर के 29 प्राक्कलन रू0–78,66,000.00 व सिंचाई निर्माण खण्ड के 30 प्राक्क्लन रू0–1,24,36,000.00 व पंचायत राज विभाग के 21 गाम पंचायतों के 27 प्राक्कलन रू–7,97,000.00 व ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा सिद्धार्थनगर के 25 प्राक्कलन रू0–1,07,00,000.00 व प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग इटवा के 02 प्राक्कलन रू0–18,97,000.00 व प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग सिद्धार्थनगर के 19 प्राक्कलन रू0–47,45,000.00 कुल 132 प्राक्कलनों हेतु रू0–3,38,71,000.00 एवं रू0–10.00 लाख से ऊपर से सिंचाई निर्माण खण्ड सिद्धार्थनगर के 08 प्राक्कलन रू0–1,23,35,000.00 व विद्युत विभाग सिद्धार्थनगर के 02 प्राक्कलन रू0–66,89,000.00 व ग्रामीण खण्ड लोक निर्माण विभाग इटवा के 03 प्राक्कलन रू0–1,32,65,000.00 तथा ड्रेनेज खण्ड सिद्धार्थनगर के 04 आक्कलन रू0–1,96,43,000.00 कुल 17 प्राक्कलनों हेतु रू0–5,19,32,000.00 विभागों को आवंटित किया गया है। उपरोक्तानुसार कुल रू0–14,10,40,759.00 का वितरण / आवंटन किया गया है।

वर्ष 2008 में नेपाल की पहाड़ियों एवं इस जनपद में दिनांक 22.05.2008 से अनवरत वर्षा हुई तथा दिनांक 29.06.2008 को एक दिन में सर्वाधिक 115.28 मिमी0 औसत वर्षा हुई। माह जून में औसत वर्षा 163 मिमी0 के सापेक्ष 342.24 मिमी0 रिकार्ड की गयी। दिनांक 21 व 22 जुलाई दो दिवस में 236 मिमी0 वर्षा रिकार्ड की गयी। दिनांक 21.07.2008 से दिनांक 02.8.2008 एवं 02.09.08 से 09.09.08 के बीच इस जनपद में आयी बाढ़ की विभीषिका वर्ष 1998 की अभूतपूर्व बाढ़ से कुछ कम नहीं थी। वर्ष 2008 में राप्ती नदी का जल स्तर 1998 के रिकार्ड जल स्तर से मात्र 0.650 सेमी0 नीचे रहा है। बाढ़ के कारण नौगढ़–बांसी एवं ढेबरूआ–इटवा मार्ग पर कहीं–कहीं अत्यधिक पानी आ जाने के कारण आवागमन 03 दिन तक बन्द रहा। जिसके फलस्वरूप जनपद के पांचों तहसीलों के 696 ग्राम प्रभावित एवं 200 ग्राम मैरूण्ड हुए। बाढ़ से 1.55 लाख जनसंख्या, 64670.00 हे0 भूमि जिसमें से 50206 हे0 बोया गया क्षेत्र प्रभावित हुआ। बाढ़/अतिवृष्टि से कुल 28 व्यक्तियों की मृत्यु हुई, जिसमें से 11 डूबने से तथा 17 की अन्य कारणों से मृत्यु हुई। मृतक परिवारों में प्रति मृतक रू0 1.00 लाख की दर से रू0 28.00 लाख अनुग्रह अनुदान का वितरण 24 घण्टे के अन्दर किया गया है। बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में 207 नाव, 03 मोटर बोट एवं 01 कम्पनी पी0ए0सी0 के माध्यम से राहत एवं बचाव कार्य करते हुए प्रति परिवार चावल 20 किग्रा0, नमक 01 किग्रा0 मिट्टी का तेल 02 ली0 तथा माचिस 02 अदद की दर से 45834.00 परिवारों में चावल 9166.80 कुन्तल मिट्टी का तेल 91968 ली0 नमक 458.34 कुन्तल तथा दियासलाई (माचिस) 91668 अदद का वितरण किया गया। बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त 10311 मकानों हेतु गृह अनुदान रू0–16105500.00 (रू0 एक करोड़ इकसठ लाख पांच हजार पांच सौ मात्र) एवं 37767 कृषकों में कृषि निवेश अनुदान रू0 27323892.00 (रू0 दो करोड़ तिहत्तर लाख तेइस हजार आठ सौ बानबे मात्र) का वितरण किया गया।

बाढ़–2008 से क्षतिग्रस्त अवस्थापना कार्यो की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण हेतु अधिकारियों द्वारा किये गये सर्वे के आधार पर अति आवश्यक कुल 251 कार्यो पर रू0–3591.97 लाख जिला राहत समिति द्वारा स्वीकृत किया गया जिसमें से रू0–20.00 लाख से कम के 218 प्राक्कलनों पर रू0–2110.52 लाख एवं रू0–20.00 लाख से ऊपर के 33 प्राक्क्लनों के सापेक्ष रू0–1481.45 लाख की धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की गई। जिसमे से लोक निर्माण विभाग, बांसी के 39 प्राक्कलन रू0–413.35 लाख व लोक निर्माण विभाग, इटवा के 26 प्राक्कलन रू0–613.94 लाख व ग्रामीण अभियंत्रण सेवा सिद्धार्थनगर के 29 प्राक्कलन रू0–403.76 लाख व नगर पंचायत, सिद्धार्थनगर के 03 प्राक्क्लन रू0–72.40 लाख व जिला पंचायत सिद्धार्थनगर के 01 प्राक्कलन रू0–18.50 लाख व अधिशासी अभियन्ता, ड्रेनेज खण्ड के 45 प्राक्कलन रू0–438.57 लाख व सिंचाई निर्माण खण्ड के 74 प्राक्कलन रू0–1101.41 लाख व जल निगम के 01 प्राक्कलन रू0–13.00 लाख एवं पंचायत राज विभाग, सिद्धार्थनगर के 10 प्राक्कलन रू0–15.51 लाख कुल 251 प्राक्कलन रू0–3591.97 लाख विभागों को किया गया है। शासन से कुल रू0–56,95,00377.00 का धनावंटन प्राप्त हुआ था। जिसमें से रू0–50,21,49,512.00 राहत एवं बचाव तथा मरम्मत मद में व्यय किया गया, शेष रू0–6,73,50,865.00 पत्र एवं बैक ड्राफ्ट के माध्यम से शासन को वापस किया गया। वर्ष 2009 में इस जनपद में दिनाक 27–07–09 व 28–07–09 तथा दिनाक 13–08–09 से 17–08–09 तक हुई वारिस एवं समानान्तर रूप से जनपद की उत्तर स्थित नेपाल राज्य में हुई वारिस से जनपद स्थित बानगंगा नदी, बूढ़ी राप्ती नदी, कूड़ा नदी, एवं अन्य सहायक नालों के वारिस का पानी जनपद सिद्धार्थनगर में दिनांक 28–07–09 को पहुॅचा। जिससे तहसील–शोहरतगढ़, इटवा, बॉसी एवं नौगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में क्रमशः बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई। इस जनपद में प्रथम चक्र में दिनांक 28–7–09 से दिनांक 05–08–09 तक तथा दूसरे चक्र में दिनांक 16–08–09 से 28–8–09 बाढ़ की स्थिति रही।

उक्त दोनों चक्रों में जनपद की 05 तहसीलों में से बाढ़ प्रभावित 04 तहसीलों क्रमशः तहसील नौगढ़ के 191 ग्राम, बांसी के 14 ग्राम, इटवा के 36 ग्राम एवं शोहरतगढ़ के 99 ग्राम, कुल 340 ग्राम प्रभावित एवं इसी में से क्रमशः 63 व 6 व 17 एवं 16, कुल 102 ग्राम मैरूण्ड हुए। जिससे 32,351 हे0 कृषि क्षेत्रफल एवं 70,200 जनसंख्या प्रभावित हुई। बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में 137 नाव एवं 2 मोटरबोट के माध्यम से राहत एवं बचाव कार्य किया गया। 01 जून 2009 से 30 अगस्त 2009 तक 08 व्यक्तियों की मृत्यु हुई हैं। जिनके वारिसों को प्रति मृतक रू0–1.00 लाख की दर से रू0–08.00 लाख का वितरण किया गया। बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों में चावल 6299.60 कुन्तल, नमक 314.98 कुन्तल, मिट्टी का तेल, 62,996 लीटर एवं माचिस 62,996

अद्द, लाई चना 8643 पैकेट, पूड़ी 900 पैकेट, यूनीसेफ की मदद से त्रिपाल 250 अद्द, एवं प्लास्टिक बाल्टी 375 अद्द व प्लास्टिक मग 375 अद्द, प्लास्टिक जरीकेन 20 लीटर 400 अदद, एवं मच्छरदानी 1125 अदद का वितरण किया गया।

दिनांक 28/29–07–09 की रात में नदी बानगंगा में अधिक पानी आ जाने के कारण इटवा तहसील के ग्राम नवेल के पास बुढ़ी राप्ती नदी में जहॉ बानगंगा नदी मिलती है, ठीक उसके विपरीत दिशा में मदरहवा–अशोगवा बॉध का तटबन्ध ग्राम नवेल के अहिरनडीह के दक्षिण तरफ टूट गया, जिसको दिनांक 11–8–2009 तक बन्द कर दिया गया था। उक्त बांध पुनः दिनांक 19–08–09 को 7.40 बजे टूट गया।

बाढ़ से सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की आंकलित प्रारम्भिक क्षति रू0–5048.06 लाख हुई है। जिसमें ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग की क्षति रू0 1461.45 लाख व लोक निर्माण विभाग के सड़क एवं पुल की क्षति रू0–1439.04 लाख व सिंचाई विभाग की क्षति रू0–1690.97 लाख, **व** जिला पंचायत की रू0 279.00 लाख व सरयू नहर खण्ड की नहरों के क्षति 91.98 लाख एवं पंचायत राज विभाग के 42 ग्रामों में रू0–85.62 लाख की क्षति के मरम्मत हेतु धन की मॉग की गयी है। शासन से वित्तीय वर्ष 2009–10 में आपदा राहत कार्य हेतु कुल रूपया 8,53,49,641–00 का धनावंटन प्राप्त हुआ था, जिसमें से रूपया 3,77,26,641–00 राहत कार्य एवं रूपया 4,76,23,000–00 तात्कालिक मरम्मत मद से सम्बन्धित है। तहसीलों द्वारा राहत एवं बचाव कार्य हेतु रूपया 3,28,92,574–00 व्यय किया गया, पशुपालन विभाग को आवंटित रूपया 4,64,000–00 व्यय किया जा रहा है। उक्त मे से अवशेष रूपया 43,70,067–00 शासन को वापस किया गया है।

तात्कालिक मरम्मत मद में वित्तीय वर्ष 2009–10 के अन्त में शासन द्वारा रू0–20.00 तक के कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड़, सिद्धार्थनगर के 06 प्राक्कलन रू0–100.19 लाख व लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड़ न0–1 इटवा के 10 प्राक्कलन रू0–127.86 लाख व जिला पंचायत सिद्धार्थनगर के 05 प्राक्कलन रू0–75.40 लाख व अधिशासी अभियन्ता, ड्रेनेज खण्ड के 09 प्राक्कलन रू0–73.57 लाख व सिंचाई निर्माण खण्ड के 06 प्राक्कलन रू0–80.11 एवं सरयू नहर खण्ड–3, इटवा के 01 प्राक्कलन रू0–19.10 लाख कुल 37 प्राक्कलन रू0–476.23 लाख विभागों हेतु आवंटित किया गया। प्राप्त धनराशि में से 75 प्रतिशत रूपया 357.17 लाख कार्यदायी संस्था को वित्तीय वर्ष 2010–11 में आवंटित किया गया शेष रूपया 119.06 लाख भारतीय स्टेट बैंक नौगढ़ के दैवी आपदा राहत खाते में अवशेष है।

5.6 बाढ़ से प्रभावित ग्रामों का विवरण एवं उनमें नियुक्त कर्मचारियों का विवरण तहसील–नौगढ़, सिद्धार्थनगर

क्र. सं0	नदी/नाले का नाम	प्रभावित होने वाले ग्रामों का नाम	कुल क्षेत्रफल	कृषि क्षेत्रफल	जनसंख्या	बाढ़ चौकी का नाम	बाढ़ शारणलय का नाम	राहत एवं बचाव हेतु नियुक्त कर्मचारियों का पद नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	राप्ती	रमपुरवा	38	32	230	केवटलिया	टड़िया बाजार	ले0ह0न0 63,64
	एवं बूढी राप्ती	सोनबरसा	75	67	323	रतनपुर		
		कपिया	122	105	636	चुन्नीला		
		मारूखकला	132	109	550	मो0 मन्नान		
		सेमरा कला	79	71	590			
		गोनहा	159	128	1105			
		बंगरा	165	142	933			
		बडगो	144	126	583			
		केवटलिया	206	184	1248			
		बंजरहा खुर्द	91	78	30			
2.	राप्ती	पेडारी खुर्द	66	59	870	टड़िया बाजार	,,	ले0ह0नं059,60,61
	एवं बूढी राप्ती	जोगिया	88	77	537	रामचन्द्र के		
		मारूखर्ग खुर्द	44	39	266	मकान में		
		पटखौली	150	126	713			
		अमरिया	99	88	763			
		संगलदीप	138	116	665			
		रविनानकार	198	175	1452			
		गोठवा	42	37				
		इटौवा	96	83	239			
		नकुआपुर	25	21	28			

		अजगरा	17	15	217			
		हरनीखुर्द	11	9	50			
		धुसवा	50	43	257			
		फत्तेपुर	61	53	421			
		छागुरडाड	78	69	161			
		हरनी बुजुर्ग	99	89	1112			
		डुमरिया खुर्द	85	79	360			
		टडिया बुजुर्ग	102	91				
		टडिया बाजार	106	93	1373			
		सुरैना	123	108	417			
		सेमराखुर्द	77	69	297			
3	बूढी राप्ती	मेचुका	64	58	369	प्रा0वि0नादेपार		ले0ह0नं0—93,94,95,96,92
	बांनगंगा	कडजहवा	155	129	1184			
		हडकौली	213	185	1406			
		डुमरिया	55	49	306			
		अहडी	85	74	909			
		खेतवल तिवारी	173	149	1356			
		श्रीनगर	65	59	219			
		सेमरा	102	91	308			
		कान्हे कुसुम	89	81	279			
		गंगवल	167	149	801			
		भुतहिया	193	171	809			
		दोहनी	160	145	686			
		कोमडा	106	192	774			
		टिकरी	88	7	688			
		मजगवा	129	109	970			
		नादेपार	125	114	585			
		भिटिया राजा	50	43	377			
		इसमैली	72	68				
		निपनिया	60	54				
		सोनौरा	90	78				
		कोडरताल	100	83				
4.	बूढी राप्ती	पगुआ	52	75	497	प्रा0वि0 करौदा मसिना		ले0ह0नं091,98,98
	बांनगंगा	कुअरापार	30	83	375			
		बडहरा	110	93	249			
		मकुरहा	51	46				
		माधोनगर	41	37				
		सिकहुआ	62	56				
		हरैया	179	159	2998			
		सिरसिया	149	129	679			
		लखनापार	56	49	1200			

		उदयपुर	199	176	1005			
		जोगिाय	119	103	1751			
		ककरही	162	137	1900			
		महुआ	155	146	1290			
		करौदा मसिना	354	322	2402			
		मदुरा	55	41	305			
		ममतापुर	38	34	100			
5.	बूढी राप्ती	चौरासी	94	89	591	प्रा0वि0 महदेवा तिवारी		ह0ले0नं065,67,68
	जमुआर नाला	विभुनपुर	74	69	515			
		सजनी	106	88	1490			
		सजना	106	91	615			
		बैरिहवा	51	46	410			
		महुआ	37	33	215			
		महदेवा तिवारी	83	77	395			
		सिहोरवा	115	99	708			
		तिघरा	51	45	1115			
		कुआहाटा	47	41	1061			
		महुरैया	147	122	340			
		महदेवा बु0	138	116	715			
		छितरा	201	172	1920			
		तुरकौलिया	89	76	50			
		चारेवार	106	89	910			
		चोरई	68	61	0912			
		मुडिला	113	97	280			
		परसा मोहनजोत	61	56				
		महुलानी	144	119	2712			
		महदेवा खुर्द	186	169	270			
		सियरापार	38	33	506			
6.		चोरई	44	39	430			ले0ह0नं0–69,87,86 85,84,86,78,7974,75
		मधवापुर	31	27	490			
		पिपरा	54	49	10			
		पकडी	138	119	801			
		परसाशुकुरूल्लाह	73	67	790			
		कटकी	51	46	600			
		कटका	70	72	290			
		जगमोहनी	63	56	600			
		मदरहना	60	54	199			
		दुमदुमवा	126	110	1121			
		डुमरिया	42	37	340			
		विनैका	191	170	1960			

		दतरगवा	101	87	770			
		पोखरभिटवा	22	19	1440			
		बभनी खुर्द	50	44	490			
		परसा महापात्र	96	88	1290			
		देवलहा ग्राण्ट	252	217	1115			
		पिठनी खुर्द	117	98				
		तेतरी बाजार	89	78				
		पिठनी बु0	79	71				
		भीमापार	291	185	1850			
		बडगो	163	146	600			
		बर्डपुर नं0–14	856	740	8100			
		कोडरा ग्राण्ट	707	654	7160			
		चिल्हेदरी ग्राण्ट	292	246	310			
		कुसमौना	176	156	1230			
		दुवपुर	25	21	160			
		नडवाडीह	15	11	20			
		जगदीशपुर	235	209	1460			
		धौरी कुइया	439	390	2440			
		रोमापार	225	185	1004			
7.	जमुआर नाला	खजुरिया	66	61	740	प्रा0वि0महादेव बु0		ह0ले0नं044,76,77
	कूडा नदी	महदेवा बुजुर्ग	92	85	1260			
		मदरहना	163	152	730			
		देउरा ग्राण्ट	108	98	260			
		वटोरिया खालसा	22	19				
		बरोहिया	41	38				
		गनेरा	83	75	580			
		पटनी जंगल	473	425	2330			
		घरवासपार	10	8	115			
		दुर्जनपुर	82	75	640			
		तखवा ग्राण्ट	39	34	100			
		देवपुर ग्राण्ट	78	67	340			
		मदनपुर	21	18	314			
		तखवा वन्दोवस्ती	13	11	145			
		सिसवा ग्राण्ट	312	292	1400			
		मसेरा	54	48	65			
		बुजबुजवा	59	54	35			
		महदेवा खुर्द	86	78	900			
		जमडीनानकार	48	41	340			
		बलुई	27	24				
		ककोरी	64	59	729			
8.	जुमआर नाला	सोहास सुमाली	372	345	2640	सोहास पश्चिमी		ले0ह0नं0–73,72,71,49
	कूडा नदी	सोहास दरम्यानी	294	265	2960			
		विशुनपुर	27	22				

		सोहास खास	77	68	1560			
		उचहरिया	36	31	460			
		बंजरहा	30	26	75			
		सोहास जनूबी	411	371	1670			
		चनरैया	146	129	590			
		बलावनपुर	124	105	699			
		नगवा	163	148	1960			
		करछुलिया खालसा	62	56	500			
		करछुलिया	40	35	460			
		मुडिला	95	88	690			
		खजुरिया	28	23	490			
		झुगवा	75	67	20			
		भैलौजी बु0	53	46	690			
		भैलौजी खुर्छ	42	37	29			
		सिहोरवा खु0	36	31	460			
		घासपुर	121	107	720			
		पडहराखुर्द	70	62	490			
9.	नदी कूडी, घोघी	कोलपुर ग्रा0	158	158	146	सोहास पूर्वी		ह0ले0नं0—45,46,47,48
		कौलपुर खालसा	15	12				
		रूडपुर मैनहवा	32	27				
		महनाग	59	71	375			
		दहला	72	67	390			
		देवपुर म0	70	62	560			
		बरडाड बरगदही	50	43	560			
		महुआ माफी	94	84	620			
		भिटपरा	159	159	2510			
		विहठा	43	38	290			
		खखरा बु0	84	76	790			
		भगता	72	67	695			
		सहिला	104	63	590			
		देवकली	79	72	390			
		करमहा	49	43	500			
		सेमरहना	52	46	295			
		सेमरी तिवारी	48	43	490			
		कठवरिया	88	79	456			
		रूडमनडाडी	41	36	90			
		मैनुआ	70	63				
		सैनुआ	159	138	1600			
		बरवा	84	76	699			
		पडहरा बु0	65	58	400			
		कठहा	288	246	230			
		उदयपुर	36	34	490			
		गुप्ताडीह	32	30	140			

		घरसौना	151	147	1120			
		बडहरा	159	148	990			
		गुलरिया	120	117	499			
		खखरा खुर्द	121	118	360			
		महुआ काशी	59	57	340			
10.	कूडा घोघी,	संगवा	47	45		उसका बाजार		ले0ह0नं0–70,71
	जमुआर नाला	महुआ	60	57	390	उत्तरी		
		रेहरा बाजार	51	48	3820			
		परती बाजार	36	34	3562			
		परसा खुर्द	68	65	990			
		बेलवा	20	19				
		पसा बुजुर्ग	111	98	999			
		उडवलिया	19	18	360			
		तेतरी बु0	32	30	490			
		ससनी	44	42	340			
		मजगवा	4	3	450			
		भिटिया	65	62	1420			
		तेतरी खुर्द	42	40	450			
		गौरा	61	57	670			
		खुटवा	132	128	640			
		बनगवा	47	44	490			
		फुलवरिया	78	75	1130			
		कडजहवा	54	52				
		भलुआ	81	75	290			
11.	बूढी राप्ती	नौखनिया	106	102	590	उसका बाजार		ले0ह0नं0–54,56,57,58
	कूडा	तालनटवा	404	194	1700	दक्षिणी		
		ताल बनगहिया	162	158	890			
		अजगरा	369	360	900			
		लाउखाई	60	57	69			
		घुघुलिया	64	59	920			
		मोगलहा	40	37	2820			
		सेखुई	194	182	1819			
		मधुरी	501	403	460			
		जुहरी	72	67	25			
		हथितडताल	105	98	1620			
		गायघाट	297	275	1405			
		बैरवानानकार	190	179	710			
		तालभिरौना	115	110	300			
12.	सड्डा नाला	दुल्हा जनूबी	313	298	1300	प्रा0वि0दुल्हा द0		ह0ले0नं0–20,21,22
	कूडा	निविहा	30	28	290			
		बरगदवा	110	99	930			
		मुडिला	111	102	540			
		तिलसडी	56	54	370			

		तिघरा	65	61	470			
		दुल्हा खर्द	310	290	3100			
		केवटलिया	163	157	340			
		सेमरी	108	101	600			
		बभनी	82	78	460			
		बूडा	20	19	1100			
		बढैयापुरवा	43	41				
		बरगदवा	146	142	620			
		खैराठी	53	51	670			
		धनसाई	101	91				
		पतिला	44	42	430			
13.	कूडा, घोघी	चिउरहिया	124	112	160	प्रा0वि0 सिकटी		
		करमैनी	64	59	460			
		रसियावलकला	164	158	621			
		रसियावलखुर्द	65	62	1300			
		ठोठरी	78	74	1000			
		कन्धौली	20	19	230			
		महथावल	94	88	720			
		तुरकौलिया	61	55	660			
		मुडिला पाण्डेय	75	70				
		लोहरौली	57	52	470			
		दैलौजी	72	65	399			
		फुटुक	105	90	830			
		मुडिला अदाई	35	32	170			
		अभयपुर	91	82	760			
		गुलहरिया	58	52	240			
		हरिवंशपुर	213	185	1100			
		बहादुरपुर	47	42	340			
		धरमौली	216	194	900			
		भरमी	68	62	740			
		भुसौला अदाई	109	98	430			
		बडहरा	142	128	820			
		सपही	67	61	1300			
		बरवारू	99	88	640			
		सठिहाव	54	68				
		अहिरावल	14	12	421			
		अमहट	134	117	750			
		महदेइया	214	190	1100			
		विजदेइया	263	235	740			
		खीरीडीहा	177	148	1400			
		चनरैया	82	68	750			
14.	कूडा, घोघी	करमी	38	34	240			
		करमा	38	33	400			

					(35)			
		लोटन	202	180	2300			
		बेलवा	64	58	430			
		ईउरवा	99	89	480			
		तरघौना	96	87	480			
		भुसौला माफी	84	78	450			
		हरिगांव	73	67	710			
		धनधरा	87	79	665			
		सिगरहा	42	38	540			
		ऐकडेगवा	202	184	1300			
		बनियाडीह	127	105	750			
		नेतवर	252	218	1800			
		कोल्हुआ	111	96	540			
		करूआवलकला	97	88	600			
		करूआवल खुर्द	29	26	300			
		पोखरभिटवा	103	89	500			
		केसारी	129	114	640			
		बरगदवा	49	41	400			
		पटखौली	58	49	640			
		बढया	35	29	300			
		खखरा	107	71	700			
		नरकटहा	56	57	440			
		सुसनहा	117	98	700			
		सेमरा	118	99	850			
		रमवापुर	223	194	1700			
		गदहमरवा	216	189	1400			
		धरनिहवा	121	102	900			
		छोरिया काछा	49	45	395			
		अजान	106	95	700			

तहसीलदार,
नौगढ़

बाढ़ से प्रभावित ग्रामों का विवरण एवं उनमें नियुक्त कर्मचारियों का विवरण तहसील–बांसी, सिद्धार्थनगर

क्र0 सं0	नदी/नाले का नाम	प्रभावित होने वाले ग्रामों का नाम	कुल क्षेत्रफल	कृ ा क्षेत्रफल	जनसंख्या	बाढ़ चौकी का नाम	बाढ़ ाारणालय का नाम	राहत एवं बचाव हेतु नियुक्त कर्मचारियों का पद नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	बूढी राप्ती	भगौतापुर	114	92	749	सूपा पूर्वी	सूपा राजा	श्री राम बहाल अहि0अ0 कुछ सिंचाई
		डडिया	262	200	593	,,	,,	श्री विजय कुमर ले0
		भटौली	74	62	243	,,	,,	श्री राम अजोर ले0
		सतबाढी	464	211	1460	,,	,,	श्री परशुराम ले0
	फजिहतवा नाला	खम्हरिया खुर्द	34	31	328	,,	,,	श्री आनन्द प्रकाश ले0
		सम्हरिया बुजुर्ग	163	151	305	,,	,,	श्री सुदर्शन प्रसाद मौर्य
		गनवरिया	38	35	0	,,	,,	म0प0अ0
		तारा गुजरौलिया	129	116	410	,,	,,	
		नगवा	132	112	961	,,	,,	
		बबुआ	113	98	1157	,,	,,	
		कोडरी	118	102	1148	,,	,,	
		सूपा बक्शी	216	206	498	,,	,,	
		मुडिला राजा	75	68	609	,,	,,	
2.	बूढी राप्ती	बहोरवा घाट	73	63	375	सूपा पश्चिमी	,,	श्री राम बहाल अधि0अभि0
		महुआरी	54	51	336	,,	,,	लघु सिंचाई वि0ख0बांसी
		नबइला	96	82	373	,,	,,	श्री राकेश तिवारी ले0
		नरकटहा	64	52	108	,,	,,	श्री कामता ले0
	फजिहतवा नाला	चंवर ताल	494	259	310	,,	,,	श्री महेश ले0
		बिहरा	192	179	558	,,	,,	श्री राजेन्द्र प्रसाद तिवारी
		सिरसिया तिवारी	92	88	162	,,	,,	
		सुभौली	110	87	758	,,	,,	
		चान्देगडिया	73	33	311	,,	,,	
3.	राप्ती	गुलरिहा राजा	220	203	1112	सोनखर	बांसी	श्री विद्यामणि त्रिपाठी
	फजिहतवा नाला	बभनी लाल	209	177	750	,,	,,	स0वि0अ0बांसी
		बकुआंव	215	193	647	,,	,,	श्री मोहर अली
		फूलपुर	148	123	938	,,	,,	आनन्द ले0
		टडवलघाट	188	166	938	,,	,,	श्री बेकारू राम ले0
		सोनखर	1020	857	2751	,,	,,	श्री सत्य प्रकाश ले0
4.	फजिहतवा नाला	दतरंगवा	64	55	511	चेतिया	सूपा राजा	श्री तूफानी प्रसाद
		भोपलापुर	13	9	0	,,	,,	

		जनिया जोत	134	116	2643	,,	,,	
		हाटा	433	308	1932	,,	,,	
		पकरडीहा	215	202	1553	,,	,,	
		हाटा खुर्द	69	48	0	,,	,,	
		त्रिलोकपुर	180	178	639	,,	,,	
		भुजराई	250	226	1317	,,	,,	
		भडसर ताल	26	25	0	,,	,,	
		भवारी	142	90	1188	,,	,,	
		अजमागढ़	91	55	509	,,	,,	
5.	घाघर परासी	नवतला ताल	89	74	241	,,	,,	श्री हरेन्द्रनाथ पाण्डेय
	फजिहतवा नाला	ओदना ताल	35	33	433	,,	,,	ग्रा0वि0अधि0 बांसी
		असोगवा	138	109	1451	,,	,,	श्री राम दुलारे गिरी ले0
		बस्ठा	114	78	603	,,	,,	श्री कामता प्रसाद ले0
		ठिकहा	30	24	358	,,	,,	श्री मनीष कुमार उपाध्याय
		सिरसिया मिश्र	35	21	187	,,	,,	
		रेहरा	183	129	1226	,,	,,	
		बडहर घाट	165	132	1857	,,	,,	
		मालीजोत	22	18	64	,,	,,	
6.	राप्ती	मगरगाहा	245	199	452	महुआ कला	मऊ	श्री मुनर्हराम स0वि0अ0 पं0
		कोल्हुई बुजुर्ग	119	86	464	,,	,,	श्री कृष्ण कुमार ले0
		कोल्हुआ	113	96	243	,,	,,	श्री आनन्द ले0
		डडवा लाल	67	57	395	,,	,,	श्री हरिगोविन्द ले0
		मंझारी	84	52	585	,,	,,	श्री राम शब्द ले0
		मऊ	360	254	2376	,,	,,	श्री सदानन्द वर्मा
		विमौआ बुजुर्ग	112	102	860	,,	,,	
		महुआ खुर्द	73	59	495	,,	,,	
		पिपरी	41	36	392	,,	,,	
	फजिहतवा नाला	सिहोरिया	36	29	245	,,	,,	
		अजगरा	144	128	882	,,	,,	
		सेखुइया	116	96	819	गोल्हौरा	मऊ	श्री श्याम नाथ के0
7.	राप्ती	रमवापुर	38	32	187	,,	,,	श्री कृष्ण कुमार ले0
		जिवपुर	58	47	480	,,	,,	श्री तीरथ ले0
		सोनफेरवा खुर्द	68	56	427	,,	,,	श्री राम अछैबर ले0
	फजिहतवा नाला	ककरहवा	88	63	03	,,	,,	श्री राम नरायन ले0
8.	राप्ती	मेचुका	237	153	997	जिगनिहवा	,,	श्रीमती जनक नन्दनी
		तेलौरा	71	56	799	,,	,,	श्री समयराज यादव
		हडहा	44	27	281	,,	,,	श्री महेश ले0
		गोठवा	255	215	742	,,	,,	श्री हरिगोविन्द ले0
		मझवन कला	48	36	742	,,	,,	श्री राम दुलारे गिरी ले0
		मियाजोत	17	15	697	,,	,,	महमूद अली
		मझवन खुर्द	125	98	975	,,	,,	

		किशनुधर जोत	23	20	212	,,	,,	
9.	फजिहतवा नाला	रैनाजोत	40	30	503	,,	,,	श्री सतीश चन्द्र आजाद
	राप्ती	बनौली	63	41	418	,,	,,	श्री रामेश्वर ले0
	फजिहतवा नाला	हियातनगर	184	162	529	,,	,,	श्री महेश ले0
	राप्ती	नरकटहा	651	354	1529	,,	,,	श्री राम दुलारे गिरी ले0
	फजिहतवा नाला	चौवाह	36	24	39	,,	,,	श्री कामता ले0
		नटहवा	102	80	450	,,	,,	श्री शत्रुधन लाल
		गोनहा ताल	243	150	830	,,	,,	
		भकुरहवा	197	115	483	,,	,,	
		बसन्तपुर	137	196	1438	,,	,,	
10.	राप्ती	हरैया	70	37	866	,,	,,	श्री सत्यप्रकाश ले0
		रूदलापुर	89	72	401	,,	,,	श्री राम मिलन ले0
		खरिकापाण्डेय	65	40	651	,,	,,	श्री परशुराम ले0
		गरगजवा	117	68		,,	,,	श्री नवल किशोर ले0
		पिपरहिया	48	39	799	,,	,,	श्री गिरजा शंकर ले0
		करहा	47	39	573	,,	,,	श्री मोहन लाल
		भगौतापुर	112	88	918	,,	,,	
		मधुकरपुर	76	65	781	,,	,,	
		अडगडहा	33	27	250	,,	,,	
		गुलरिया लाला	132	117	341	,,	,,	
		सोनबरसा	96	82	342	बांसी	बांसी	
		बंधवा ताल	142	130	570	,,	,,	
	बुद्धानाला	अकसरा माफी	226	202	1091	,,	,,	
		पिपर पतिया	45	38	732	मिठवल पश्चिमी	,,	श्री रामेश्वरस0वि0आ0 सहकारिता
11.	राप्ती	संहेरी घाट	129	98	511	,,	,,	श्री कन्हैया
		किशुनपुरवा	131	88	166	,,	,,	श्री जीत बहादुर ले0
		बनकटा	162	104	879	,,	,,	श्री राधेश्याम
		बघिनी नानकार	140	116	1067	,,	,,	श्री प्रेम शंकर
		खदरी	12	9	250	,,	,,	श्री जीत बहादुर ले0
		खदरा	55	41	481	,,	,,	श्री निरंकार लाल ले0
		पचमोहनी	44	31	235	,,	,,	श्री अनवरी अली
		गौरा पचपेड़वा	63	51	552	,,	,,	श्री राम स0वि0अ0
		चोरई ताल	340	270	839	,,	,,	श्री परशुराम ले0
		दुलही	238	215	473	,,	,,	श्री प्रभात कुमार ले0
		डडिया	49	43	11	,,	,,	श्री राजा राम ले0
		डुमरिया बुजुर्ग	114	97	778	,,	,,	श्री गिरीश चन्द्र ले0
		बंजरहा बुजुर्ग	216	201	1339	,,	,,	श्री दिलीप कुमार त्रि0
		मटियरिया	264	203	1118	,,	,,	श्री राम मिलन ले0

		विशुनपुर एह0	65	29	0	,,	,,	श्री सुधई प्रसाद ले0
		सेमरा एहतमाली	72	61	0	,,	,,	श्री अशोक कुमार
12.	आमी	कपियवा	178	150	628	,,	,,	श्री रामसुख यादव
		भरवलिया कला	117	81	531	,,	,,	अवर अभि0लघु सिंचाई
		एकडेगवा	196	139	668	,,	,,	सिरपत ले0
		पिपरा	64	52	899	,,	,,	इफ्तखार हुसेन ले0
		मसिना खास	586	394	3310	,,	,,	श्री लल्लू प्रसाद ले0
		धौरहरा	114	70	724	,,	,,	श्री प्रमात्मा यादव
		भटपुरवा	9	6	363	,,	,,	श्री संतराम
		बुढवा बुढिया	107	95	504	,,	,,	श्री फूल चन्द
		पतेडवा	67	54	312	,,	,,	
	बुद्धा नाला	सिकटा	177	147	1689	,,	,,	
13.	फजिहतवा नाला	घरहरा	26	22	150	,,	,,	श्री राकेश तिवारी ले0
		मरचा	36	28	626	,,	,,	श्री कामता प्रसाद ले0
		चंवर	36	22	465	सूपा पश्चिमी	सूपा राजा	
		पुरवा	29	26	650	जिगनिहवा	मऊ	श्री राम दुलारे गिरी ले0
		निहलवा	14	13	173	,,	,,	श्री हरिगोविन्द ले0
		सुकरौली	65	51	863	,,	,,	श्री महेश ले0 श्री महमूद अली

तहसीलदार,
बांसी

बाढ़ से प्रभावित ग्रामों का विवरण एवं उनमें नियुक्त कर्मचारियों का विवरण तहसील–डुमरियागंज, सिद्धार्थनगर

क्र0 सं0	नदी / नाले का नाम	प्रभावित होने वाले ग्रामों का नाम	कुल क्षेत्रफल	कृषि क्षेत्रफल	जन संख्या	बाढ़ चौकी का नाम	बाढ़ शारणालय का नाम	राहत एवं बचाव हेतु नियुक्त कर्मचारियों का पद नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	राप्ती नदी	कोहलचक रमवापुर सोनखर रूधौला बडहरा गंगवार तोहार उर्फ कठौतिया मदारा बैदौलागढ़ डुमरियागंज माली मैनहा मुस्ह0 अदुआ अमौना पाण्डेय	28.010 527.00 126.020 115.025 527.00 126.020 115.025 110.890 34.309 126.990 1115.00	20.00 499.00 90.00	310 1134 2100 436 810 912 2200 10145 6175 1115 930	डुमरियागंज	पीपुल्स इण्टर कालेज डुमरियागंज	श्री वीरेन्द्र प्रताप सिह (स0वि0अ0 पं0) डुमरियागंज श्री अशर्फी लाल लेखपाल श्री हरिराम ले0 श्री सिद्धूराम ले0 श्री राकेश ले0 श्री दिव्यांकन गौतम
2.		विथरिया भडरिया गजीजोत घुवाडीह भलुवाही चौरा परसपुर	5765 4730 330 736 265 271 1527		466.868 376.260 30.840 129.780 72.210 93.560 81.070	परसपुर जू0हा0	ए0डी0ओ0 डुमरियागंज	श्री शेरसिह ले0 श्री राम लाल ले0
3		धौरहरा कोडर जंगलीपुर गौहनियाताल भैसहिया भालूकोनी कारेखूट पथरपुरवा बाकटी पसा जमाल परसा हेतिम चक फत्ताह परसा मुर्तजा अहिराडील रठैला हिसामुद्दीपुर	181.620 137.950 306.780 97.530 366.00 230.660 879.00 57.290 106.030 152.320 54.160 33.97 39.28 35.53 135.14 299.22	 338.220 215.100 862.050 55.010 102.050 145.320 51.250 30.800 35.320 32.500 130.10 290.25	1250 460 2750 1310 1320 1220 2220 280 810 1714 610 350 642 1610 2008 1015	भवानीगंज	स0वि0कृषि डुमरियागंज	श्री निवास अहमद ले0 श्री रामरूप ले0 श्री रामचन्दर वर्मा ले0 श्री घम्मल प्रसाद ले0 श्री श्रवण प्रसाद ले0

4		सीरमझारी बीरपुर प्रतापुर सुकरौली बागाईनानकार महोखवा रसूलपुर परापुर चकभारी चौरा माफी जगदीशपुर भगवानपुर मल्हवार भलुवाही उपधी खुर्द बु0	153.29 83.51 72.76 94.97 68.86 181.01 121.2037. 290 24.81 54.670 82.920 34.68 49.300 128.940	145.225 78.850 68.980 79.900 83.999 178.190 119.192 34.210 22.90 52.450 80.925 31.526 47.295 125.284	475 901 350 825 391 2080 1018 880 352 390 1049 262 483 910	सुरजी मंदिर	स0वि0अ0पं0 डुमरियागंज	श्री जगरनाथ मिश्र ले0 श्री रमेश चन्द्र ले0 श्री बाबूराम ले0 श्री साधूराम ले0 श्री लालकृष्ण प्रताप ले0 श्री कुवंर साहब ले0
5		बिलवट भलूकौरी पेंदा बघाडी रमवापुर अमौना तिवारी गौरी पाठक कोनकटी गंगवरार मेही हरदो डोकरा जलकरा उर्फ खजुहा	106.325 307.138 260.880 192.129 231.470 133.420 261.875 36.290 27.565 73.390 74.570 160.200	111.250 316.130 266.770 196.120 237.460 136.390 268.990 39.300 29.910 77.470 79.490 467.380	210 910 1950 680 1425 1790 1070 855 877 780 790 1475	खोरिया रघुवीर सिंह	स0वि0अ0कृषि डुमरियागंज	श्री जगदम्विका प्रसाद ले0 श्री वशि ठ मुनि लेखपाल श्री कुवर साहब ले0 श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव ले0 श्री जम्गू लाल ले0 श्री अर्जुन प्रसाद ले0
6		अकबरपुर राजपुर महाल मयकोहल घोसियामय सिरियावघेल रूदौलिया बुजुर्ग मौक्किलपुर उर्फ गुलरि	40.710 408.012 131.03 78.280 81.315 38.445	38.690 396.410 128.300 84.060 83.100 41.03	135 3115 624 820 550 484 1764	रूदौलिया बु0 सा0सह0 समिति	स0वि0अ0खुनि यांव	अर्जुन प्रसाद पाण्डेय श्री संतराम ले0 श्री शारदा लेखपाल
7.		बगहवा शाहपुर मुस्तहकम प्रेमपुर कटया मु0 कटयाएहतमाली अकोलिहा चौखडा कुनगाई डेकहाजोत कस्तूरी मिश्रौलिया शाहपुर ऐहतमाली गंगवार खुर्द गंगवार बुजुर्ग गिरधरपुर बेनीनगर पचउथ लतीफपुर पिपरा गोसाई सहदेइया मधुकरपुर कुस्मही तयबपुर	136.235 328.322 25.290 141.332 8.110 108.195 302.191 93.278 92.590 136.670 34.580 13.225 62.514 64.580 105.547 50.870 25.388 78.570 56.290 106.780	140.970 335.420 29.080 148.260 9.540 111.997 308.096 97.266 94.380 143.580 39.960 15.010 67.419 66.460 111.477 52.922 28.552 80.247 59.381 110.623	1764 5560 515 2310 1590 3890 560 830 710 280 930 790 855 510 650 660 830	शाहपुर पुलिस चौकी	जे0ई0आर0एफ0 भावापुर	संतराम ले0 श्री सुशील कुमार त्रिपाठी ले0

8.		मछिला मु0 मछिला एहतमाली धोहरा पेंडारी एहतमाली पिकौरा डुमरियां तेंतरी वीरपुर एहतमाली वीरपुर मु0 बिलरिया पेडरियाजीत बढया खुरपहवा फत्तेपुर रूद्रौलिया बढया रमवापुर उर्फ नेबुआ रमवापुर पेडारी बुढिया टायर अन्दुआ शनिचरा सिरसिया हिजुरा क्लीचक पडिया सरोथर सेमरा बनकसिहा सेमरी विजवार बढई महुआ खुर्द धनोहरी	154.360 8.110 28.190 70.195 150.125 178.136 125.156 160.138 124.240 64.630 47.600 99.160 98.180 81.190 54.611 103.675 216..385 179.680 167.427 94.780 8.910 113.111 284.281 89.450 64.791 276.980 92.480 152.980	157.260 9.310 30.290 73.960 153.020 180.420 127.66 162.400 126.170 54.354 68.590 49.700 102.913 102.598 83.101 57.530 108.300 86.220 182.780 169.594 97.980 10.84 115.760 289.260 91.390 65.640 229.760 94.300 156.710	680 590 625 770 1360 960 1960 570 510 590 1280 550 930 575 1125 790 950 1120 652 283 930 2130 790 550 390 550 1720	सिरसिया जू0हा0स्कूल	स0वि0अ0प0भावपुर	अम्बिका प्रसाद ले0 नन्द किशोर पा0ले0 गंगाराम ले0 जहीरूद्दीन लेखपाल कौशल किशोर लेखपाल रामदास लेखपाल बृज बिहारी लेखपाल

9.		अमौली एकडेगा	191.283	193.200	1710	भनवापुर	स0वि0अधि0	श्री सुधीर ले0
		हटवा	147.625	149.820	1025	ब्लाक मुख्याल	भावपुर	श्री चन्द्र प्रकाश ले0
		पटना	69.340	71.290	410			श्री पारसनाथ ले0
		गडवार	513.260	515.00	740			श्री गंगाराम ले0
		सिसवा	96.798	98.820	780			श्री शबीहैदर ले0
		महतिनिया बु0	189.790	191.830	1290			श्री कौशल किशोर ले0
		ाालेपारा	188.225	190.220	690			
		खरैली खरैला	177.630	179.530	529			श्री हरीरामा ले0
		हरामखुरी	73.790	75.850	690			श्री सुमेर चन्द्र ले0
		सहजिवार	147.870	149.980	630			श्री दिलाल ले0
		सुकालाजोत	82.785	84.860	666			श्री भिखई राम ले0
		मनिकौरा	106.180	108.080	530			श्री सुखदेव तिवार ले0
		मझौवा	30.189	32.480	260			
		पटखौली	128.390	130.800	1490			श्री सुशील तिवारी ले0
		करहिया	103.340	105.240	1040			
		गंगवार	65.505	67.419	280			
		कठौतिया गोकुल	67.630	69.520	675			
		मत्रीजोत	124.225	126.150	930			
		बरगदवा	101.60	103.720	740			
		पिपरा पाण्डेय	67.290	69.660	750			
		हसुडी औसापुर	203.281	206.390	1123			
		पचमरी	73.650	75.050	665			
		महतिनिया	190.910	191.830	1290			
		भावपुर मडहा	134.615	136.510	1260			
		तरांव	139.480	142.340	880			
		बघमरवा	121.350	124.810	620			
		लोहरौली	56.458.	58.790	590			
		कठौतियाराम	134.500	136.190	710			
		दुफेडिया	68.935	70.830	580			
		रजवापुर	75.350	77.600	514			
		पेडरा	92.638	93.836	610			
		गावरिया बुजुर्ग	77.280	79.330	625			
		वैरवा	360.270	365.720	1810			
		महुलाबु0	992.450	94.300	550			
		लेवडी	101.540	110.90	695			
		कटरिया बाबू	465.390	468.00	1425			
		महुवा	156.450	158.640	1350			
		गावरिया खुर्द						
		लेतडताल	330.830					
		भीटानानकार	134.930	132.600	1385			
		सिकटा	292.470	290.238	1820			
		कठौतिया कि0	53.260	51.169	550			
		बुढउ	124.820	200.151	1580			

10.		जूडी कुइया	122.630	124.820	1275	सघा0सह0	स0वि0अ0	श्री दिनेश चन्द्र ले0
		बेतार	408.100	410.00	4400	समिति जूडी	भावपुर	श्री बासदेव ले0
		विशुनपुर	146.260	149.400		कुईया		श्री भिखईराम ले0
		दरियाबक्स	276.250	278.240	240			श्री लौहरराम वर्मा
		पुरैना	75.790	77.560	130			श्री रामप्रसाद ले0
		केशवाजोत	32.251	34.050				श्री गंगाराम प्रथम ले0
		जमालजोत	40.410	42.960	325			श्री लौहरराम वर्मा ले0
		आाढीताल	9.202	8.00				
		चौरियाताल	504.160	507.770				
		लेडसर नानकार	78.550	80.760	615			
		जेरूईया	87.910	89.810	710			
		रमवापुर जगतराम	73.520	74.970	487			
		मधुकरपुर	114.82	116.180	1180			
		लुगरेडीहा	68.820	70.980	101			
		सेखुई सोनपति	68.690	60.360	180			
		मुबारकपुर	100.320	102.820	1138			
		विशुनपुर हरी	176590	178.740	1410			

11.		डिबडीडीहा	108.110	110.98	390	तरहर सघ	स0वि0अ0	श्री सुधीर ले0
		परसोहिया	116.035	119.030	720	सह0स0	भावपुर	श्री मुरली मणि ले0
		जोरवा	38.385	40.690	20			श्री राम प्रसाद ले0
		असनहरामाफी	683.800	685.70	1004			श्री सीताराम ले0
		राउतडीहा मु0	40.780	42.790	385			श्री नन्दकिशोर ले0
		सुल्तापुर उर्फ	39.350	41.450	850			श्री सतीश चन्द्र
		चदाजोत	102.560	105.030	1132			शुक्ल ले0
		जहदा मु0	40.800	42.960				
		केशवाजोत	101.280	103.910				
		जहदवा ए0	80.160	82.060	660			
		बामदेई						
		राउतडीला मु0	34.980	36.650				
		विक्रम जोत	60.139.88.	61.330	359			
		नहतुवा	790	90.640	230			
		कोहल गोद	113.980	115.090	880			
		कोट	69.110	65.610	2575			
		जुडवलिया	446.050	448.00	2575			
		वेव इहतमाली	24.590	29.210				
		वेव मु0	98.750	101.970	680			
		दुर्गाजोत	143.490	145.180	820			
		कम्हरिया	84.870	86.970	1040			
		लोहरौली	273.659	275.510	2410			
		जिवाराई	151.560	150.600	1040			
		चिताही	1669.680	167.790	1008			
		मल्दा	145.180	143.280	820			
		मल्हवार	134.830	132.505	886			
		लोहरौला	112.300	110.290	460			
		कटरिया पा0	157.830	154.350	1215			
		सिसई	10.450	98.970	1130			
		भडरिया	81.880	20.230	710			
		डोमसरा	102.260	100.780	550			
		उजैरिया	59.380	56.790	660			
		कठौतिया पा0	143.550	141.890	880			
		मधुकरपुर	93.820	91.907	780			
		तेदुई	107.445	104.466	330			
		सिसवा	107.720	104.630	880			
		पलेसर	143.930	140.844	780			
		देवरिया चमा	133.320	133.320	955			
		तरहर	101.300	99.390	940			
		रमवापुर राउत						
		पिपरा का0						

तहसीलदार,
डुमरियागंज